राजस्थान विधान सभा

१८ वीं बैठक, मंगलवार, दिनांक–२० दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में प्रातः ८–५५ बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या २३१

रलावता, तहसील किशनगढ़, में स्कूल भवन निर्माण हेतु जनता द्वारा किये गये व्यय में आधा व्यय सरकार द्वारा करने का आश्वासन

श्री चांदमल मेहता—क्या विकास मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रलावता तहसील किशनगढ की जनता ने अपने खर्च से स्कूल की इमारत बनाई है ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने गांव वालों को उक्त स्कूल के बनाने में आधा खर्च देने का आश्वासन दिया था ?

(ग) यदि हां, तो सरकार की तरफ से कब कितना रूपया गांव वालों को दिया गया है ?

श्री दामोदर लाल व्यास (विकास मन्त्री की ओर से राजस्व मन्त्री)—(क) रलावता, तहसील किशनगढ, की जनता ने स्कूल की इमारत बनाने में ४२०० रूपये खर्च किये हैं।

(ख) हां, उपरोक्त इमारत बनवाने के लिये सरकार द्वारा भी ४२०० रूपये की स्वीकृति दी गई थी।

(ग) सरकारी सहायता के ४२०० रूपयों में से २१०० रूपये का भुगतान १८।१०।५५ को और शेष २१०० रूपये का भुगतान ३।१२।५५ को किया जा चुका है।

कु'० श्री जसवन्तसिंह—क्या शेष का भुगतान प्रश्न आने के बाद किया गया है ?

श्री दामोदर लाल व्यास—तारीख बतादी है, यह आप खुद अन्दाज लगा सकते हैं कि कब भुगतान किया गया।

कु'० श्री जसवन्त सिंह—यह सवाल आपके पास कब पहुंचा ?

श्री दामोदर लाल व्यास—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, असेम्बली सेक्रेटेरियेट से पता लगा लीजिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३२

चित्तोड जिले की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ली गई सड़कें

श्री सुगनचन्द जैन—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चित्तोड़ जिले के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कें कितने कितने मील की पंचवर्षीय योजना में ली गई हैं ?

(ख) हर एक सड़क पर कितना कितना कार्य हो चुका है तथा अब कितना बाकी है और कब तक बकाया काम पूरा हो जायगा ?

श्री दामोदर लाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब नहीं आ सका है इसलिये इसे अगले टर्न पर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३३

वर्तमान वर्ष में जयपुर डिविजन में वर्षा से क्षति ग्रस्त सड़कें

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(क) चालू वर्ष में जयपुर डिविजन में किस किस सड़क को बारिश की वजह से कितनी कितनी क्षति पहुंची है ?

(ख) कुल कितने मील सड़कें बारिश से टूट गई ?

Page No.3

[श्री चांदमल मेहता]

(ग) उक्त सड़कों में से राजस्थान के निर्माण के बाद कौन कौन सी सड़कें बनी हैं ?

(घ) किन किन सड़कों की कितनी कितनी दूरी की मरम्मत कराई जा चुकी है ?

श्री दामोदर लाल व्यास (सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से राजस्व मंत्री)—

(क) जयपुर डिविजन में वर्षा के कारण लगभग सभी सड़कों को क्षति पहुंची है।

(ख) पूर्णतया कोई भी मील या फर्लांग में कोई भी सड़क नहीं टूटी है। दोनों ओर की मिट्टी की पटरियों को कहीं कहीं नुकसान हुआ है। पक्के हिस्से में बहुत कम क्षति हुई है।

(ग) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) आवश्यक मरम्मत लगभग हो चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री चान्दमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, इस सूची के बारे में मुझे फिर वही शिकायत है और अब तो इसे आखिरी तौर पर दूर किया जाय।

श्री दामोदर लाल व्यास—I am sorry, Sir, I was under the impression that this must have been delivered to him.

श्री अध्यक्ष—By whom it must have been delivered ?

श्री दामोदरलाल व्यास—By the office.

श्री अध्यक्ष—No reply has been sent to this office.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It is not a new thing. Why sorry, it is a chronic disease.

श्री अध्यक्ष—Ordinary copies of replies should be sent to this office but no replies are being sent to this office even.

श्री दामोदरलाल व्यास—आयन्दा इसका प्रबन्ध कर दूंगा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—चीफ मिनिस्टर साहब का तो वायदा पूरा हो गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—May I read this ?

Page No.4

श्री अध्यक्ष—कितनी बड़ी लिस्ट है ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—It will be a very good thing. Let him read.

श्री अध्यक्ष—Other questions will be left.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—What punishment the Government will get ?

श्री अध्यक्ष—But it will be a punishment to the Members.

श्री दामोदरलाल व्यास—Shall I read it or not, Sir ?

श्री अध्यक्ष—No, copy should be given to the Member.

श्री संतोषसिंह कछवाहा—वे तो यही चाहते थे साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास—That will be given.

श्री अध्यक्ष—Next.

प्रश्न संख्या २३४.

मेडता शहर के छात्रालयों के प्रबन्ध एवं उन्हें शासकीय अर्थ सहायता

श्री भोपालसिंह—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मेड़ता शहर में कितने बोर्डिंग हाउस हैं ?

(ख) इनमें छात्रों की संख्या अलग अलग क्या है ?

(ग) क्या इनकी इमारतें सरकार द्वारा बनवाई हुई हैं ?

(घ) क्या इनमें भर्ती करना या कोई हेर-फेर करना हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक के आधीन है या और किसी पार्टी के ?

(ङ) क्या इनमें सुपरिन्टेन्डेंट रखना व दीगर मुलाजिमान रखना मुख्य अध्यापक के अख्त्यार में है या अन्य किसी के ?

(च) इनको, प्रत्येक को, सरकार द्वारा क्या एड दी जाती है और किस आधार से ?

(छ) क्या एड बराबर दी जाती है ?

Page No.5

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) दो।

(ख) एक में ६१ और दूसरे में ६५ छात्र हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) इनमें भर्ती करना व हेर-फेर करना इनकी प्रबन्ध कमेटी व सुपरिन्टेन्डेंट के अधीन है।

(ङ) प्रबन्धक कमेटी को अधिकार है परन्तु मुख्य अध्यापक की सलाह से।

(च) १५७६ रुपया प्रतिवर्ष किसान बोर्डिंग हाउस को।

९९० रुपया प्रतिवर्ष चारभुजा बोर्डिंग हाउस को।

उनके खर्चे के ५० प्रतिशत के हिसाब से दी जाती है।

(छ) जी नहीं, उनके खर्चे के ५० प्रतिशत के हिसाब से।

श्री भोपालसिंह—जाट बोर्डिंग हाउस को ३२ हजार रुपया मकान बनाने के लिए एड में दिया गया है?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह आपकी जानकारी होगी तभी सूचना दे रहे हैं, आप फिर इस पर प्रश्न पूछेंगे तो मालूम करके उत्तर दूंगा।

श्री भोपाल सिंह—मैंने यह प्रश्न पूछा है कि मकान सरकार से बना हुआ है या किसी अन्य का, तो आपको जानकारी करना आवश्यक था।

श्री भोगीलालपंड्या—मैंने अर्ज किया न। अगर आप [ग] का उत्तर सुनते तो यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती। [ग] के उत्तर में मैंने कहा 'जी नहीं' ये शब्द थे।

श्री भोपाल सिंह—आपने कहा कि नहीं बताया मगर मैं जानकारी देता हूँ कि ३२ हजार रुपये दिये गये मकान बनाने के लिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार से बनना, और कोई मकान बनाता है उसको मदद देना ये दोनों अलग चीजें हैं।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—२४ हजार ग्रान्ट इन एड दी गई तो कुल कितना रुपया खर्च किया गया?

श्री पन्ड्या—यह अलग से प्रश्न पूछें तो उत्तर दे सकता हूं।

श्री भोपाल सिंह--एक को दिया गया और दूसरे बोर्डिंग हाउस को नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप प्रश्न में ही पूछ लेते तो मैं उत्तर दे सकता था।

श्री भोपाल सिंह—अगर सभी प्रश्न लिख कर पूछ लिये जायं तो सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है ?

(हंसी)

श्री भोगीलाल पण्ड्या—सप्लीमेंटरी जो प्रश्न से सम्बन्धित हों वे ही पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि ऊटपटांग कहीं से पूछ लिये जांय।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३५

वर्तमान वर्ष में अस्थाई एसिस्टेन्ट इन्जीनियर्स एवं ओवरसियर्स बनाये गये वर्क एजेन्ट्स

श्री चांदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में किन किन वर्क एजेन्ट्स को अस्थाई एसिस्टेन्ट इन्जीनियर बनाया गया ?

(ख) उक्त वर्क एजेन्टों की क्या योग्यतायें हैं और कितने समय का उनका अनुभव है ?

(ग) उक्त नियुक्ति के पूर्व उन्हें क्या क्या वेतन मिलता था और नई नियुक्ति के बाद क्या वेतन मिलेगा ?

(घ) क्या चालू वित्तीय वर्ष में वर्क एजेन्ट्स अस्थाई ओवरसियर भी बनाये गये हैं ?

(ङ) यदि हां, तो किस किस को और उनकी योग्यतायें व अनुभव क्या क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(सार्वजनिक निर्माण मंत्री की ओर से राजस्व मंत्री)

(क) चालू वित्तीय वर्ष में इस विभाग में जिन जिन वर्क एजेन्टों को अस्थाई एसिस्टेंट इन्जीनियर बनाया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं :

१. श्री ललित बिहारी बख्शी

२. श्री नारायण लाल

Page No.7

[श्री दामोदरलाल व्यास]

३. श्री राजकुमार शर्मा

४. श्री समर्थ सिंह बख्शी

५. श्री महेश चन्द्र

६. श्री प्रमोद किशन

(ख इन वर्क एजेन्टों की योग्यता व अनुभव इस प्रकार हैं :

श्री ललित बिहारी बख्शी	बी.एम सी,बी.ई.
श्री नारायण लाल	बी.ई. मैसूर
श्री राजकुमार शर्मा	बी.ई. सिविल जोधपुर
श्री समर्थ सिंह बख्शी	बी.ई. सिविल, जोधपुर
श्री महेश चन्द्र	बी.ई. सिविल जोधपुर
श्री प्रमोद किशन	बी.ई. सिविल जोधपुर सर्व प्रथम ओनर्स

(ग) इन वर्क एजेंन्टों को एसिस्टेन्ट इन्जीनियर के पद पर नियुक्ति के पूर्व इस प्रकार वेतन मिलता था।

श्री ललित बिहारी बख्शी	२०० रू० मासिक
श्री नारायण लाल	२०० रू० मासिक
श्री राजकुमार शर्मा	२२५ रू० मासिक
श्री समर्थ सिंह	२०० रूपया मासिक
श्री महेश चन्द्र	१८० रूपया मासिक
श्री प्रमोद किशन	१८० रूपया मासिक

नई नियुक्ति के पश्चात् का इनका वेतन २५० रूपया है ।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इस विभाग द्वारा केवल एक वर्क इन्स्पेक्टर को अस्थाई ओवरसीयर बनाया गया।

(ङ) उक्त ओवरसियर का नाम श्री बंसीलाल गांधी है, इन्होंने इस वर्ष ए।बी.एम. इन्जीनियरिंग कालेज जोधपुर से ओवरसियरी की परीक्षा पास की है और लगभग ३ मास का अनुभव था।

श्री **चांदमल मेहता**—ये अस्थाई एसिस्टेन्ट इन्जीनियर किस आधार पर बनाये गये हैं ?

Page No.8

श्री दामोदरलाल व्यास—उनकी योग्यता और तजुर्बे के आधार पर।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उनकी नियुक्ति के पूर्व कोई आवेदन पत्र आमन्त्रित नहीं किये गये थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—श्री ललित बिहारी और नारायनलाल इन दो की नियुक्ति तो पी० एस० सी० द्वारा की गई और बाकी चार को आवश्यकतानुसार अस्थाई रूप से ४ माह के लिए नियुक्त किया गया था।

श्री चांदमल मेहता—क्या अस्थाई नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित करने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—योग्यता और अनुभव के आधार पर जिनको योग्य समझा उनको नियुक्ति किया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो ओवरसीयर काफी समय से काम कर रहे हैं उनको एसिस्टेन्ट इन्जीनियर का स्थान नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया न कि उनकी योग्यता और अनुभव को देख कर नियुक्ति की जाती है।

श्री चांदमल मेहता—उनका अनुभव क्या है, यह प्रश्न में होते हुए भी आपने नहीं बताया।

श्री दामोदरलाल व्यास :

श्री ललितबिहारी बख्शी	१ वर्ष ३ माह
श्री नारायणलाल	१ वर्ष ४ माह
श्री राजकुमार शर्मा	१ वर्ष २ माह
श्री समर्थसिंह बख्शी	१ वर्ष ४ माह
श्री महेशचन्द्र	४ माह
श्री प्रमोद किशन	३ माह

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि ऐसे ओवरसियर भी मौजूद हैं जिनको २५ साल का अनुभव है पर उनको नहीं बनाया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि योग्यता भी देखी जाती है, अनुभव के साथ साथ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि योग्यता और अनुभव दोनों की दृष्टि से ऐसे ओवरसियर मौजूद हैं जो इस स्थान के पाने के अधिकारी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या आवेदन पत्र आमन्त्रित करने से पहले जितने ओवरसियर नौकरी में हैं उनकी योग्यता और अनुभव पर पूरा विचार किया गया होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जरूर विचार किया गया होगा।

श्री चांदमल मेहता—होगा नहीं, वास्तव में क्या हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि पहले नं० के दो की तो पी० एस० सी० से नियुक्ति हुई और दूसरों को चार महीनों के लिये अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया।

श्री चांदमल मेहता—उन दो को तो छोड़ दीजिये, दूसरे जो चार हैं उनको क्या अब वापिस हटा दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है; ४ महीने हो गये या नहीं, नियुक्ति ४ महीनों के लिये ही की थी।

श्री चांदमल मेहता—नियुक्ति कब की ?

श्री अध्यक्ष—यह सारी इन्फोर्मेशन थोड़े ही रहती है।

प्रश्न संख्या २३६

किशनगढ़ इन्सपेक्टरेट से एक साथ स्थानान्तरित १७ अध्यापक

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : किशनगढ़ इन्सपेक्टरेट से अभी जो १७ अध्यापक एक साथ बदले गये हैं उसका क्या कारण है तथा जो उनके स्थान पर वहां भेजे गये उनमें से किशनगढ़ के निवासी कितने हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१७ नहीं, १० बदल गये हैं। ये सब जयपुर के रहने वाले थे, इस कारण जयपुर के आस पास उनके निवास स्थान की सुविधा के लिए भेजा गया। इनमें किशनगढ़ का एक भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३७

सरकार द्वारा ३१ अगस्त, १९५५ तक पुनर्ग्रहीत जागीरें

श्री चांदमल मेहता—क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) ३१ अगस्त, सन् १९५५ तक कितनी जागीरों को पुनर्ग्रहण करने के सरकार द्वारा आदेश जारी किये गये ?

(ख) उक्त आदेशों के अन्तर्गत अब तक कुल कितनी जागीरें ली जा चुकी हैं ?

(ग) जयपुर जिले में किन किन जागीरदारों को कितना कितना इन्टेरिम कम्पेन्सेशन दिलाया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) जागीरों को खालसा करने का आधार गिनती न होकर आय समूह है। फोर्मर राजस्थान के जिलों में २०० रुपये तक की वार्षिक आय की जागीर व अन्य जिलों में १००० रुपये तक की जागीर खालसा हो चुकी है।

(ख) अब तक ४८३७ जागीरें खालसा की जा चुकी है ।

(ग) जिन जिन व्यक्तियों को जयपुर जिले में इन्टेरिम कम्पेन्सेशन मिला है वे इस प्रकार है मानचित्र अन्तर्कालीन की रकम जयपुर जिले में जागीरदारों को दी गई।

क्रम संख्या	नाम जागीरदार
१.	राजाधिराज हरिसिंहजी
२.	श्री कल्याणसिंहजी
३.	श्री महारावल संग्रामसिंहजी
४.	श्री नाथूसिंहजी
५.	श्री दुर्गादासजी
६.	श्री धाभाई कृष्णचन्द्रजी
७.	श्री मोतीसिंहजी
८.	श्री प्रभुनारायणजी माथुर
९.	श्री कृष्णगोपालजी व्यास
१०.	श्री बक्षीराधामोहनलालजी

Page No.11

[श्री दामोदरलाल व्यास]

१	२
११.	श्री हरिसिंहजी
१२.	श्री रावधीरसिंहजी
१३.	श्री धाभाई बालकृष्णजी
१४.	श्री सैयद मिस बहादुर रहमानजी
१५.	श्री राजा कानसिंहजी
१६.	श्री हरिसिंहजी
१७.	श्री मुक्तिनायणजी शुक्ल
१८.	श्री बहादुरसिंहजी
१९.	श्री कुशलसिंहजी
२०.	श्री कमालसिंहजी
२१.	श्री हरदयालसिंहजी
२२.	श्री अभयसिंहजी
२३.	श्री ईश्वरसिंहजी
२४.	श्री मनमोहनलालजी तिवारी
२५.	श्री मोहम्मद इफ्तियारखां
२६.	श्री रायकिशनचन्द्रजी
२७.	श्री मुंशी देवनारायणजी
२८.	श्री राजाआनन्दसिंहजी
२९.	श्री बक्षी भागचन्दजी
३०.	श्री अजीतसिंहजी
३१.	श्री जीनधिरेन्द्रसूर्य
३२.	श्री गुलाबचन्दजी
३३.	श्री प्रभुबक्षजी
३४.	श्री रावत कुवेरसिंहजी

[श्री दामोदरलाल व्यास]

१	२
३५.	प० गंगाबक्शजी तिवारी
३६.	श्री गोकलनारायणजी
३७.	श्री पाबूदानसिंहजी
३८.	श्री राजापूरणसिंहजी
३६.	श्री भगवतसिंहजी
४०.	श्री ठाकुर जयसिंहजी
४१.	श्री मुरारीदानसिंहजी बारैठ
४२.	श्री दामोदरजी
४३.	श्री गोपालनारायणजी
४४.	श्री बैरीसालसिंहजी
४५.	श्री मानसिंहजी
४६.	श्री रामसिंहजी
४७.	श्री मदनसिंहजी
४८.	श्री भूरामलजी जमादार
४६.	श्री भट्टराज रविशंकरजी

श्री चांदमल मेहता—यह इन्ट्रेरिम कम्पेन्सेशन जिस आधार पर दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह जागीर रिज़म्श एक्ट के आधार पर दिया गया है ।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने और प्रार्थनापत्र सरकार के पास हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से प्रश्न है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय सदस्य इस बात को बतावेंगे कि जागीर कमीश्नर के आदेश कम्पेन्सेशन देने के होने पर भी कलेक्टर द्वारा नहीं दिये जाते हैं ? क्या ऐसी एग्ज़ाम्पल्स आपके ध्यान में हैं ?

Page No.13

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि उनियारा जागीरदार को कम्पेन्सेशन देने के लिये जागीर कमीश्नर द्वारा आज्ञा दे दी गई थी मगर किसी मंत्री के टेलीफोन द्वारा वह बन्द करा दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह बात बिल्कुल सही है। उनियारा जागीरदार साहब ने १९४७ से १९५४ तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (अश्रव्य) सेस का एक पैसा भी नहीं दिया। राजस्थान सरकार ने वक्त वक्त पर उनका ध्यान आकर्षित कराया मगर वे किसी न किसी बहाने इसको टालते ही रहे। कलेक्टर ने इसको पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के मातहत एटेच कर ली क्योंकि डिस्ट्रक्ट बोर्ड की सेस उनको रिकवर करनी थी।

श्री सरदारसिंह—अभी पेपर्स में निकला है कि सीकर राव राजा में डिस्ट्रिक्ट सेस के वसूल किये। उन पर भी ३६ हजार बाकी हैं। दो लाख बाकी हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या जो आदेश जागीर कमीश्नर द्वारा दिए जाते हैं उनको रोकने का अधिकार है।

श्री दामोदरलाल व्यास—उन्होंने रोका नहीं। उनको जो पब्लिक रिकवरी डिमान्ड एक्ट के जरिये वसूल करने का आधिकार है उनका उपयोग किया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—मैं दूसरी बात जनरल कह रहा हूं। क्या जागीर कमीश्नर आज्ञा इन्टेरिम कम्पेन्सेशन की दे तो उसको रोकने का कलेक्टर को अधिकार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कलेक्टर को रोकने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन अगर कलेक्टर कोई मुतालबा वसूल करने के लिये उसको एटेच करना चाहे तो कर सकता है। इसका उसको अधिकार है।

श्री जवानसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतावेंगे कि उनके ध्यान में यह बात है कि कलेक्टर के ऑफिस से जागीरदारों को कम्पेन्सेशन जब तक नहीं दिया जाता जब तक वे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं लेते ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं आई।

श्री खेतसिंह—क्या सारी जागीरों को रिज्यूम करने की कोई आखिरी तारीख भी मुकर्रर रखी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं ऐसी कोई तारीख मुकर्रर नहीं है क्योंकि ज्यों ज्यों सेटलमेंट होता जाएगा त्यों त्यों रिज्यूम करली जावेंगी।

Page No.14

श्री **जवानसिंह**—छोटे जागीरदार कम्पेन्सेशन लेने के लिये जाते हैं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैर लिये रूपये नहीं दिये जाते, क्या सरकार को यह मालूम है ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—ऐसी बात सरकार के नोटिस में नहीं है। अगर कोई केस सरकार के नोटिस में लाया जावेगा तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आप चूरु कलेक्टर को पूछिये और दूसरा उसी माफिक ऑफिस का खर्चा है उसके लिये भी रुपया मांग किया जाता है। कृपा करके पूछिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—चूरु कलेक्टर से तो मैं जरुर पूछूंगा मगर माननीय सदस्य भी इस सम्बन्ध में जो उनको जानकारी है उसकी इत्तिला दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री **अध्यक्ष**—We hope he (Churu Collector) will give information-

श्री **सरदारसिंह**—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सेस के कितने रुपये उनियारा में बाकी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—दो लाख।

श्री **सरदार सिंह**—फोर्म कितने लाख के भरे गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—कम्पेन्सेशन जितने रुपयों का दिया गया उतने ही का फोर्म भरा गया होगा।

श्री **सरदारसिंह**—जागीर रिजम्पशन के फोर्म कितने लाख के भरे गये ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये।

श्री **सरदारसिंह**—क्या सरकार के ध्यान में यह आदेश है कि ठिकानों को कम्पेन्सेशन देते समय उनके खिलाफ डेट (debt) न काटे जावें।

श्री **दामोदरलाल व्यास**—जागीर रिजम्पूशन एक्ट में नहीं काटे जा सकते हैं, मगर उसने पब्लिक डिमान्ड रिकवरी के अनुसार लिया है; उसका उसको अधिकार है, जिसके लिये उसने आपको पहले नोटिस दिया था।

श्री सरदारसिंह—नोटिस कब दिया गया ?

श्री **दामोदरलाल व्यास**—आप जानते हैं कब दिया गया।

श्री सरदारसिंह—नोटिस पहले दिया गया या बाद में दिया गया।

Page No.15

श्री दामोदरलाल व्यास—वह पहले से ही दिया गया।

श्री सरदारसिंह—क्या आप इसके लिये चैलेंज मंजूर करने के लिये तैयार है?

एक माननीय सदस्य—कौन से मंत्री ने इसको रोकने के लिये टेलिफोन पर कहा था?

श्री दामोदरलाल व्यास—कलेक्टर को अधिकार है पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट के मातहत।

श्री अध्यक्ष—Let both sides, which have personal interest clash.

श्री दामोदरलाल व्यास—There is no personal interest.

श्री अध्यक्ष—It seems so.

श्री दामोदरलाल व्यास—On that side it may be felt but on this side it is not so.

श्री मानसिंह महार—कम्पेन्सेशन के फोर्म कब तक छप जावेंगे?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी ही छप जावेंगे।

श्री खेतसिंह—क्या यह समझा जावे कि जिन जागीरों में अभी तक सेटलमेंट नहीं हुआ है उनको रिज्यूम नहीं किया जावेगा।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री शंभूसिंह।

प्रश्न संख्या २३८

करेडा (जि॰ भीलवाड़ा) से उदयपुर जिले के भीम तक जाने वाली सड़क

श्री शंभूसिंह—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भीलवाड़ा जिले के करेडा से उदयपुर जिले के भीम तक जाने वाली फेयरवेदर रोड का काम कितने मील कराया जाकर बन्द किया गया है?

(ख) बकाया काम कब तक करा दिया जावेगा?

Page No.16

[श्री रावत शंभूसिंह]

(ग) क्या सरकार उपरोक्त सड़क की जगह पक्की सड़क बनावेगी ? यदि हां तो कब तक ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) भीलवाड़ा जिले में करेडा से उदयपुर जिले के भीम कस्बे तक फैयर वैदर (कच्ची) सड़क का काम सन् १९५० के अकाल के समय किया गया था । अकाल समाप्ति युमापिक पर यह कार्य स्थगित कर दिया गया ।

(क) कच्ची सड़कों की वर्षाउपरान्त आवश्यकतानुसार मरम्मत करा दी गई है । उक्त सड़क को पक्की बनाने का कार्य द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, स्वीकृति पर कराया जावेगा ।

(ग) प्रश्न का उत्तर (ख) में दिया जा चुका है ।

श्री शंभूसिंह—कितने मील का काम करा कर रोका गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह काम फेमीन रिलीफ में कराया गया था ।

श्री शंभूसिंह—कितने मील तक कराया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इस प्रश्न को 'क' भाग में पूछा गया है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न का 'क' भाग । "भीलवाड़ा जिले के करेडा से उदयपुर जिले के भीम तक जाने वाली फेयर वेदर रोड का काम कितने मील कराया जा कर बन्द किया गया है ?"

(विराम)

श्री मानसिंह महार—इसका उत्तर कब तक आ जायगा ?

श्री दामोरदलाल व्यास—कितने माइल हैं, यह इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है । मैं दे दूंगा ।

कुं० श्री जसवन्त सिंह—यह इन्होंने पूछा है ।

श्री शंभूसिंह—कब तक पूरी कर रहे हैं इसको ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—Half an hour discussion can be raised.

कु'० श्री जसवन्तसिंह—I may submit one thing, Sir, when a definite question has been asked why there is no reply ?

श्री अध्यक्ष—If they ignore then the Members have other rights.

कु'० श्री जसवन्तसिंह—So the Minister concerned has no reply.

श्री दामोदरलाल व्यास—You can have half-an-hour discussion.

प्रश्न संख्या २३९

छोटे २ उद्योगों के प्रोत्साहनार्थ ऋण हेतु स्वीकृति धन-राशि

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए १ जनवरी, १९५५ के बाद कुल कितने रुपये कर्ज के लिये स्वीकृत किये गये ?

(ख) उक्त स्वीकृत रकम में से कितनी रकूमात दी जा चुकी हैं ?

(ग) ऐसे कौन २ व्यक्ति या फर्म हैं जिनके लिये कर्ज स्वीकृत होने पर भी नहीं दिया गया है ?

(घ) उक्त व्यक्तियों को कर्ज की रकम नहीं देने का क्या कारण है ?

(ङ) कितने व्यक्तियों को कर्जा स्वीकृत किये जाने के मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मंत्री)—(क) ३,६०१००) रु०

(ख) १,५७,०००) रु०

(ग) ऐसे व्यक्ति व फर्म जिनको भुगतान ऋण स्वीकृत होने पर भी नहीं दिया जा सका है, उनकी तालिका इस प्रकार है :

१.	मेसर्स राजस्थान आइरन मेटल फाउन्डरी, उदयपुर	४०००) रु०
२.	,, सनातन धर्म मूर्ति स्टेट्यूट वर्क्स, भींडों का रास्ता, जयपुर	४०००)
३.	,, हिन्द आयुर्वेदिक फार्मेसी लि०, जोहरी बाजार, जयपुर	३५००)
४.	,, काशीनाथ गुप्ता, प्रो० नवयुग प्रेस, भरतपुर,	५०००)

[श्री भोगीलाल पंड्या]

५. मेसर्स रोलाक्स फार्मास्युटिकल वर्क्स, सूरजपोल, उदयपुर ५०००)
६. ,, जनरल स्टोर्स, अलवर ५०००)
७. ,, जयमहेषसिंह, भैरू का चबूतरा, आउटसाइड मालाखेडा गेट, अलवर ५०००)
८. ,, रतनगढ़ चमडा उत्पादक सहकारी समिति लि०, गंगानगर १६००)
९. ,, लटिक नेरी उत्पादक सहकारी समिति लि०, गंगानगर १०,०००)
१०. ,, नवभारत इन्डस्ट्रीज़ उदयपुर ५,०००)
११. ,, राजस्थान आइरन मेटल फाउन्ड्री, उदयपुर ६,०००)
१२. ,, कोटा रबर इन्डस्ट्रीज़ ,कोटा ५,०००)
१३. ,, अब्बास वीविंग फेक्ट्री, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़, नाथद्वारा ५,०००)
१४. ,, राजस्थान इन्डिस्ट्रियल टूल मेन्यूफेक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लि०, नागौर ५०००)
१५. ,, विष्णुदत्त पुरोहित, भिश्तियों का बास, जोधपुर ५,०००)
१६. ,, सूरजमल वैद्य, मांगरोल फ्लोर दाल मिल, चाफ कटिंग २,५००)
१७. ,, हरिवल्लभ श्री पुरुषोत्तमदास उपाध्याय, इत्र गुलाबजल मेन्यूफेक्चरिंग, नाथद्वारा ३,०००)
१८. ,, सरदार शहर चमड़ा उत्पादक समिति, सरदार शहर ३,०००)
१९. ,, मित्तल केमीकल इन्डस्ट्रीज, भरतपुर ३,०००)
२०. ,, नवयुग प्रेस, गंगापुर २,०००)
२१. ,, जटिया उत्पादक कॉआपरेटिव सोसाइटी, निम्बीखुर्द, नागौर ५,०००)
२२. ,, श्री गंगा चमड़ा उत्पादक सहकारी समिति लि०, विसालपुर १०,०००)
२३. ,, आर. के इन्डस्ट्रीज़, जयपुर ५,०००)
२४. ,, नेशनल डाइन्ग एन्ड प्रिन्टिंग वर्क्स, मदनगंज, किशनगढ़ ५,०००)

(शेष के लिये कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मानसिंह महार—एक घंटा इसी में लग जायगा।

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर कॉपी दे देते हैं तो उन्हीं को मालूम होता है।

श्री अध्यक्ष—कॉपी तैयार नहीं है।

श्री भोगीलाल पंड्या—कॉपी तो तैयार है।

श्री अध्यक्ष—In order to save time I have requested more than once that copies of replies should be sent to this office earlier so that one copy may be delivered to the member concerned and instead under the pretence of making it known to the

(विरोधी पक्ष द्वारा "हियर, हियर" एवं करतल-ध्वनि)

House the time should not be wasted.

श्री भोगीलाल पंड्या—दूसरों को मालूम नहीं होता है इसलिए पढ़ रहा था।

श्री अध्यक्ष—लंबी लिस्ट हो तो दे दीजिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—कॉपी तो दे दी गई थी।

(घ) तालिका की क्रम संख्या १ से ४ पर दिए गए व्यक्तियों ने ऋण लेने सम्बन्धी कार्यवाही पूरी नहीं की, इनका रुपया सरकार के खजाने में वापिस जमा करा दिया गया।

क्रम संख्या ५ से २१ तक व्यक्तियों का रुपया खजाने से अब तक अकाउन्टेन्ट जनरल की पे आथोरिटी में कुछ शर्तें रखने से नहीं उठाया गया। अब इस पे अथोरिटी का निश्चित समय खत्म हो जाने से अकाउन्टेन्ट जनरल को समय बढ़ाने के लिए लिखा गया है।

क्रम संख्या २२ से २७ तक के व्यक्तियों के बिल्स सम्बन्धित अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं और भुगतान जल्दी कर दिया जावेगा।

क्रम संख्या २८ से ४६ तक के व्यक्तियों का रुपया राजस्थान सरकार की बजट बढ़ोतरी की स्वीकृति आने पर भुगताया जावेगा।

(ध) अब कर्जा स्वीकृत किए जाने के करीब २५ मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री चांदमल मेहता:—जिन लोगों को रुपया स्वीकृत होने पर भी नहीं दिया गया है उनको, क्या यह सही है कि, छः महीने का अधिक अर्सा गुजर जाने पर भी नहीं मिला है।

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैंने अपने उत्तर में बता दिया गया है, जिन कारणों से नहीं मिले हैं। वे कारण भी बता दिए हैं। आपने सुन लिया होगा।

श्री चांदमल मेहता:—क्या सरकार भविष्य में ऐसी व्यवस्था करने का विचार रखती है कि कर्जा स्वीकृत होने पर जल्दी लोगों को मिल जाय ?

Page No.20

श्री भोगीलाल पंड्या:—सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि स्वीकृति होते होते रकम मिल जाय। २ लाख रुपया स्वीकृत हुआ था, मैं आपको बताऊं कि उसको बढ़ाकर २ लाख ४६ हजार मंजूर किए। ज्यादा रुपये दिए जाने की कोशिश की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता:—क्या ज्यादा रुपया स्वीकृत बजट में नहीं है इसलिए ये मामले रुके हुए हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैंने सारे कारण आपको बता दिये थे। आप चाहें तो मैं फिर से पढ़ दूं।

श्री चांदमल मेहता:—आपने बताया कि जल्दी ही मिल जायगा। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस बारे में कोई फाइनेन्शियल स्वीकृति की इन्तजार में ये रुपये रुके हुये हैं ?

भोगीलाल पंड्या:—मैंने ज्यादा रुपयों के लिए बताया था। एक कारण तो यह बताया था कि जिनको रुपया मंजूर हुआ उन्होंने समय पर ऋण सम्बन्धी कार्यवाही को पूरा नहीं किया इसलिए रुपया वापिस सरकारी खजाने में जमा कराना पड़ा। दूसरा मैंने यह बताया था कि बजट में जितना रुपया था उससे ज्यादा स्वीकृत हुए। तीसरे का कारण यह बताया था कि जिन व्यक्तियों को रुपया स्वीकृत हुआ उन्होंने कार्यवाही समय पर की नहीं। उनकी कार्यवाही समय पर नहीं पहुंची इसलिए उनको रुपया नहीं मिल सका।

श्री चांदमल मेहता:—ज्यादा रुपया दिया जा चुका तो ज्यादा रुपये दिये जाने की बात नहीं है किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फाइनेन्शियल स्वीकृति की वजह से उनको रुपया नहीं मिल सका है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—मैंने 'स्वीकृत' शब्द कहा था। ज्यादा स्वीकृत किया गया था, उसके लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट से स्वीकृत करने की मांग की गई है; वह स्वीकृत हो चुका है।

श्री चांदमल मेहता:—जिन लोगों को रुपया दिया जाना है तो क्या उनके लिए कोई अवधि निश्चित की जा सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—निर्धारित की गई कार्यवाही को पूरा करा लेंगे तो उनको रुपया मिल जावेगा। यह उनके ऊपर निर्भर है कि वे खाना पूरी कर लें।

श्री चांदमल मेहता:—क्या यह सही है कि जिन लोगों को रुपया स्वीकृत हुआ है वे लोग तो तैयार हैं कि कार्यवाही करा ली जाय लेकिन सरकार के पास रुपया नहीं है इसलिए उनके बार बार कहने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:—ज्यादा रुपया स्वीकृत हो गया है, ज्यों ही वह मिलेगा उनको दे दिया जावेगा।

श्री चांदमल मेहता:—क्या यह सही है कि···

(घंटी)

श्री अध्यक्ष:—नेवस्ट।

प्रश्न संख्या २४०.

करेडा, मांडल, रायपुर व साहडा में प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली सड़कें

श्री शंभूसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) भीलवाड़ा जिले की तहसील करेडा, मांडल, रायपुर और साहडा में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन कौन सी सड़कें कहां से कहां तक जाने वाली बनाई जावेंगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (निर्माण मंत्री की ओर से)—भीलवाड़ा जिले की तहसील करेडा, मांडल, रायपुर और साहडा में प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाली सड़कें निम्न प्रकार हैं:

१—मांडल से आसिंद	१७ मील
२—मांडल से देवगढ़	३ मील
३—आसिंद से बदनोर	८ मील
४—गंगापुर साहड़ा सड़क	२½ मील
५—मांडल स्टेशन से नसीराबाद तक नीम्बा हेड़ा सड़क तक	१ मील

इन सड़कों के अतिरिक्त निम्नलिखित सड़कें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं:

भीम से करेडा	१६ मील। ८ मील पक्की बनेगी।
करेडा से गंगापुर सड़क को	

[श्री दामोदरलाल व्यास]

मांडल आसिंद सड़क को	२४ मील जायगी। ७ मील पक्की।
दौलतपुरा से मिलाना।	४ मील पक्की।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्री तेजमल बापना।

प्रश्न संख्या २४१

जागीर खैरावास जिला भीलवाड़ा का पुनर्ग्रहण एवं सिंचाई का बड़ा तालाब जागीरदार द्वारा फोड़ना

श्री सुगनचन्द—(प्रश्नकर्ता श्री तेजमल बापना की अनुपस्थिति में) क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जागीर खैरावास जिला भीलवाड़ा कब पुनर्ग्रहीत की गई ?

(ख) यहां कितने तालाब हैं और उनमें से किस २ से काश्तकारों की भूमि सिंचित होती है ?

(ग) क्या सिंचाई होने वाले तालाबों को सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है ? यदि नहीं लिया तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि यहां का एक बड़ा तालाब जो सरकारी है सिंचाई के काम आता है ?

(ङ) क्या यह सही है कि जिलाधीश के रोक के आदेश होने पर भी जागीरदार ने करीब २०० व्यक्तियों का मजमा नाजायज एकत्रित किया और शस्त्रों के प्रदर्शन से सरकारी अधिकारियों व किसानों को आतंकित कर इस बड़े तालाब को फोड़ दिया ?

(च) सरकार इस प्रकार की बेजा व नाजायज हरकत को रोकने व भविष्य में इस तालाब पर नियन्त्रण करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री) : (क) जागीर खैरावास, जिला भीलवाडा की पुनर्ग्रहण की अवधि ...

(ख) यहां दो तालाब होना बताया जाता है उनसे काश्तकारों की भूमि सिंचित होने व न होने की जांच की जा रही है।

Page No.23

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ग) सरकारी नियन्त्रण में लेने का प्रबन्ध...

(घ) बड़े तालाब के विषय में जांच होने पर अन्तिम निर्णय हो सकेगा।

(ङ) मोरियां नहीं खोलने का आदेश होते हुए भी जागीरदार ने ५०, ६०, जागीरदारों को इकट्ठा करके मोरी खोल ली। तहसीलदार भीलवाडा मोके पर पहुंचे, वहां चन्द जागीरदार मजमे की शक्ल में इकट्ठे हो रहे थे उन्होंने उनको बदशब्द कहे।

(च) तालाब पर कुर्की कर दी गई है।

(लिखित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

श्री शंभूसिंह—क्या यह सही है कि मोरी वक्त पर नहीं खोलने की वजह से जमीन पानी में डूब गई और जागीरदार को हजारों मन अनाज का नुक्सान हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं। बल्कि जागीरदार ने बावजूद आज्ञा के भी मोरी जबर्दस्ती खोल ली जिसकी कार्यवाही हो रही है।

श्री सोहनलाल भटनागर—जांच कब से प्रारम्भ हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जब से यह डिस्प्यूट है।

श्री सोहनलाल भटनागर—यह कब हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—बरसात में हुआ जब से यह शुरु है। मैं यह अर्ज कर दूं कि इस सम्बन्ध के पुराने कागजात को देखना पड़ेगा। डिस्प्यूट यह है कि एक पार्टी कहती है कि सिंचाई होती है और दूसरी पार्टी कहती है कि सिंचाई नहीं होती है। इसमें समय लगना स्वाभाविक है ताकि मुकम्मिल जांच हो जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या यह जागीर सेटल्ड है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां।

श्री सोहनलाल भटनागर—जब सेटल्ड है तो रेकर्ड आफ राइट्स में यह अधिकार नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच हो रही है। रेकर्ड आफ राइट्स में अधिकार है, एक पार्टी इसको चेलेन्ज कर रही है इसलिए जांच हो रही है।

प्रश्न संख्या २४२

राजस्थान में राजस्व विभाग द्वारा रेवेन्यू एजेन्ट्स लिये जाने हेतु परीक्षा एवं उस परीक्षा के विषय

श्री हिम्मतसिंह—Will the Revenue Minister be pleased to state:

(a) Is it a fact that the Revenue Department has recently held a competitive Examination for the recruitment of 'Revenue Agents' in Rajasthan so as to enable them to practice in any Revenue Court in the State?

(b) What course had the Department prescribed for this examination?

(c) Is it a fact that the Rajasthan Land Revenue Bill, 1954, was also one of the compulsory subjects in the examination?

श्री दामोदरलाल व्यास—(a) Yes.

(b) The course was according to the prescribed rules, viz. "Regulations for conducting examinations for enrolment of Revenue Agents in Rajasthan, 1953."

(c) Yes.

श्री हिम्मतसिंह—इसके अन्दर सब्जेक्ट्स (Subjects) कौन कौन थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—There were various subjects, viz General knowledge, Hindi, Civil Procedure Code, Evidence Act, Land Revenue Bill, etc.

श्री भेरूसिंह—जब कि लैंड रेवेन्यू बिल पास ही नहीं हुआ तो इसमें कैसे रखा गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास—लेन्ड रेवेन्यू बिल जो कि सिलेक्ट कमेटी द्वारा पास था उसी को रखा गया, कम से कम केन्डीडेट्स को यह तो पता चल सके कि राजस्थान में लैंड रेवेन्यू सिस्टम जारी हो चुका है।

श्री जसवन्तसिंह—सिलेक्ट कमेटी द्वारा पास किया हुआ कौन सा बिल, क्या यह वही बिल है जो सरकार ने गलत पेश किया था ?

श्री दामोदर लाल व्यास—गलत बिल तो कोई पेश नहीं किया है, यह तो आपकी ही जानकारी है लेकिन लेन्ड रेवेन्यू बिल इसमें अवश्य था।

श्री भेरूसिंह—कौन सा लेन्ड रेवेन्यू बिल था ?

श्री दामोदर लाल व्यास—जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा पास किया गया था।

श्री भैरोंसिंह—इम्तहान देने वालों को क्या पता चले कि एज़ इन्ट्रोड्यूस्ड था; as introduced or as sent by the select Committee ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह प्रेस्क्राइब कर दिया गया था, इम्तहान देने वालों को जरूर पता था।

श्री सोहनलाल भटनागर—वकीलों की कमी थी क्या जो रेवेन्यू एजेन्टस् काम में लिए गये ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट

प्रश्न संख्या २४३.

भीलवाड़ा में स्थापित किये जाने वाले वाटर वर्क्स

श्री तेजमल बापना—Will the Minister for P. W. D. (B & R) please reply to the following question:—

(1) whether the Government has decided to establish water-works in Bhilwara town ?

(2) Which is the site selected for water-works and what is the progress made so far ?

(3) When is it expected to be established and start functioning ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(1) Yes.

(2) The site proposed is near Mok village which is at a distance of one and a half mile from Bhilwara. The Collector, Bhilwara, has been informed for taking necessary action.

(3) It will start functioning by December, 1958.

रावत श्री शम्भुसिंह—जब यह १६५८ तक बनेगा तब तक के लिये पानी का क्या इन्तजाम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पानी का वहां इन्तजाम है।

Page No.26

प्रश्न संख्या २४४

श्री अध्यक्ष—श्री धूलजी भाई।

श्री धूलजी भाई—इसका जवाब मिल गया है, यह दुबारा पूछा गया है।

प्रश्न संख्या २४५

भूतपूर्व मत्स्य राज्य के माइनिंग इन्स्पेक्टर्स का राजस्थान निर्माण के पश्चात् फिक्सेशन

श्री चांदमल मेहता—क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के निर्माण के बाद भूतपूर्व मत्स्य स्टेट के माइनिंग इन्सपेक्टर्स को किन किन स्थानों पर नियुक्त किया गया है ?

(ख) उक्त इन्सपेक्टर्स के नाम योग्यता व लेंग्थ ऑफ सर्विस कितनी है ?

(ग) उक्त इन्सपेक्टर्स में से ऐसे कितने है जिनको इस वक्त लोअर डिविजन क्लर्क बना दिया गया है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है ?

(घ) ऐसे कौन इन्सपेक्टर्स है जिन्हें टेक्निकल जोब्स दिये गये हैं और उनके टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या क्या है ?

(ङ) ऐसे कौन कौन इन्सपेक्टर्स हैं जिनको अकारण डिग्रेड किये जाने की वजह से उनकी तरफ से अपीलें हुई हैं।

(च) अपीलें कब पेश हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खनिज मंत्री) (क)—श्री तुहीराम माइन्स फोरमैन

श्री फतहसिंह फील्ड असिस्टेंट

श्री दयाशंकर ,,

श्री गोविन्दलाल अपर डिविजन क्लर्क

श्री बनारसीदास फील्ड असिस्टेंट

श्री महाराज बहादुर ,,

श्री फूलचन्द जैन लोअर डिवीजन क्लर्क।

[श्री भोगीलाल पण्ड्या]

(ख)	योग्यता		लेंग्थ ऑफ सर्विस
	एकेडेमिक	टेक्निकल	तारीख नियुक्ति
श्री तुहीराम	हिन्दी वर्नाकुलर मिडिल	कुछ नहीं	१६. ५. २१
श्री फतहसिंह	मैट्रिक	,,	२३, १, ३६
श्री दयाशंकर	,,	पिलानी सरवे ट्रेन्ड	५,१०, ३६
श्री गोविन्दलाल	नोनमैट्रिक	कुछ नहीं	६, ११ ,४०
श्री बनारसीदास	मैट्रिक	पिलानी सरवे ट्रेन्ड	१, ६, ४८
श्री महाराज बहादुर	नोनमैट्रिक	कुछ नहीं	२२, १२, ४८
श्री फूलचन्द जैन	,,	,,	८, १ , ४६

(ग) श्री फूलचन्द जैन को लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया गया है।

(घ) श्री तुहीराम, श्री फतहसिंह, श्री दयाशंकर, श्री बनारसीदास, श्री महाराज बहादुर।

(ङ) श्री तुहीराम टेकनिक्ल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं

श्री फतहसिंह ,,

श्री दयाशंकर पिलानी सरवे ट्रेन्ड

श्री बनारसीदास ,,

श्री महाराज बहादुर कुछ नहीं

(च) श्री फूलचन्द नान मैट्रिक, कुछ नहीं।

(छ) कोई नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उक्त सब लोगों की अपीलें जो १६५४ के शुरू में पेश हुई राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जयपुर को असल ही वास्ते उचित निर्णय इस कार्यालय के गोपनीय संख्या एम० जी० इ० एस० टी ४२१, १०४७ दिनांक ८, ४, ५४ के साथ साथ भेज दी गई थी।

उक्त अपीलों में से श्री बनारसीदास। श्री फतहसिंह व श्री महाराज बहादुर की अपीलों को राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने रद्द कर दिया और इसकी सूचना भी इन लोगों को २२, २, ५५ को दे दी गई।

[श्री भोगीलाल पण्ड्या]

श्री दयाशंकर को कमीशन की सिफारिश पर कार्यवाही माइन्स फोरमेन बना दिया गया।

श्री फूलचन्द जैन की अपील पर पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह पूछा कि श्री फूलचन्द मत्स्य में ८. १, ४९ से स्थाई तौर पर इन्सपेक्टर थे, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनको किसी भी टेक्निकल जगह पर नियुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। इसके उत्तर में इस कार्यालय से यह लिख दिया गया कि श्री फूलचन्द जैन मामूली हिन्दी जानते हैं और माइन्स फोरमेन तो क्या एक क्लर्क का काम भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते और नहीं इनकी टेक्निकल योग्यता है, इसलिये इनको लोअर डिवीजन क्लर्क बनाया गया है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या किशनगढ़ के सब सवाल खत्म हो गये जो अब दूसरे स्थानों पर आक्रमण होने लगा है ?

श्री अध्यक्ष—आगे और प्रश्न हैं।

प्रश्न संख्या २४६

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न का जवाब नहीं आ सका है इसलिये इसका जवाब अगली टर्न पर दूंगा।

प्रश्न संख्या २४७

सन् १९५१ से १९५३ तक देहरादून हायर सरवे ट्रेनिंग हेतु भेजे गये व्यक्तियों पर व्यय एवं उनका अब उपयोग

श्री अंगदराम शास्त्री—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१–५२–५३ में हायर सरवे ट्रेनिंग में राजस्थान से कितने आदमी देहरादून भेजे गये थे ?

(ख) उनका ट्रेनिंग खर्च क्या क्या हुआ ?

(ग) यह ट्रेनिंग किस काम के लिये दिलाई गई ?

(घ) क्या सरवे ट्रेनिंग यहां नहीं हो सकती थी ?

[श्री अंगदराम शास्त्री]

(ङ) अब इन ट्रेनिंग शुदा व्यक्तियों से क्या काम लिया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) सन् १९५१ में हायर ट्रेनिंग के लिये राजस्थान से तीन व्यक्ति भारत सरकार के पत्र संख्या २० । २ । ५० दिनांक २६. ६. ५० के अनुसार देहरादून भेजे गये थे । ५२ व ५३ में कोई नहीं भेजा गया ।

(ख) उन पर ट्रेनिंग खर्च लगभग ३१०० रुपया प्रति व्यक्ति आया ।

(ग) यह ट्रेनिंग विश्व के नवीनतम ढंग से सर्वे सिखाने के लिये दी गई थी।

(घ) इस किस्म की ट्रेनिंग यहां नहीं हो सकती ।

(ङ) इनमें से दो व्यक्ति तो एस० एस० ओ. कम ए० आर० ओ. के पद पर काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति नायब तहसीलदार की जगह काम कर रहा है ।

श्री अंगदराम शास्त्री—इन आदमियों से हायर सरवे ट्रेनिंग का काम क्यों नहीं लिया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लिया जा रहा है ।

प्रश्न संख्या २४८.

भीलवाडा के दूर की तहसील व थानों से सम्बन्ध रहने वाले ग्रामों के कष्ट निवारण संबन्धी शासकीय कार्यवाही

श्री जयसिंह—क्या मुख्य मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर और पुलिस विभाग के अफसरान की कई बैठकें जिला भीलवाड़ा के हैड क्वार्टर व एक दो मर्तवा कमिश्नरी कार्यालय उदयपुर में इसलिये बुलाई गई थी कि कई गांव जो रेवेन्यू व पुलिस पोइन्ट ऑफ व्यू से किसी तहसील या थाने से निकट होने के बावजूद भी उनका सम्बन्ध दूर की तहसील व थानों से है और उससे जनता को जिन अनावश्यक तकलीफों में पड़ना पड़ता है उन्हें तुरन्त दूर किया जाय ?

(ख) क्या यह भी सही है कि वह भी समस्या अब तक हल नहीं हुई ?

(ग) क्या जनता के कष्ट को सरकार अब भी शीघ्र हल करने जा रही है, यदि हल कर रही है तो कबतक । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राजस्व मंत्री)—(क) इस सम्बन्ध में पहले सुपरिन्टेन्डेन्ट्स ऑफ पुलिस की कोफ्रेन्स में discussion हुआ। सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस, भीलवाड़ा ने अपने proposals जिलाधीश के पास भेजे। जिलाधीश तथा सुपरिन्टेन्डेन्ट ऑफ पुलिस में इस बारे में बातचीत हुई थी। कोई formal meeting नहीं हुई।

डी. आई. जी. पी. उदयपुर ने इस तरह के proposals. आई. जी. पी. को ता० २५. ११. ५५. को भेजे जिन्होंने सरकार के पास ता० १३. १२. ५५. को sanction के लिये भेजे हैं।

(ख) ग्राम चंद्रास व गोदास के बारे में डी. आई. जी. पी, उदयपुर से आई. जी. पी. ने मजीद दरयाफ्त किया है।

(ग) इस पर शीघ्र ही विचार किया जायगा। जहां तक हो सकेगा इस मसले को हल करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री अध्यक्ष —(राजस्व मन्त्री से) मैं आपको यह बता दूं कि जिस प्रश्न २४८ के जवाब के लिये आपने कहा था कि वह मेरे पास नहीं आया लेकिन हमारे दफ्तर में तो भेजा है। किसने भेजा है, यह पता नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास—I am sorry, Sir, in spite of my attempts I could not get it. Perhaps it is due to some mistake in the office.

प्रश्न संख्या २४९

तहसीलों की सीमा निर्धारण में विधान सभा के सदस्यों की सम्मति लेना

श्री भोपालसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या नई तहसीलों की सीमा निर्धारित करते समय एम. एल. एज़ की राय भी ली जाती है?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(ग) क्या एम. एल. ए. द्वारा जो सुझाव रखे गये हैं उन पर ध्यान देना सरकार ने उचित नहीं समझा?

(घ) क्या जो डेगाणा तहसील कायम की गई है उसमें आलनीयास. सर्किल वह बुटारी सर्किल रखे गये हैं?

Page No.31

[श्री भोपालसिंह]

(ङ) क्या सरकार अब भी इन दो सर्किल्स को वापिस मेड़ता तहसील में रखने की कृपा करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) नहीं ली गई थी।

(ख) समय कम था।

(ग) एम. एल. एज़ के सुझावों पर उचित विचार हमेशा किया जाता है।

(घ) आलनियास व बूटारी सर्किल डेगाना में लेने बाबत मामला विचाराधीन है।

(ङ) इस बारे में उचित कार्यवाही की जा रही है।

श्री भोपालसिंह—कहां के एम. एल. ए. की राय पर विचार होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जो भी एम. एल. ए. अपने विचार प्रगट करते हैं उन पर अवश्य गंभीरता से विचार करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—सिवाय उणियारा के रावराजा के ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या उणियारा से तहसील हैडक्वार्टर हटाने के बारे में उणियारा के राव राजा साहब को पूछा गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह किसी से पूछा नहीं जाता, बल्कि एम.एल. ए साहबान खुद सुझाव देते हैं।

श्री मानसिंह महार—क्या इनकी राय लेकर उणियारा की तहसील हटाई गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—राय लेने का सवाल नहीं, सुझाव देते हैं उन पर विचार किया जाता है।

श्री मानसिंह महार—अलीगढ़ से तहसील हैडक्वार्टर हटाने का जो इनका सुझाव था क्या उस पर विचार किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जरूर विचार किया गया और विचार करते रहते हैं।

श्री भोपालसिंह—जब कि माननीय मंत्री महोदय पहले एम. एल. ए हैं और उसके बाद मिनिस्टर बने हैं तो क्या हरेक क्षेत्र के एम. एल. ए. के सुझावों पर ध्यान देना उनका कर्तव्य नहीं है ?

Page No.32

श्री दामोदरलाल व्यास—मैने निवेदन किया, एम. एल. ए जो भी राय देते हैं उन पर विचार किया जाता है।

श्री भैरूंसिंह (वि० सं० १६)—एम. एल. एज़ से राय ली जाती है या उनको दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एम. एल. एज़ से राय मालूम होती है ।

श्री भैरोसिंह—माननीय मंत्री महोदय को यह पता होना चाहिये कि राय मालूम नहीं होती है बल्कि ली जाती है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २५०.

श्री भोगीलाल पंड्या--इस प्रश्न का उत्तर कृषि मंत्री अपनी पारी के दिन देंगे ।

प्रश्न संख्या २५१.

बांसवाडा के भूतपूर्व महारावल श्री चन्द्रवीरसिंह के नाम पर हवाला के नाम पर काश्त योग्य भूमि

श्री भूलर्जी भाई भावसार—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे--

(क) बांसवाड़ा के भूतपूर्व महारावल श्री चन्द्रवीरसिंह के नाम पर हवाला के नाम पर काश्त करने काबिल कितनी भूमि कहां कहां है, और चालू वर्ष में कितनी खेती की गई, तथा कितनी पड़ती रख छोड़ी है ?

(ख) महारानी साहिबा के जीवारक के लिये ४०३ बीघा जमीन कब दी गई थी व उसमें से कितनी काश्त की जा रही है और कितनी पड़त है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) भूतपूर्व नरेश, बांसवाडा श्री चन्द्रवीरसिंहजी के हवाला खुदकाश्त में ५ देहातों में ३८२३ बीघा १ बिस्वा जमीन है जिसमें से १०७०। १ बीघा काश्त हो रही है व २७५२ बीघा जमीन पड़त है। कहां कहां है, वह इस प्रकार है सुन्दनपुर, वरडीया, बांसवाड़ा; उखरपुरा, गामड़ी।

(ख) श्री महारानीजी के जिवारक के लिये जागीर चन्द्रवीरगढ़ जो उन्हीं के पुत्र की जागीर में है, उसमें ४१३।२ बीघा जमीन जागीर राजस्थान सरकार के नियन्त्रण में जाने से पूर्व दी गई है जो आज दिन तक काश्त नहीं होकर बिड से है।

Page No.33

श्री जसवन्तसिंह—यह भूतपूर्व महारावल कहां से आ गये ? क्या जिन्दे को भी मरा हुआ मानती है सरकार ?

श्री दामोदरलाल व्यास—वह रियासत के लिहाज से है पुराने। भूतपूर्व का मतलब यह नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं। I stand corrected, Sir.

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या वह जमीन आदिवासी भूमिहीन लोगों को बसाने के लिए नहीं दी जा सकती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्या सवाल है आपका ?

श्री धूलजी भाई भावसार—यह जो पड़त भूमि एवं छोड़ी है जो कि उपयोग में नहीं लाई जा रही है तो उस पर भूमिहीन आदिवासियों को बसाने के लिए विचार नहीं रखती है क्या सरकार ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यदि नियम के आधीन वह जमीन ली जा सकती है तो ली जायगी।

श्री सोहनलाल भटनागर—लेन्ड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत क्यों नहीं ली जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा सवाल। It is not within the scope of this question,

प्रश्न संख्या २५२.

जयपुर पॉवर हाउस में ३१ अक्टूबर, १९५५ तक उपभोक्ताओं की निक्षेप धनराशि

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Will the Minister-in-charge of P. W. D. be pleased to state:—

(1) What was the total amount of money lying in the form of deposits by Consumers in the Jaipur Power House on 31st October, 1955 ?

(2) How are these deposits utilised i. e. whether they are invested or lying idle ?

श्री दामोदरलाल व्यास(राजस्व मंत्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में)—

Page No.34

[श्री दमोदरलाल व्यास]

(१) इस विभाग में दो लाख अस्सी हजार आठ रुपये, ग्यारह आने बिजली ग्राहकों द्वारा माह अक्टूबर, १९५५, तक डिपोजिट के रूप में जमा कराये गये हैं।

(२) यह द्रव्य सरकारी खजाने में जमा करा दिया जाता है। यह द्रव्य संग्रहीत रूप में सरकारी खजाने में रहता है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—इसका युटिलाइजेशन क्यों नहीं किया गया है? उसके नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट क्यों नहीं खरीदे गये?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्योंकि समय समय पर वह रुपया ग्राहकों के द्वारा वापिस लिया जा सकता है और उनको वापिस देना पड़ता है इसलिए इस रुपये के नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट नहीं खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि उनका वापसी का दावा पैदा होता है।

श्री अवनीकुमार मुकर्जी—क्या और किसी रूप में उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

श्री दामोदर लाल व्यास—खजाने में रखने भर के उपयोग में लाया जाता है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—इससे व्याज वगैरह वसूल नहीं होता है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि व्याज का प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि वह रकम वापिस रिफन्ड करनी पड़ती है और रिफन्ड करनी पड़ती है तो रकम को पास रखना होगा।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—उन डिपोजिट्स के बारे में जो कि २०-२० साल से पड़े हुए हैं उनके बारे में क्यों नहीं किया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास—जिस रकम की सर्टेन्टी नहीं हो कि वह, गवर्नमेंट के पास इतने अरसे तक रहेगी या फिक्स्ड समय तक रहेगी; तब तक फिक्स्ड डिपाजिट में जमा नहीं कराया जा सकता है। उसको खजाने में रखना पड़ेगा।

श्री चांदमल मेहता—उसको करेन्ट एकाउन्ट में क्यों नहीं जमा करवाते जिससे कि जो करेन्ट एकाउन्ट पर इन्ट्रेस्ट मिलता है वह तो मिल ही जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जो रकम २० से पड़ी हुई है उससे कैसे अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है कि इतना रुपया रिफंड नहीं करना पड़ेगा ?

श्री दामोदर लाल व्यास—मैं जवाब दे चुका हूँ । इस बात का कि क्यों नहीं फिक्स्ड डिपोजिट में जमा कराया गया।

प्रश्न संख्या २५३

सिरोही जिले के खालसा ग्रामों में वहां के निवासियों द्वारा बिना पट्टा-भूमि के मकानों में रहना

श्री जवानसिंह—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि अर्से दराज से सिरोही जिले में खालसा गांवों में काश्तकार बिना पट्टे से मकान बना कर रहते आये हैं ?

(ख) अगर नहीं, तो नये सिरे से गत दस वर्षों में काश्तकार किस प्रकार से आबाद हुए हैं ?

(ग) क्या जागीर के गांवों में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है ?

(घ) अगर हां, तो सिरोही तहसील में काश्तकारों से केवल झोपड़े जैसे कच्चे मकानों के लिए किराया क्यों वसूल किया जा रहा है और मकानों से बेदखल क्यों किया जा रहा है ?

(ङ) क्या सरकार काश्तकारों को इस हैरानी से बचाने के लिये जांच कर बेदखल न करने के आदेश जारी करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) सन् १९३५ के पहले सिरोही जिले में काश्तकार खालसा गांवों के बिना पट्टे के रहते चले आये है।

(ख) नये सिरे से गत दस वर्षों में कश्तकारान सनदात रूल्स की कलॉज़ ६६ के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही मकान बना सकते हैं और उस धारा का उल्लंघन करने पर जुर्माना व किराया वसूल होता है।

(ग) रूल्स खालसे की जमीन पर ही लागू होते हैं।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(घ) सिरोही तहसील में यदि कृषकों ने सनदात की क्लॉज़ ६६ का उल्लंघन किया होगा तो अवश्य उनका कब्जा छुड़ाने व किराया वसूल करने का प्रश्न उपस्थित हुआ होगा वर्ना कोई पूछ काश्तकारों से उनके पुराने मकानों के विषय में नहीं की गई ।

(ङ) सनदात रूल्स की क्लॉज़ ६६ के अनुसार स्वीकृति प्राप्त कर मकान १।) रु० टेक्स का देकर बना सकते है और उनके लिये कोई रोक-टोक नहीं है और स्वीकृति प्राप्त करने पर न किराया वसूल करने का प्रश्न ही उपस्थित होता है । बिना स्वीकृति प्राप्त किये कब्जा करने पर कानून का भंग होता है और कानून का भंग करने पर ही पूछताछ की जाकर कार्यवही की जाती है ।

श्री संतोषसिंह कछवाहा—क्या यह १।) रु० देने पर पक्के पट्टे दे दिये जाते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो दफा ६६ में सनदात रूल्स के अन्दर साफ दर्ज है, माननीय सदस्य उसको पढ़ लें ।

श्री जवानसिंह—टिनेन्सी एक्ट के फोर्स में आने के बाद भी क्या यह रूल्स जायज हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—टिनेन्सी एक्ट के फोर्स में आने के बाद टिनेन्सी एक्ट के अधिकार प्राप्त हैं, वह उसके तहत नहीं दिये जाते हैं ।

श्री जवानसिंह—टेनेन्सी एक्ट के फोर्स में आने के बाद विपरित कार्यवाही भी क्या उसमें हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—टिनेन्सी एक्ट में, जहां कन्फ्लिक्ट में आ सकें, वह रूल्स फोर्स में नहीं आ सकते ।

प्रश्न संख्या ७५४.

भरनी के नाले (जि० टोंक) के निर्माण के समाप्ति की अवधि

श्री लालूराम—क्या निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला टोंक से जो भरनी का नाला बनाया जा रहा है उसे पूरा करवाने की अवधि कब तक की है व इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

(ख) क्या इसके आस-पास के नाले भी बनाये जावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(निर्माण मंत्री की अनुपस्थिति में राजस्व मंत्री) :

(क) भरनी के नाले को पूरा करवाने की अवधि १, १, '५५ तक की थी। इस कार्य पर करीब २ लाख का खर्चा होगा।

(ख) प्रश्न से साफ नहीं है कि किस नाले से मुराद है प्रश्न कर्ता सदस्य की।

श्री लालूराम—क्या माननीय मंत्री नहीं जानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, इस प्रश्न में यह लिखा हुआ है (ख) के पोर्शन में, "क्या इसके आस पास के नाले भी बनाये जायेंगे ?" तो किस नाले से माननीय सदस्य की मुराद है, यह पता नहीं चलता है।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—क्या माननीय मंत्रीजी को यह भी पता नहीं है कि वहां पर कितने नाले हैं ?

प्रश्न संख्या २४५.

जयपुर डिवीजन के कुछ ग्रामों में ग्रामनिवासियों द्वारा चरागाह भूमियों पर अनाधिकृत आधिपत्य

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की जानकारी में जयपुर डिवीजन के अन्तर्गत बहुत से ग्रामों में चरागाह की भूमि पर कुछ ग्रामवासियों द्वारा नाजायज कब्जा कर लिये जाने की कोई घटनाएं हुई हैं ?

(ख) इस प्रकार नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक चरागाहों पर से तुरन्त बेदखल करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) इस संबन्ध में क्या सरकार तहसीलदारों व असिस्टेन्ट कलेक्टरों व इस प्रकार के चरागाहों व अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर नाजायज कब्जा करने वालों को सरसरी कार्यवाही के आधार पर बेदखल कर देने के अधिकार प्रदान करने का सोच रही है

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) आदेश वक्त वक्त पर जारी किये गये हैं कि इस प्रकार का नाजायज़ कब्जा नहीं रहने दिया जाय और कब्जा करने वालों को कानून के मुताबिक बेदखल कर दिया जाय।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ग) जी नहीं। कानून में इस प्रकार के अधिकार मौजूद हैं जिनको अफसरान काम में ले सकते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से विशेष कानून हैं जिनमें ऐसे विशेष अधिकार दिये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—ट्रेसपासिंग कोई हो तो उसको चेक करने के लिए कानून है।

श्री भेरोंसिंह (वि. सं० १६)—क्या यह सही है कि चरागाहों पर अनाधिकृत रूप से जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनको ट्रेसपासर मानकर बेदखल करने की कार्यवाही नहीं हुई, बल्कि सामान्य तौर पर कार्यवाही की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जैसी आवश्यकता होती है वैसी कार्यवाही की जाती है। माननीय सदस्य ऐसे इन्स्टान्सेज़ बतायेंगे जहां इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है तो वहां कार्यवाही की जायगी।

श्री भेरोंसिंह (वि० सं० १६)—क्या यह सही है कि कल ही माननीय मंत्री महोदय ने बताया था कि सीकर जिले के चरागाह की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, उन्हें अपील की गई है कि वे कब्जा छोड़कर चले जायं।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय सदस्य ने मुझे ठीक से समझा नहीं है। मैंने यह बताया था कि अव्वल तो वह चरागाह डिक्लेयर्ड चरागाह नहीं हैं, दूसरे यह कहा था कि जिनको कायदे के मुताबिक भूमि एलाट की गई है वे लोग भी हैं और जिन्होंने अनआथोराइज्ड पजेशन कर लिया है वे लोग भी हैं। अनऑथोराइज्ड पजेशन जिन्होने कर लिया है उन्हें बाकायदा नोटिस दे दिया गया है कि क्यों न उन्हें बेदखल किया जाय और बेदखल की कार्यवाही की जा रही है। जिनके पास ऑथोराइज्ड पजेशन है उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वे उस जमीन को पशुओं के लिए छोड़ दें।

श्री भैरूंसिंह—प्रश्न यह है कि उनको ट्रेसपासर मानकर कार्यवाही की जा रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–Order please! Irrelevent questions which had formed part of the questions yesterday should not form the subject-matter of today's supplementaries.

प्रश्न संख्या २५६

ग्राम चटावटी (त० राश्मी) में हरिजन अध्यापक के स्थान पर सवर्ण अध्यापक की नियुक्ति

श्री जयचन्द मोहिल—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.39

[श्री जयचंद्र मोहिल]

(क) क्या इस वर्ष जिला चितौड़गढ़ तहसील राश्मी के चटावटी नामक ग्राम में नई प्रारम्भिक पाठशाला खोली गई है ?

(ख) यह पाठशाला क्या वहां की जनता की मांग पर खोली गई है ?

(ग) क्या इस पाठशाला की शुरूआत करने को सर्व प्रथम भैरोंलाल नामक मास्टर को भेजा गया था ? यह मास्टर किस जाति का है ?

(घ) क्या यह सही है कि मास्टर की जाति का पता लगते ही गांव वालों ने जाति से घृणा कर वहां पाटशाला नहीं खोलने का प्रार्थना-पत्र दिया है ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि सरकार ने गांव वालों की इस प्रकार की भावना को महत्व देने बाबत उस मास्टर को वहां से हटा कर दूसरा मास्टर सवर्ण जाति का भेजा है ?

(च) क्या यह सही है कि सवर्ण जाति के मास्टर के पहुँचते ही पुनः गांव वालों ने पाटशाला खोलने पर प्रसन्नता प्रकट की है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, हरिजन जाति का था।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जयचंद—क्या वह मास्टर हरिजन जाति का था ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने उत्तर में बताया कि वह हरिजन जाति का था।

प्रश्न संख्या २५७

कोटा सिटी इंप्रूवमेन्ट ट्रस्ट के जनता के प्रति में असन्तोष

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: (क) क्या कोटा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में जनता के कोई प्रतिनिधि हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

[श्री कवरलाल जेलिया]

(ख)यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग)क्या मौजूदा सिटी इम्प्रूमेन्ट ट्रस्ट एक्ट के आधार पर गठित है ? यदि हां, तो इसकी अवधि कब तक की है ?

(घ) क्या यह सही है कि मौजूदा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के कार्य के सम्बन्ध में जनता में तथा तत्कालीन म्युनिसिपल बोर्ड में असंतोष है ?यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने वाली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क)जी नहीं।

(ख) सिटी इम्प्रूवमेंन्ट ट्रस्ट एक्ट सन् १६४६ की धारा ४ के अंतर्गत सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में जनता के दो प्रतिनिधि केवल नगरपालिका के ही सदस्य हो सकते हैं। परन्तु अभी कोटा में म्युनिसिपल बोर्ड ही नहीं है, अतः जनता के प्रतिनिधि का ट्रस्ट पर होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) जी हां। उसकी अवधि दिनांक २१.५.५६ तक की है।

(घ) ऐसी कोई बात सरकार के नोटिस में नहीं आई।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या अब तक जो कार्य सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का हो रहा है। वह जनता के प्रतिनिधियों के बिना राय के हो रहा है और क्या यह उचित है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कानून से ठीक हो रहा है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या मौजूदा काम ट्रस्ट के कानून के खिलाफ नहीं हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कानून के अनुसार ही काम हो रहा है।

श्री कंवरलाल जेलिया—लेकिन क्या कोटा म्युनिसिपल बोर्ड की ओर से और वहां की जनता की ओर से सरकार के सामने इस सम्बन्ध में प्रतिनिधि लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये गये या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वहां का म्युनिसिपल बोर्ड यदि इलेक्टेड बोर्ड होता तो उसका प्रतिनिधि लेने का नियम था। हाई कोर्ट में रिट हो जाने के कारण वहां का इलेक्शन रुका हुआ था। अब फैसला हुआ है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि मौजूदा सरकारी अधिकारियों द्वारा सिटी इम्प्रूवमेंट का कार्य आंख मींच कर अंधाधुन्ध किया जा रहा है ?

(हियर, हियर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आंख खोलकर ही काम किया जाता है ।

प्रश्न संख्या २५८

तहसील बसवा की जागीरों का पुनर्ग्रहण एवं जागीरदारों को मुआवजा

श्री विशम्भरनाथ जोशी—क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील बसवा में किन २ जागीरों का अब तक राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा पुनर्ग्रहण किया जा चुका है ?

(ख) इन जागीरों का पुनर्ग्रहण किस किस तारीख को सम्पन्न हुआ ?

(ग) अब तहसील बसवा में कौन कौन सी जागीरों का पुनर्ग्रहण करना बाकी है तथा इन जागीरों में से प्रत्येक की आमदनी क्या है ?

(घ) जब तहसील बसवा की कुल कृषि योग्य भूमि का बन्दोबस्त हो चुका है तो फिर इन शेष जागीरों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही किये जाने में क्या रुकावटें हैं तथा शेष जागीरों का पुनर्ग्रहण कब तक सम्पन्न हो सकेगा ?

(ङ) जिन जागीरों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है उनके जागीर कर्मचारियों में से कितनों को अब तक नौकरियां दी जा चुकी हैं व कितने कर्मचारी अभी ऐसे हैं जिनका पुनःसंस्थापन अभी बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—(क) बसवा तहसील में खालसा होने वाली जागीरों के नाम इस प्रकार हैं:—

नं० जागीर	नाम जागीरदार	पु० की तारीख	हस्तगत की तारीख
१. बडियाल	बालाबक्ससिंह	२६. ७. १९५४	५. ८. १९५४
२. गौठ्का	भंवरसिंह	१८. ९. १९५४	२५. ९. १९५४
३. बडागवां	लालसिंह	८. ६. १९५४	१७. ८. १९५४

Page No.42

[श्री दामोदरलाल व्यास]

१	२	३	४
४. सूमेला लूटेला	गोविन्दसिंह	८. ६. १६५४	२५. ११. १६५४
५. बांदीकूई	नारायणसिंह	८. ६. १६५४	५. ८. १६५४
६. अन्तवाडा	लखवीरसिंह वगैरह	८. ६. १६५४	१७. ८. १६५४
७. आभानेरी	किशनसिंह	६. ८. १६५४	१३. ७. १६५५
८. अन्तवाडा	गिरवरसिंह	६. ८. १६५४	८. ६. १६५५
६. मऊखेड़ा	देवीसिंह	६. ८. १६५४	१३. ७. १६५५
१०. गुडालिया	नारायणसिंह	१५. १०. १६५४	२८. ४. १६५५
११. उगरया	सुरजनसिंह	१५. १०. १६५४	१२. ११. १६५४
१२. पापडी	खांगसिंह	१५. १०. १६५४	१३. ७. १६५५
१३. पीचूंपाड़ा	विजयसिंह	१५. १०. १६५४	१३. ७. १६५५
१४. आलयापाड़ा	देवीसिंह	१५. १०. १६५४	१३. ७. १९५५
१५. जैपुरा	श्रीमती जवाहरजी	१५. १०. १६५४	६. ६. १६५५
१६. नूरपुर बासड़ा	मोतीसिंह	१५. १. १६५५	८. ६. १९५५
१७. पीचूपाग खुर्द	प्रतापसिंह	१. १. १६५५	७. १. १६५५
१८. हुडकी	जोरावरसिंह	१. १. १६५५	८. १. १६५५
१६. गा[illegible]वाड़ा	नारायणसिंह	१. १. १९५५	३. १. १६५५
२०. गिरधारीपुरा	बदरीनारायण	१. १. १६५५	३. ६. १९५५
२१. हडूकी	हमीदखां	१५. १०. १६५५	[illegible]५. ११. १६५५

श्री अध्यक्ष—कितनी बड़ी है यह लिस्ट ?

श्री दामोदरलाल व्यास—I have finished, Sir.

श्री विशम्भरनाथ जोशी—Remaining question ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Sorry.

(ख) जागीरों के खालसा करने की तारीख उपरोक्त सूची में दी हुई है।

Page No.43

[श्री दामोदरलाल व्यास]

(ग) १००० रु०से ऊपर की आय की जागीरें खालसा हो चुकी हैं और १००० रु०से नीचे की आयी की जागीरों की सूची इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सूचना प्राप्त की जा रही है ।

(ङ) ऐसी सूचनायें जिले भर की प्राप्त हैं, इसमें तहसील बसवा के कितने व्यक्ति हैं यह सूचना प्राप्त नहीं है ।

(च) जिन जागीरदारों की जागीर खालसा हुई है उनमें से केवल तीन ही ने अन्तरिम मुआवजे के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये और उनमें से एक को अन्तरिम मुआवजा दिया जाने की आज्ञा हो चुकी है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी—यह सूचना जो नहीं दी जा सकी है वह कब तक दी जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी इकट्ठी करके उसकी कोपी आपको दे देंगे ।

श्री जसवन्तसिंह—सूचना प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सूचना इस प्रकार की चाही जाती है कि उसको इकठा करना मुश्किल हो जाता है । यह पूछा गया है कि बसवा तहसील में कितने मुलाजिम हैं । जिले में कितने हैं, उनकी सूची है उसमें से बसवा तहसील के मुलाजिमों को अलग छांटना पड़ेगा ।

रावत श्री शंभूसिंह—क्या यह सही है कि जागीरदारों और सरकार के बीच जो समझौता हुआ है उसके परिणामस्वरूप स्टेटस को मेन्टेन करने के कारण जागीरों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं ।

प्रश्न संख्या २५६.

राजस्थान के पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट में वेक्सीनेटरों के फिक्सेशन सम्बन्धी- । विशेषतया किशनगढ़ व झुन्झुनू में

श्री जगतसिंह झाला—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान के पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट में वेक्सीनेटरों का फिक्सेशन हो चुका है ?

[श्री जगतसिंह झाला]

(ख) राजस्थन के किन किन जिलों में ग्रेड्स के मुताबिक अभी तक इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया ?

(ग) क्या किशनगढ़ व झुन्झुनू के जिलों में इन्हें यह ग्रेड अभी तक नहीं मिल पाये हैं ?

(घ) यदि हां, तो क्यों और अब सरकार कब तक इन्हें यह ग्रेड देगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) रूल्स के अन्तर्गत ग्रेड सबको देदी गई हैं परन्तु बकाया रकम का मामला ऑडिट हो जाने पर तय होता है और जहां अडिट हो गया है एरियर भी दे दिये गये हैं।

(ग) हो सकता है कि किसी जिले में अभी तक ऑडिट पार्टी नहीं पहुँचने के कारण यहां के वेक्सीनेटरों को अभी तक नये ग्रेड्स नही दिये गये हैं और उनमें किशनगढ़ या झुन्झुनू जिले भी शामिल हों। जांच की जा रही है।

(घ) एरियर्स भी ऑडिट पार्टी द्वारा, उनके फिक्सेशन स्टेटमेन्ट्स की जांच होते ही, जहां नहीं मिले हैं शीघ्र ही दिला दिये जावेंगे।

प्रश्न संख्या २६०.

जसवन्तपुरा तहसील में खोले जाने वाले विकास खंड

श्री छतरसिंह—क्या विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जसवन्तपुरा तहसील में विकास खंड कब तक खोलने का सरकार का विचार है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यो नहीं ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** (राजस्व मंत्री)—(क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना में राज्य के संपूर्ण भाग राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना में जायेंगे। (हीयर, हीयर) जसवन्तपुरा तहसील में राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र उस अवधि में ही खोला जा सकेगा।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या २६१.

तहसील सहाड़ा, रायपुर और मांडल (जि० भीलवाड़ा) में एलोपेथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालय तथा सरकारी चिकित्सक

रावत श्री शंभूसिंह—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[रावत श्री शम्भूसिंह]

(क) भीलवाड़ा जिले की तहसील सहारा, रायपुर और मान्डल में एलोपैथिक व आयुर्वेदिक औषधालय तथा सरकारी चिकित्सक कहां कहां हैं ?

(ख) उपरोक्त तहसीलों में अब और कहां कहां चिकित्सालय तथा चिकित्सक नियुक्त करने हेतु जनता की मांग है और सरकार कहां कहां यह प्रबन्ध कब तक करने का इरादा रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—एलोपैथिक औषधालय व चिकित्सक निम्न लिखित स्थानों पर हैं :

तहसील सहारा—

(१) गंगापुर } गंगापुर का डाक्टर ही दोनों डिस्पेन्सरीज़ संभालता है ।
(२) सहारा }
(३) रायपुर
(४) माडल

आयुर्वेदिक औषधालय के चिकित्सक निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

(१) मांडल । मांडल तहसील में

(२) बागोर

(३) पाटलां सहारा तहसील में ।

(ख) नये अस्पताल व औषधालय खोलने की मांग तो प्रायः बहुत सी जगह से आती है परन्तु आगे नयी संस्थायें केवल द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खुलेंगी और यह मामला अभी विचाराधीन है । इस वर्ष भीलवाड़ा जिले में ये औषधालय खुल रहे हैं :

सवाणा, महुआ, हटुन्दा और सरदार नगर ।

रावत श्री शंभूसिंह—कहां कहां नये अस्पताल खोलने की मांग की जा रही है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मांग तो बहुत से स्थानों की है ।

रावत श्री शंभूसिंह—किन किन स्थानों की मांग आई है इस बारे में मैंने निवेदन किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है, दरख्वास्तें तो हजारों आती हैं।

रावत श्री शंभूसिंह—लेकिन जन-संख्या के आधार पर खुलना उचित है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अगली पंचवर्षीय योजना के समय सोचा जायगा।

रावत श्री शंभूसिंह—सहारा, रायपुर और मान्डल में आयुर्वेदिक औषधालय कब तक खुलेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने निवेदन किया अगली पंच वर्षीय योजना में खुलेंगे।

प्रश्न संख्या २६२.

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह

(प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित-कृपा परिशिष्ट १ देखिये)

कु० श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्षजी, दो-तीन दिनों से हमारे सदस्य श्री तनसिंहजी का पता नहीं है। वे होम मिनिस्टर साहब की कस्टडी में तो नहीं हैं ?

श्री **रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री)—इसके बारे में तो आपको ज्यादा पता होना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—As soon as I am informed I will let the member know.

प्रश्न संख्या २६३

राजस्थान में जिला बोर्ड एवं वहां की सदस्य संख्या

रावराजा श्री सरदारसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में पहले से कितने जिला बोर्ड हैं और वे कहां २ हैं ?

(ख) अब कितने जिला बोर्डों का निर्माण किया जा रहा है ?

(ग) किस किस बोर्ड में प्रत्येक की सदस्य-संख्या क्या रखी गयी है और निर्वाचित सदस्यों की किस किस तहसील से कितनी संख्या होगी ?

(घ) सदस्यों की संख्या किस आधार पर निश्चित की गई है ?

Page No.47

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) राजस्थान में इस समय १० जिला बोर्ड हैं और वे निम्नलिखित स्थानों में हैं:—

जयपुर, सीकर, झुन्झुनू, सवाई माधोपुर, टोंक हेड क्वाटर मालपुरा, चुरू, गंगानगर, बीकानेर, भीम जिला उदयपुर और डूंगरपुर।

(ख) प्रत्येक जिले में एक एक जिला बोर्ड का निर्माण होगा और इस तरह जिला बोर्डों की कुल संख्या २५ होगी।

(ग) इसका उत्तर संलग्न सूची 'क' में है।

(घ) इसका उत्तर संलग्न सूची 'ख' में है।

(ड) सदस्यों की संख्या निम्नलिखित आधार पर निर्धारित की गई है:

१. जिले की देहाती जन संख्या १० लाख या इससे अधिक पर	४० सीट
२. जिले की देहाती जन संख्या ८ लाख एवं १० लाख से नीचे पर	३५ सीट
३. जिले की देहाती जन संख्या ६ लाख एवं ८ लाख से नीचे पर	३० सीट
४. जिले की देहाती जन संख्या ४ लाख एवं ६ लाख से नीचे पर	२५ सीट
५. जिले की देहाती जन संख्या ४ लाख से नीचे	२० सीट

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

रावराजा श्री सरदार सिंह—उणियारा तहसील से पहले जिला बोर्ड में ३ सदस्य थे, उनमें से अब केवल १ ही किस आधार पर रखा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अभी यह निवेदन किया था कि ऐसा है प्रत्येक जिले की आबादी देख कर यह निश्चित किया गया कि किस जिला बोर्ड में कितनी सीट्स हों; जैसे १० लाख से ज्यादा आबादी के जिले में ४० सीट। जिस जिले में जितनी सीट्स आईं उनको पोपुलेशन के हिसाब से तहसीलों में डिवाइड किया गया। इस तरह से जन संख्या के आधार पर सीट्स बांटी गईं।

रावराजा श्री सरदारसिंह—डूंडी और उणियारा तहसीलों के पोपुलेशन में कितना अन्तर है; जो डूंडी में ४ सीट्स रखी गई और उणियारा में १ सीट रखी गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लिस्ट अभी विचाराधीन है। यदि उसमें गलती है और आप बतायेंगे तो उसको दुरुस्त कर लेंगे।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—Representation of the Peoples-Act में जो आधार माना गया है उस आधार पर क्यों नहीं डिस्ट्रिब्यूशन किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जागीर पुनर्ग्रहण के बाद नयी नयी तहसीलें भी बनी हैं, इसलिये पहले के आधार पर नहीं चला जा सकता था।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जिन जिलों की आबादी ४ लाख से कम है उनको २० सीट्स मिलेंगी, इससे इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष—शायद आपने फोलो नहीं किया है। सारे डिस्ट्रिक्ट की आबादी पर सीट्स नियुक्त होंगी और फिर डिस्ट्रिक्ट को तहसीलों की आबादी के अनुसार बांटा जायगा।

श्री भैरूसिंह (डि० नं० १६)—क्या इन डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स को गजट में शाया किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इनको पब्लिश किया जा रहा है।

श्री भैरूसिंह—शाया किया जा रहा है या शाया हो गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने भेज दिया था, शायद हो गया है।

श्री मोतीराम चौधरी—जहां की जन संख्या ८ लाख की है वहां कितने मेम्बर होंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने अभी बतलाया था कि ८ लाख से १० लाख तक ३५ सदस्य होंगे।

श्री अध्यक्ष—जब फाइनेलाइज़ हो जाय तो आप स्टेटमेंट दे दीजिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह—टोंक में पहले २२ सीटें थीं और अब २० रखी हैं तो क्या जनसंख्या कम हो गई है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट। श्रीमती यशोदादेवी।

प्रश्न संख्या २६४

तहसील जोधपुर, शेरगढ़, फलौदी व ओसियां में पर्चा लगान वितरण के पश्चात जनता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पत्र

श्रीमती यशोदादेवी—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.49

[श्रीमती यशोदा देवी]

(क) जोधपुर जिले की तहसील शेरगढ़, फलौदी व ओसियां में पर्चा लगान वितरण के पश्चात् लगान के प्रति आपत्तियां कितने व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र भेज कर उठाई गई और किस माह में ?

(ख) क्या उपरोक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र पर निर्णय दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने पर बाकी है और कितना समय निर्णय देने में और लगेगा ?

(ग) क्या लगान रेट लगाने के पूर्व सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रत्येक गांव की उपज का औसत प्रति बीघा निकाला गया था ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—[क] पर्चे लगान तकसीम के बाद इन तहसीलों में निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश किये गये ।

तहसील जोधपुर, ओसियां, शेरगढ़ १०,१७६. फलौदी १०८८ । कुल ११२६७

[ख] निम्नलिखित आपत्तियों पर निर्णय दे दिया गया है :

जोधपुर
ओसियां ८३८२
शेरगढ़
फलौदी ६८५ । कुल १०६७
निम्नलिखित बाकी हैं :
जोधपुर
ओसियां १७९७
शेरगढ़ \
फलौदी ४०३

जोधपुर, ओसियां, फलौदी और शेरगढ़ की ये कुल आपत्तियां दो महीनों में तय हो जायेंगी ।

(ग) प्रत्येक गांव की औसत फी बीघा नहीं निकाला जाता । खास खास गांव की औसत निकाल कर काम में लिया जाता है ।

रावत श्री शम्भूसिंह—निर्णय लगान में अबेटमेंट करने का दिया गया है या एन्हेन्स-मेन्ट का ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अलग अलग फैसले दिये गये हैं जिसके लिए पूछा नहीं है।

श्री खेतसिंह—शेरगढ़ में रेंट रेट्स ही डिक्लेअर नहीं हुए हैं, फिर ये फैसले काहे के हुए हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास—समझा नहीं।

श्री **अध्यक्ष**—Shergarh is always a problem.

लगान के मुतल्लिक आपत्तियां दीं और फैसले किये गये पर आप कह रहे हैं कि शेरगढ़ में अभी रेंट रेट्स ही शाया नहीं हुई हैं, फिर कौनसी आपत्तियों के फैसले दिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया कि जोधपुर, ओसियां और शेरगढ़ की जहां जहां पर्चे तकसीम हुए १०१७६ अर्जियें पेश हुई। अब शेरगढ़ की कितनी हैं, मुझे मालूम नहीं क्योंकि इन तीनों जगहों का ए. एस. ओ. एक है।

श्री **खेतसिंह**—शेरगढ़ में पर्चे ही तकसीम नहीं हुए।

(हंसी)

श्री **दामोदरलाल व्यास**—जोधपुर ओसियां और शेरगढ़ का ए. एस. ओ. एक है इसलिए सब मिला कर ये फीगर्स दिये हैं। मुमकिन है कि ये जोधपुर और ओसियां के ही हों।

श्री **अध्यक्ष**—प्रश्न संख्या २६५।

प्रश्न संख्या २६५

पंचवर्षीय योजना में टोंक से सवाई माधोपुर व टोंक से मालपुरा तक निर्मित की जाने वाली सड़कें

श्री **लालूराम**—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पंचवर्षीय योजना में दो सड़कें टोंक से सवाई माधोपुर और टोंक से मालपुरा तक बनाने की स्वीकृति दे दी गई थी ?

[श्री लालूराम]

(ख) यदि हां, तो अब तक वे सड़कें क्यों नहीं बन पाई हैं ?

(ग) क्या ये सड़कें इसी पंचवर्षीय योजना में ही बन कर तैयार हो जावेंगी ?

(घ) यदि नहीं, तो इन सड़कों के बन जाने की अवधि कब तक की है और क्या ये सड़कें इस अवधि में ही बन जावेंगीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(क) हां।

(ख) यह कार्य दोनों सड़कों का चालू है।

(ग) नहीं।

(घ) सन १९५६-५७ में बन कर तैयार हो जाने की सम्भावना है।

श्री लालूराम—कितना रुपया खर्च हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—(अश्रव्य)

श्री अवनिकुमार मुखर्जी—प्रश्न हिन्दी में है इसलिये उत्तर हिन्दी में होना चाहिये।

यह किस किस ठेकेदार को दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह सेपरेट प्रश्न है, अलग से पूछ सकते हैं।

श्री लालूराम—कब बनाना शुरू हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास—टेन्डर ५३ में ले लिये।

राज श्री हिम्मतसिंह—यह सड़क मालपुरा की तरफ से पहले शुरू होगी या टोंक की तरफ से ?

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास—दोनों तरफ से।

रावराजा श्री सरदारसिंह—टोंक से सवाई माधोपुर की सड़क शुरू हो रही है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास—हां वह भी शुरू हो रही है।

राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५४ (अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Lgislative business. Further consideration of the Rajasthan Municipalities Bill, 1954.

श्री चन्दनमल बैद—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ बिल पर, जैसा कि वह प्रवर समिति से सदन के समक्ष पेश हुआ है, कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं। एक माननीय सदस्य जो जोधपुर से पधारे हैं उन्होंने इस पर अपना संशोधन भी रखा है कि यह बिल वापिस उसी प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। मैं भी अपने विचार इस बिल पर रखना चाहता हूं। मैं उन माननीय सदस्य का समर्थन तो नहीं करूंगा पर जो इस बिल की खामियां हैं उनकी तरफ अपने विचार प्रकट करूंगा और माननीय मंत्री महोदय से आशा रखूंगा कि वे चाहें तो इस बिल को प्रवर समिति में भेज कर या इसी सदन में उन खामियों को दूर करने का प्रयत्न करें।

माननीय अध्यक्ष, इस बिल के लिए जो प्रवर समिति बनाई गई थी उसमें ऐसे कारण आ पड़े कि तीन चार चेअरमेन बदलने पड़े; एक बार इसके वे माननीय सदस्य चेअरमेन थे जो कि दौसा से पधारे थे, दूसरी बार वे माननीय सदस्य थे जो चूरू से पधारे थे और तीसरी बार आज हमारे वर्तमान में स्वायत्त शासन मंत्री हैं वे चेअरमेन बने। इसलिए इसमें अजीब तरीके की बातें मिल गई हैं या यों कहूं कि अजीब चीजों का मुरब्बा बन गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी या यों कहा जाय कि भानमती कुनबा बनाया गया है।

"कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा।"

वही भानुमती का कुनबा यह म्युनिसिपैलिटीज़ बिल बन गया है।

(विरोधी दल की ओर से "हियर हियर")

उन सारी नीतियों को ताक में रख दिया गया है जो बार बार इस सदन में दोहराई गईं। राजस्थान पंचायत विधेयक सदन में पेश किया जा रहा था तो बार बार कहा गया था कि स्वराज्य को गांवों तक मुहल्लों तक ले जाना है, मामूली से मामूली आदमी तक ले जाना है ताकि मामूली से मामूली आदमी भी स्वराज्य का लाभ उठा सके और स्वराज्य को जयपुर और केन्द्रीय सत्ता में ही केन्द्रित नहीं रखना है, स्वराज्य का विकेन्द्रीकरण करना है, पर मालूम होता है कि जब इस बिल को प्रवर समिति ने पास किया था तब इन सारी नीतियों को बलाए ताक रख दिया गया।

[श्री चन्दनमल वैद्य]

पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज़ ये दो पेरेलल संस्थाएं हैं, जहां पंचायत है वहां म्युनिसिपैलिटी नहीं है और जहां म्युनिसिपैलिटी है वहां पंचायत नहीं है, ५००० से नीचे की आबादी है वहां पंचायतें हैं और इससे ज्यादा की आबादी पर म्युनिसिपैलिटीज़ बनाई जांय, ऐसा है।

पंचायतों को काफी अधिकार दिये गये हैं जब कि म्युनिसिपैलिटीज़ को वे अधिकार देने का बिल्कुल फिक्र नहीं किया गया है। किन्हीं दो कस्बों का उदाहरण लीजिये, मैं अपने जिले के दो कस्बों का उदाहरण सदन के सामने रखता हूं। चूरू जिले में भोमासर और छापर दो कस्बे हैं। भोमासर की आबादी साढ़े चार हजार है और छापर की आबादी साढ़े पांच हजार है। भोमासर में पंचायत है और छापर में म्युनिसिपैलिटी है और इस तरह भोमासर की जनता को जो राइट्स हैं वे छापर की जनता को नहीं हैं। साढ़े चार और साढे पाच की आबादी में क्या फरक आ गया, एक जगह रहने वाली जनता को विशेष अधिकार हैं और दूसरी जगह रहने वाली जनता को उससे कम अधिकार हैं जब कि पहली से दूसरी जगह रहने वाली जनता की जन संख्या ज्यादा है और भोमासर से छापर की जनता ज्यादा शिक्षित है। मुझे समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया गया है। अगर आबादी को, जन संख्या को रोकने के लिए यह उपाय काम में लिया गया है तो मन्त्री महोदय का कार्य प्रशंसनीय है, पर यह नहीं है तो समझ में नहीं आता कि जहां की जनसंख्या साढ़े चार हजार है वहां की जनता को विशेष अधिकार दिया जाय और साढ़े पांच हजार की जनसंख्या है वहां की जनता को उन विशेष अधिकारों से वंचित रखा जाय। जब कि छापर में ज्यादा शिक्षित लोग हैं, तो भोमासर के लोगों को ये विशेषाधिकार दे देना और छापर के लोगों को नहीं देना, यह मेरी समझ में नहीं आता। तो जब पंचायत और म्युनिसिपल बिल दोनों पेरेलल दिशा में चल रहे हैं तो जिस प्रकार के अधिकार हम पंचायतों को दे रहे हैं तो वही अधिकार हमें म्युनिसिपेल्टियों को भी देने चाहिये। क्या कारण है कि हम म्युनिसिपेलिटियों को वे अधिकार न दें। जब हमने सिविल और क्रिमिनल अधिकार पंचायतों को दिये हैं तो क्या कारण है कि हम वही अधिकार हमारी म्युनिसिपेलिटियों में रहने वाले लोगों को न दें। मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण करेंगे। और अगर कोई विशेष बात होगी तो समझने कि कोशिश करेंगे।

दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह है म्युनिसिपेलिटियों के चुनाव के संबन्ध में। चुनाव के सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, सारे चुनाव वार्ड वाइज़ होते हैं और वार्ड बनाने का अधिकार सरकार पर छोड़ दिया गया है। मैं चाहता हूँ कि वार्ड के बनाने और चुनाव के बारे में सदन विचार करे कि चुनाव किस तरह से हों और वार्ड किस तरह से बनाये जावें। वार्ड किसी आधार पर बनाये जाने चाहिये। क्योंकि पंचायतों के मामलों में भी हमें काफी सुनने को मिला कि वार्ड बनने में बड़ी गड़बड़ियें और अनियमितताएं बर्ती गई और जो वार्ड बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया था उसका दुरूपयोग हुआ। अगर सरकार पर वार्ड बनाने की बात छोड़ दी जावे तो कम से कम यह सदन वार्ड बनाने के लिये किसी प्रकार का मापदंड तो तय करे कि इतनी आबादी के पीछे; जैसे १००० की आबादी या ५०० या १५०० की आबादी के पीछे एक वार्ड बनाया जावेगा।

[श्री चन्दनमल वैद]

यह संख्या मुकर्रर कर दी जावे जिसके आधार पर वार्ड बनाये जावेंगे। इसके साथ साथ यह भी तय होना चाहिये कि सिंगल मेम्बर कोन्स्टीएन्टुसी के वार्ड किस तरह के होंगे और डबल के कैसे होंगे ? इसके अलावा हमें यह निर्णय करना चाहिये कि कितनी हजार की पोपुलेशन के पीछे एक सदस्य होगा। जैसे हजार के पीछे एक सदस्य हो तो जिसकी पोपुलेशन २० हजार की हो तो वहाँ पर २० सदस्य हों और एक हजार की आबादी के आस पास हों तो वहां एक वार्ड बनाया जावे।

रिजर्वेशन के संबन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार हरिजन के लिये सीट रिज़र्व रखी जाने की सिफारिश की गई है उसी प्रकार महिला के लिये भी एक सीट रिज़र्व होनी जरूरी है। जब पिछले जयपुर म्युनिसिपल बिल जो फोर्स में है, दोनों के लिये गुंजायश रखी गई है तो अब जब यह नया बिल बन रहा है तो इसमें महिलाओं के लिये स्थान नहीं रखा जाना अनुचित होगा। इसलिये सिंगल मेम्बर वार्ड के लिये हम यह निर्धारित कर दें कि एक तो साधारण व्यक्ति कोई भी चुना हुआ आ सकता है और दूसरा कोई हरिजन या महिला ही होगी। मैं समझता हूँ कि यहां पर महिला का नाम इस बिल से छूट गया है और गल्ती से छूट गया है या ओवर साइट से छूट गया है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

अब मैं चुनावों के बारे में कुछ जिक्र करूंगा। आज की जो चुनाव पद्धति है वह कितनी गलत है। जो पद्धति आम चुनावों में बरती जाती है उसी तरह से यहां पर भी वही पद्धति लागू होनी चाहिये। कभी कभी ऐसा होता है कि एक वार्ड से ८, ८ सदस्य चुनाव के लिये खड़े हो जाते हैं और कहीं कहीं २५, २५ मेम्बर खड़े हो जाते हैं। इसके लिये रिटर्निंग ओफिसर को बेलट पेपर छपवाने पड़ते हैं जो बहुत लम्बे हो जाते हैं और ५ या ६ फीट लम्बे हो जाते हैं। इतने बड़े कागज की बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है। प्रथम तो कागज मिलना मुश्किल हो जाता है और जैसे तैसे कागज का प्रबन्ध किया जावे तो भी बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा वोटरों को २५ नाम याद रखने मुश्किल हो जाते हैं कि किस किस का क्या क्या निशान है। इसके अलावा जब चुनाव होते हैं तो और भी दिक्कत होती हैं। पोलिंग ओफिसर को भी दिक्कत होती है ; जो चिन्ह बताते हैं। इससे ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरी जगह भी निशान लगाया जा सकता है और पोलिंग ओफिसरों ने ऐसा किया है। इस प्रकार की कई शिकायतें और केसेज़ सरकार के सामने आये हैं ; पोलिंग ओफिसरों ने ऐसी गलतियें की हैं। इस प्रकार की गल्तियों को दूर करने के लिये यह ठीक होगा कि आम चुनावों की जो पद्धति है उसी के अनुसार हमें कार्य करना चाहिये। अगर कोई पद्धति जो गलत है और डिफेक्टिव है उसको अगर नहीं अपनावें तो कोई हर्ज की बात नहीं और उसको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि आम चुनावों में बरती गई पद्धति को अपनानी चाहिये।

इसके बाद माननीय अध्यक्ष, मैं टैक्सेशन के मामले में कहना चाहूँगा। इस बिल में जो टैक्सेशन के लिये प्रोविजन किया गया है वे हानिकारक हैं और एक इस बिल में जिस तरह का

[श्री चन्दनमल वैद]

प्रोविजन है उसकी ओर में आपका ध्यान खींचूंगा। उन्होंने एक लिस्ट दी है कि इन इन चीजों पर म्युनिसिपेलिटी टैक्स लगा सकेगी। इसके बाद यह बताया गया है कि अगर कोई म्युनिसिपेलिटी टैक्स नहीं लगाती है तो सरकार को हक होगा कि वह टैक्स लगादे और सरकार टैक्स लगा कर उसे गजट में शाया कर देगी। इतना ही नहीं अगर कोई म्युनिसिपेलिटी टैक्स लगाती है और सरकार नहीं चाहती कि वह टैक्स लगाया जावे तो सरकार ने उसको हटाने का भी हक अपने हाथ में रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार ने चारों तरफ से म्युनिसिपेलिटी को जकड़ लिया है, चाहे वह लिस्ट में हो या न हो। अगर सरकार किसी पर टैक्स लगाना चाहती है और म्युनिसिपेलिटी नहीं लगाना चाहती तो सरकार लगा सकती है। सरकार ने चारों तरफ से म्युनिसिपेलिटी को जकड़ लिया है। सरकार अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहे कर सकती है।

माननीय अध्यक्ष, पिछले दिनों में टैक्सों के मामले को लेकर गड़बड़ियें हुई हैं। जब टैक्स सरकार लगाना चाहती तो म्युनिसिपेलिटी ने नहीं लगाया और जब म्युनिसिपेलिटी ने टैक्स लगाया तो सरकार को कोई ऐसी जरूरत आ पड़ी कि उसने टैक्स को हटा दिया और कुछ अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध किया। मेरे जिले का ही बताता हूँ। वहां पर सरकार ने म्युनिसिपेल्टी को लिखा कि टैक्स बहुत हल्के हैं, टैक्स बढ़ाये जावें। उन्होंने बहुत कोशिश और महनत के बाद लिस्ट बनाई और टैक्सेज बढ़ाये और सरकार ने वे मंजूर किये। मगर ज्योंही मंत्री मंडल में हेरफेर हुआ उस समय के स्वायत्त शासन के मंत्रीजी ने अपना राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने के लिये वे टैक्सेज रद्द कर दिये। म्युनिसिपेलिटी को घाटा हुआ और उसका काम चलना बन्द हो गया; महतरों के वेतन नहीं चुक सके और हड़ताल हुई और चेअरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, जो माननीय मंत्री चाहते ही थे। इसलिये यह अधिकार देना कि सरकार चाहे तो किसी टैक्स को रखे और न चाहे तो किसी को हटा दे, तो यह माना जावेगा निश्चित रूप से कि सरकार को अगर इस प्रकार का अधिकार दिया गया तो वह राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करने में सफल हो सकती है। इसलिये सरकार को यह तय करना चाहिये कि म्युनिसिपेलिटी को पर-केपीटा कितना टैक्स लगाना जरूरी है। अगर एक आदमी के लिये रु० २) टैक्स लेना जरूरी है तो यह टैक्स लगा हुआ माना जाना जाहिये। जिस प्रकार कि हमने पंचायतों में विधेयक पास करते समय यह पास कर दिया है कि यह टैक्सेज़ लगे हुए माने जावेंगे। यह सब म्युनिसिपेलिटयों में एक सा होगा और अलग अलग म्युनिसिपेलिटीज़ के लिये अलग अलग नियम बनाना और पास करने की गवर्नमेंट की दिक्कत दूर हो जावेगी और गजट में शाया करने की दिक्कत दूर होगी और लोगों को भी टैक्सेशन का विरोध करने की दिक्क़त भी दूर हो जावेगी।

तो मैं यह गुजारिश करूंगा कि कुछ टेक्सेज़ को, मिनिमम टैक्सेज को बिल में प्रोवाइड कर दिया जाय। बिल के अतिरिक्त टेक्सेज़ नहीं माने जावेंगे और जो बिल में हैं, टेक्सेज लगे हुए हैं वे ही माने जावेंगे। दूसरे डेवलपमेंट के लिए म्युनिसिपेलिटी लगा सके अपने रोज मर्रा काम के लिए। एक दफा सरकार ने उनको प्रोवाइड कर दिया तो दूसरी दफा सरकार की ओर से उनको हटाने का सवाल नहीं उठना चाहिए।

[श्री चन्दनमल वैद]

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लॉज़ की तरफ विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि माननीय मंत्री महोदय की भूल से या तो यह क्लॉज़ इस बिल में आ गया या क्या कारण हुआ कि माननीय मंत्री महोदय ने इस विषय की जानकारी नहीं की जब कि वे स्वयम अलवर म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमेन रह चुके हैं, उसके सदस्य रह चुके है। मेरा मतलब क्लॉज़ ४५ से है। उसमें लिखा है कि कलेक्टर या कमिश्नर चाहे तो किसी म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य को यह मान करके कि वह अपनी पोजिशन को फ्लेगरेन्टली एब्यूज़ कर रहा है, उसको सदस्यता से पृथक कर सकते हैं और उसकी जांच के दौरान में उसको सस्पेन्ड भी कर सकते हैं। मुझे पहले तो यह समझ में नहीं आता कि फ्लेगरेन्टली एब्यूज से माननीय मंत्रीजी का क्या मतलब है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—It is a Report of the Select Committee and not of the Minister.

श्री चांदमल वैद—But I hope the Hon'ble Minister was the Chairman of the Select Committee.

श्री अध्यक्ष—But then the views of the Minister.......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—I was a Member of the Select Committee.

श्री चंदनमल वैद—I am sure the Hon'ble Member did not oppose it there because there is no note of dissent from the Minister.

श्री अध्यक्ष—That is a different question.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—What I did there is not open for discussion in the House. I was a member of the Committee.

श्री चंदनमल वैद—Now I will request the Minister because he is piloting this Bill.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Minister is not responsible for the Report.

श्री चंदनमल वैद—He is responsible for piloting it here.

तो मुझे यह समझ में नहीं आया कि इनफ्लेगरेन्टली एब्यूज्ड के क्या माने हैं। यह एक वेग टर्म है। किसी के लिये कहा जा सकता है। माननीय मंत्रीजी किसी म्युनिसिपल एरिया में जांय और उनको वहां मानपत्र न दिया जाय तो यह भी फ्लेगरेन्ट एब्यूज हो सकता है और

[हंसी]

[श्री चंदनमल वेद]

किसी काम में अनइज़ीनेस फील हो, दिक्कत हो तो यह कह सकते हैं कि "We think the Chairman or the member is flagrantly abusing his position as member." तो यह एक वेग टर्म रख करके कि एक म्यूनिसिपेलिटी के सदस्य को, उसके चेयरमेन या वाइस चेयरमेन की गर्दन हाथ में ले लेते हैं, मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे बिल को पारित करते समय इस गर्दन को अपने हाथ से छोड़ दें।

[हंसी]

नहीं तो जिन म्यूनिसिपेलिटीज़ के लिए यह बिल पारित होने जा रहा है, जिनको कि हम स्वशासन की ओर ले जाना चाहते हैं, जो अधिकार देना चाहते हैं तो माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह निरी थोथी बात होगी। किसी मेम्बर को मर्जी चाहे जब हटा दें, केवल इस बात को कह कर कि वह अपनी पोजीशन को एब्यूज़ कर रहा है, किसी मेम्बर को हटा दिया जाय और इन्क्वायरी के दौरान में उसको सस्पेन्ड कर दिया जाय, यह हम नहीं करें क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम प्रजातन्त्र के वृक्ष पर बैठे हुए है और ऐसा कर रहे हैं तो उसकी जड़ों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं।

(विपक्ष द्वारा हियर, हियर)

विधान सभा के सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे यह कहा जाय, चीफ सेक्रेटरी को या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सेक्रेटरी को यह अधिकार दिया जायगा या लेजिस्लेचर के सेक्रेटरी को यह अधिकार दिया जायगा कि अमुक सदस्य अपनी पोजिशन का दुरूपयोग कर रहा है, उसको हटा दिया जाय और इन्क्वायरी के दौरान में सस्पेन्ड कर दिया जाय तो मैं समझता हूं कि एक भी सदस्य वोट देने के लिए रजामन्द नहीं होगा। मैं नहीं समझ सका आप जिस हालत में हैं उसी तरह से म्युनिसिपेलिटी सदस्य हैं, उस बड़े पैमाने पर चेयरमेन और वाइस चेयरमेन चुने हुए हैं। तो जो म्युनिसिपे लिटी का सदस्य होगा तो उसके सिर पर यह नंगी तलवार क्यों ? अगर हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट भी इस तरह का कानून पास करे तो क्या आप उसको पसन्द करेंगे ? मैं समझता हूँ कि नहीं करेंगे। अगर आप पसन्द नहीं करते हैं तो म्युनिसिपेलिटीज़ के सदस्यों के लिए यह क्यों प्रोविजन किया है कि कलेक्टर या कमिश्नर यह समझे कि अमुक सदस्य, चेयरमेन या वाइस चेयरमेन अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहा है तो वे उसको हटा सकते हैं और इन्क्वायरी के दौरान में उसको सस्पेन्ड भी कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, एक आदमी जनहित में बाधक होता है, पूरा काम कर रहा है, क्या यह काम है कि उसको रोका जा सकता है, इन्डियन पीनल कोड और जो दूसरे कानून हैं क्या वे सफिशियेन्ट (पर्याप्त) नहीं हैं ? इस कानून में यह क्लाज़ रखा जाता है कि अगर सदस्य, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करेगा तो उसको हटा दिया जायगा तो क्या उनको जनहित में बाधक होने की यही सजा है कि वह म्युनिसिपेलिटी से हटा दिया जाय ? मैं पूछता हूँ कि म्युनिसिपेलिटी के बीस पच्चीस सदस्य सरकार की नजरों में जनहित में बाधक हैं तो उनको दूसरी

[श्री चन्दन मल वैद]

सजा दी जायगी। तो क्या उन म्युनिसिपेलिटीज़ के सदस्यों के लिए यह सजा है, तो क्या विधान सभा के सदस्य के लिए वह लागू होती है और जैसा कि माननीय सदस्य का विरोधी दल के नेता ने नाम लिया श्री तनसिंह जी, क्या उन्हें सस्पेन्ड कर दिया जाय क्योंकि सरकार की नजरों में वे जनहित में बाधा पहुंचा रहे हैं। म्युनिसिपेलिटीज़ के दौरान में कई ऐसे मौके आवेंगे और इस प्रकार के मौकों के लिए कलेक्टर या कमीश्नर को ऐसे अधिकार देना मैं समझता हूँ कि इस बिल की हत्या कर देनी होगी।

अन्त में, मैं माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी से आशा करता हूँ कि वे इसमें अमेन्डमेन्ट लावें कि यह धारा इसमें से हटा दी जाय बनिस्पत इसके कि कोई माननीय सदस्य इसमें इस प्रकार का अमेन्डमेन्ट लावे कि इस धारा को इस बिल में से हटा दिया जावे। वे खुद ही इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं, वे खुद ही इस विषय के अनुभवी हैं, वे स्वयं म्युनिसिपेलिटी के कई पदों पर काम कर चुके हैं, सरकार को चलाते हैं। सरकार की हस्ती क्या होती है, वे सरकार मे बैठते हैं इसको महसूस करें। सरकार की हस्ती क्या होती है, वे इसको महसूस करके अपने आप इस धारा को हटावेंगे ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इलेक्शन पिटीशन के सिलसिले में भी मैं एक दो बात कहना चाहूँगा। एक सदस्य के गलत चुने जाने पर जो इलेक्शन पिटीशन करना हो, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष महोदय के पास की जायगी, वाइस चेयरमैन के खिलाफ करना हो तो सरकार के पास जायगी और यदि सरकार उसको उचित समझेगी तो उसको जज के पास भेजेगी। इस रोटेशन की आवश्यकता क्या है ? यदि किसी को इलेक्शन पिटीशन करना हो तो सीधा जज के पास ही पेश करे लेकिन इसमें यह रखा है कि पहले सरकार के पास वह जायगी और पीछे यदि सरकार उचित समझेगी तो उसको जज के पास भेजेगी। यह सत्ता के प्रति जो मोह है उसको छोड़ा जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा दो चार छोटी बातें और भी हैं जिनके प्रति मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। एक है वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को मंथली अलाउन्सेज़ के बारे में। जब माननीय सदस्यों के खुद के अलाउन्सेज़ को बढ़ाने का सवाल आता है तो उसमें बड़ी जागरुकता दिखाते हैं कि अलान्सेज़ किस तरह से बढ़ें, हमको दिक्कत न हो। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी जिस तरह से हम चुन कर आते हैं उसी तरह से वे भी चुन कर आते हैं और जिस तरह से हम विधान सभा में अपना समय देते हैं उसी तरह से वाइस चेयरमेन और चेयरमेन भी अपना समय देते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ के कामों के लिए। यदि हम यह चाहते हैं, चेयरमैन या वाइस चेयरमेन कुछ भ्रष्टाचार करें या यह चाहेंगे कि ऐसे सम्पन्न घराने कार्य करने के लिए ही आवें और अन्य लोगों को लाने की आवश्यकता न पड़े तो मैं समझता हूं कि दोनों ही गलत हैं। केवल धनी लोग ही चेयरमैन या वाइस चेयरमैन हों तो गरीब लोगों के साथ अन्याय होगा और यदि वह चाहें कि वे भ्रष्टाचार से पेट पालते रहें तो यह भी गलत होगा। चेयरमेन और वाइस चेयरमैन

[श्री चन्दनमल वैद]

अपना समय देकर म्युनिसिपेलीटीज़ का काम करते हैं। अगर उनको उनके कार्य का वेतन नहीं देते हैं तो उनको म्युनिसिपेलिटीज़ का कार्य करने के लिए अलाउन्स दे देना चाहिये।

कायदा उसके लिए नहीं है तो आज जो म्युनिसिपैलिटीज़ की इनकम है उसके हिसाब से पर्सेन्टेज बांधी जा सकती है, ओनरेरियम के तौर पर दी जा सकती है और वह २०० से २५० रुपये तक हो जिससे म्युनिसिपेलिटी का चेयरमेन राजस्थान सरकार की स्वीकृति से ले सकता है, ऐसा प्रोवीजन इसमें कर देना चाहिये। आखिरकार वह भी तो अपना सारा समय म्युनिसिपेलिटीज़ के काम के लिए देता है तो उसको मुआवजे के तौर पर ऐसे अलाउन्सेज़ का प्रोवीजन जब तक नहीं करते हैं तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि यह एक तरह से उनके साथ अन्याय करेंगे। माननीय अध्यक्ष, मेरी यह निश्चित धारणा है कि ऐसा प्रोवीजन कर देना चाहिये ताकि योग्य और नीचे तबके लोग जो गरीब तबका समझा जाता है वे लोग भी चेयरमेन और वाइस चेयरमेन बन सकें और अपनी ड्यूटीज़ बखूबी अन्जाम दे सकें।

एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इसमें सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ और टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ में इस प्रकार का भेद क्यों रखा ? सिटी और टाउन में क्या भिन्नता है ? जो कस्बा पचास हजार की आबादी वाला है वह सिटी म्युनिसिपेलिटी कहलायेगी और इससे ज्यादा जहां की आबादी होगी वह टाउन म्युनिसिपेलिटी होगी, दोनों के अधिकार समान हैं यह भेद किस लिए रखा गया है ? मैं सारे बिल को पढ़कर भी पता नहीं लगा सका। मैं समझता हूँ कि सिटी और टाउन का जो भेद है सिटी म्युनिसिपेलिटी के लिए विशेष अधिकार रखे हों, इससे भेद रखा हो यह भी बात नहीं, इसलिए मेरा यह निवेदन है कि सिटी और टाउन का जो भेद रखा है उसको भी मिटा दिया जाय। केवल यह कहना है कि जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर इन पांच-छः जगहों पर सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ की बजाय टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ होंगी, उनके अधिकारों और कार्यों में भी सरकार उसी प्रकार हस्तक्षेप करेगी जिस प्रकार सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ के करेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है तो सिर्फ नाम के अन्दर इस प्रकार का फर्क क्यों रखा गया, यह मैं समझ नहीं पाया। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सिटी और टाउन का जो भेद रखा है उसमें या तो सबको टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ ही रखा जाय या सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ या केवल म्युनिसिपेलिटीज़ ही नाम रख दिया जाय तो काफी होगा।

अध्यक्ष महोदय, इन बातों के अलावा मैं एक बात की ओर खास तौर से इशारा करूंगा जैसा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जब किसी मेहतर को आप छोड़ना चाहें तो उसको एक महीने का नोटिस और एक महिने की तनख्वाह देकर आप निकाल सकते हैं किन्तु यदि वह मेहतर अपने आप हटना चाहे तो आप उसे एक महीने की सजा दिलवा सकते हैं। आज के युग में यह एक प्रकार से प्रतिक्रियावादी कदम होगा, हमें इसे नहीं अपनाना चाहिये। कोई मेहतर काम नहीं करना चाहता है तो ठीक है उसको जाने दीजिये। मेहतर यदि नहीं

[श्री चन्दनमल वैद]

मिलते हैं तो आपको चाहिये कि उनको एट्रेक्टिव तनख्वाह देकर आप उन्हें रोक सकते हैं। जब एट्रेक्टिव तनख्वाह नहीं देते हैं तो उन पर एम्पलॉयमेन्ट की पाबन्दी रखना उचित नहीं। अगर आप मेहतर की तनख्वाह बढ़ायेंगे तो वह जब एट्रेक्टिव तनख्वाह देखेगा तो कोई कारण नहीं कोई मेहतर काम करने नहीं आये। आज यहां तक देखा गया है कि कई म्युनिसिपेलिटीज़ में हर माह तनख्वाह भी इन लोगों को नहीं मिलती। कई कई जगह तो चार चार और छः महीने और आठ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। ऐसी हालत में आप उनसे चाहें कि वह जबरदस्ती आपके यहां काम करता रहे यह कदापि सम्भव नहीं। जब आप उनको छोड़कर जाने देना भी नहीं चाहते जहां आज दुनियां में कई लेबर लॉज़ बने हुए हैं, आज जो जमाना है उसको देखते हुए यह प्रतिक्रियावादी काम होगा। इस क्लॉज़ को बिल्कुल यहां से निकाल देना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, इसके अलावा मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि म्युनिसिपेलिटीज़ की जो भी अपीलें हैं उनको कलेक्टर के पास न रखकर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज़ के पास रखना चाहिये। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जितने भी म्युनिसिपिल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट हैं उनकी माननीय मन्त्री महोदय राय लें, तुम्हारे प्रति कलेक्टर्स और कमिश्नर्स का क्या रवैया है, तो वे यही कहेंगे कि वे हमारे कार्यों में बेजा हस्तक्षेप करते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इनके पास से अपीलें हटाकर जुडिशियल ऑथोरिटीज़ को पास कर देनी चाहिये और जबकि हमें यह बार-बार सुनने को मिलता है कि हमारे कलेक्टरों और कमिश्नरों के पास बहुत ज्यादा वर्क है, वे ओवर वर्कड हैं, कभी कभी यह देखा जाता है कि जुडिशियल अधिकारी अन्डर वर्कड हैं और जुडिशियल अधिकारी कानूनों का इन्टरप्रीटेशन भी ठीक तरह से लगा सकेंगे, इसलिए यह अधिकार योग्य और उचित अधिकारियों के पास ही रखा जाना चाहिये। जितना कानून का इन्टरप्रीटेशन ठीक तरीके से जुडिशियल अधिकारी लगा सकते हैं, उतना अच्छा इन्टरप्रीटेशन हमारे कलेक्टर और कमिश्नर्स नहीं लगा सकते क्योंकि ये लोग ज्यादातर रहते हैं एक्ज़ीक्यूटिव जोब्स में, अकाल की सहायता, बाढ़ के नियन्त्रण, टिड्डियों के आक्रमण से रक्षा करने में या मन्त्री महोदयों के दौरे के सिलसिले में इन लोगों को इधर उधर दौड़ना पड़ता है। इनको इतना मौका भी नहीं रहता है जितना जुडिशियल ऑथोरिटीज़ को। इस प्रकार प्रोवीजन रखने से म्युनिसिपेलिटीज़ के चेयरमेन को और इधर और उधर दोनों पक्षों में बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी सन्तोष होगा। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को इन सब विचारधाराओं का ध्यान रखते हुए अच्छी तरह से विचार करें। हम पंचायत विधेयक के समय जो सिद्धांत अमल में लाये थे उन्हीं सिद्धान्तों पर अब इस समय भी अमल किया जाना चाहिये। जब हमें स्वायत्त शासन को घर घर पहुँचाना है तो जो सिद्धान्त हमने पंचायत विधेयक के पास करते वक्त अपनाया था वह इसमें भी अपनाया जाय ताकि स्वायत्त शासन घर घर पहुँच सके और इस ओर हमें पहले कदम बढ़ाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—कितने मेम्बर्स बोलना चाहते हैं? I want to assert the number. These who are desirous of speaking should please stand.

(लगभग १० सदस्य बोलने हेतु खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—I am prepared to give the time but if there is irrelevency, I will check.

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—माननीय अध्यक्ष, इस म्युनिसिपैलिटीज़ बिल पर जिसकी इस समय चर्चा हो रही है, इस बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। माननीय अध्यक्ष, इस बिल की बहुत अहमियत है। इस बिल से राजस्थान के बड़े बड़े शहरों का किस प्रकार काम चलेगा, यह इस बिल में है। ऐसी हालत में इसको अच्छी तरह से जांच करके पास करना चाहिये। टीनेन्सी बिल भी यहां से जल्दी पास कर दिया गया था उस पर काफी अमेन्डमेन्ट आये, वह भी एक तरह से अधूरा ही पास किया गया। दूसरा लेन्ड रेवेन्यू बिल जो कल पास किया गया उसमें बहुत सी कमियाँ रह गई हैं।

श्री अध्यक्ष:—आप म्युनिसिपैलिटीज़ बिल पर बोलिये। वे तो पास हो चुके।

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—(जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, हमें इस बिल का हिंदी का ट्रान्सलेशन नहीं मिला ताकि हम अमेन्डमेन्ट वगैरह भेज सकें! माननीय अध्यक्ष, मुझे यह कहने की जरूरत इसलिये पड़ी कि एक कांग्रेस के सदस्य ने अभी इस बिल को एक प्रकार से भानुमति का कुनबा-पिटारा बताया। यह इतना अधूरा है जिसकी कोई हद नहीं। वैसी हालत में यह जानते हुए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहिये और पूरी तरह से इसकी जांच करनी चाहिये। यह बड़ी अहमियत का बिल है, इसे जल्दी से जल्दी पास नहीं किया जाना चाहिये...

श्री अध्यक्ष:—इस बिल को तीन साल हो गए।

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—(जारी रखते हुए) तीन साल होने से क्या हुआ, अभी तक तो इसकी हिन्दी कॉपी ही नहीं निकली। हिन्दी कॉपी हमारे पास आ जाती तो हम उसको देख कर अमेन्डमेन्ट पेश करते, हम अपने क्षेत्रों के हलचलों के मुताबिक इसको बनाने की कोशिश करते। इसके लिए अगर गवर्नमेंट काम नहीं करती है तो तीन साल तो क्या दस साल भी लग सकते हैं। पहले लेन्ड रेवेन्यू बिल पर यही हाल था कि उस पर कई अमेन्डमेन्ट्स लिए ही नहीं जा सके इसलिये वह अधूरा ही पास हुआ...

श्री अध्यक्ष:—आप इसी बिल पर कहिये। पिछले बिल पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हैं।

श्री संतोषसिंह कछवाहा:—(जारी रखते हुए) मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ इतना ही अर्ज करूंगा कि जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सिफारिश की है इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मैं उसकी ताईद करता हूं। अभी सरदी का मौसम भी है, दूसरे सेशन में इसे लिया जाय...

श्री अध्यक्ष:—आपके कहने के मुताबिक मौसमें गरमी में लिया जाय।

श्री वेदपाल त्यागी:—माननीय अध्यक्ष, इस बिल पर खास तौर से सिलेक्ट कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उस पर कई सज्जनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। कुछ ने इस बिल को रिएक्शनरी बिल बताया।

डेमोक्रेसी से दूर ले जाने वाला यह बिल है। मैं भी इस सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था और जिन २ बातों पर और जिन जिन मुद्दों पर यहां विचार व्यक्त किए गए हैं और जिन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है उन पर सिलेक्ट कमेटी में विचार हुआ। मैं समझता हूँ कि इस बिल को देखने का तरीका हमारे पास केवल यही नहीं होना चाहिए कि हम एक आदर्शवादी नुक्ते निगाह से उसे देखें। हमें प्रेक्टिकल आउटलुक भी इसको देखने का रखना चाहिए क्योंकि हमारी म्युनिसिपेलिटीज़ बहुत दिनों से काम कर रही हैं और उनके काम करने के और जो पहले बिल्स और एक्ट्स बने हैं उनको देखते हुए उनके काम करने में जो हमारे समाने दिक्कते आई हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें एक नया कानून बनाना चाहिये।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह कहा जाता है कि हमने इस बिल में जो कि पुराने एक्ट्स थे उनके खिलाफ इस प्रकार के प्रोवीजन्स रखे हैं कि जिससे इसका डेमोक्रेटिक रूप नहीं रहता है, और ऐसा भी कहा जाता है उसके पक्ष में कि कलेक्टर और कमिश्नर के पास अपील का प्रोवीजन रखा गया है, और यह भी कहा है कि कलेक्टर और कमिश्नर्स को ऐसे पॉवर्स दे दिये गये हैं कि जिनके आधार पर उन नुमायन्दों के, प्रजा के नुमाइन्दों के जिनसे प्रजातंत्र मौजूद है, हकूकों पर कुठाराघात होता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल में सिलेक्ट कमेटी ने बहुत सोच समझ कर यह प्रोवीजन रखा है कि जो बोर्ड की अपील हो वह कलेक्टर की रखी यानी टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ का फैसला कलेक्टर के पास अपील में जायेगा और सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ का फैसला कमिश्नर के पास अपील में जायेगा। पहले गवर्नमेंट के पास अपील में जाते थे। यह सिद्धांत मान लिया गया है कि गवर्नमेंट को जुडीशियरी फन्क्शन नहीं करना चाहिये। जहां तक हो सके जुडीशियरी फन्क्शन्स से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह एक्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटी है और एक्ज़ीक्यूटिव ऑथोरिटी के पास इस प्रकार के फन्क्शन्स जहां तक हो सकें नहीं रखे जांय जिसमें कि जुडीशियल फन्कशन्स अदा करने पड़ें और इसके अलावा भी जो दिक्कते आती हैं वह भी हमारे सामने हैं। मिनिस्टर महोदयों के दौरे बराबर होते रहते हैं। मिनिस्टरों को बाहर रहना पड़ता है और सेक्रेटरीज़ के काम करने का तौर तरीका वह नहीं है जो कि एक जुडीशियल ऑफिसर का होता है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बतला दूं कि जुडीशियल ऑफिसर के पास नहीं भेजने के लिए भी यह कारण है कि उनका तौर तरीका काम करने का एक्ज़ीक्यूटिव तौर तरीके से बिल्कुल भिन्न है। एक तो यह है कि जज़ वगैरह जिस तरह से फैसला करते हैं, जिस तरह के मामलात उनके पास जाते हैं, वहां जांच उन प्रोसीजर्स से होती है जो कि सिविल प्रोसीजर और क्रिमिनल प्रोसीज़र में दिये हुए हैं। यहां म्युनिसिपेलिटी में जो झगड़े होंगे वे इस प्रकार के होंगे कि कहीं पाखाना बन्द नहीं हुआ, तो कहीं किसी ने छज्जा लगा लिया है और कहीं पर इस तरह का काम कर लिया है कि पब्लिक की सहूलियत के नुक्ते निगाह से नहीं करना चाहिए। उनके डिसीजन, उनके फैसले बोर्ड के जुडीशियल ऑफिसर के

[श्री वेदपाल त्यागी]

पास भेजेंगे तो उनका जो तरीका है काम करने का, उनका ट्रेंड ऑफ माइन्ड है वह उनके साथ मेल नहीं खाता है। इधर मिनिस्टर महोदय को चाहिए कि जुडीशियल फन्क्शन नहीं करें और जुडीशियल आफिसर को इसलिए नहीं भेजना चाहिए कि उनका ट्रेन्ड ऑफ माइन्ड किसी दूसरी तरह का होता है। वे बड़ी चीजें डिटरमिन करते हैं, उनको छोटे छोटे मामलों में डालना चाहेंगे तो फैसला ठीक तौर से नहीं करेंगे, जुडीशियल आफिसर्स को बहुत बड़ी तवालत पैदा होगी। उनके पास काम बढ़ जायगा तो अपने जुडीशियल काम के लिए समय बहुत कम रह जायगा। इसलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए सिलेक्ट कमेटी ने यह फैसला किया कि यह अपील सिर्फ कलेक्टर के पास रहे जो कि जुडीशियल वर्क भी करते हैं रेवेन्यू साइड का और एक्जीक्यूटिव वर्क भी और जिनका ट्रेन्ड ऑफ माइन्ड एक्जीक्यूटिव भी है और जुडीशियल भी है। इसलिए ऐसे फैसलों की अपील उनके पास भेजी जाय। बहुत से सज्जनों ने यह भी कहा है कि अपील रखने की क्या जरूरत है, उनका फैसला ही होना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज डेमोक्रेसी हमारी इस स्टेज में नहीं है कि जिसको कि परफेक्ट कह सकते हैं। आज इलेक्टोरेट इस स्टेज के नहीं है कि ऐसे आदमियों को रिर्टन कर सकें जो कि वास्तव में परफेक्ट कहे जा सकते हैं। इसलिए इस स्टेज में अपील करने का राइट नहीं देते हैं तो हो सकता है कि किसी पोलिटिकल ग्राउन्ड पर फैसला हो जाय और लोगों को वास्तव में नुकसान पहुँच जाय। इसलिए अपील का राइट देना बहुत जरूरी है। जब अपील का राइट देते हैं तो अपील का फैसला कराने के लिए इस प्रकार की ऑथोरिटी चुनना आवश्यक हो जाता है कि जो जुडीशियल और साथ ही साथ एक्ज़ीक्यूटिव ट्रेन्ड आफ माइन्ड के हैं और उसी तरह का फैसला दे सकें। इसलिए इस आधार पर कलेक्टर और कमिश्नर चुने गये।

इसके अलावा यह कहा जाता है कि चुने हुए मेम्बर्स को हटाने की ऑथोरिटी कलेक्टर और कमिश्नर को दी गई है। यद्यपि सिद्धान्त: यह बात बिल्कुल गलत है कि जो चुने हुए मेम्बर्स हों उनको हटाने की ऑथोरिटी कलेक्टर और कमिश्नर को नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन इसका जो तजुर्बा हुआ है, पिछले समय में हमने देखा है कि किस तरह से म्युनिसिपेलिटीज़ फन्क्शन करती हैं; उसको देखते हुए यह जरूरी फैसला लिया गया कि इस प्रकार की ऑथोरिटी कहीं न कहीं होनी चाहिए ताकि उन लोगों पर एक सुपरवीजन बना रहे, उन पर एक डर बना रहे। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए बड़ा-बहस मुबाहसा हुआ है वहां फ्लेग्रेन्ट एव्यूज़ ऑफ पॉवर का सवाल रखा गया है। हमारे एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए कहा कि फ्लेग्रेन्ट एब्यूज ऑफ पॉवर यह भी हो सकता है कि माननीय मंत्री महोदय को मानपत्र न दिया जाय। लेकिन मैं यह बात बतादूं कि जहां इन्टरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूटस का सवाल है, जहां अगर किसी स्टेट्यूट में कोई पॉवर दी गई है उसके मिसयूज़ करने का सवाल है वहां हमारे कन्स्टीट्यूशन में यह राइट दिया है कि हाईकोर्ट में जाकर रिट पिटीशन करो और हाई कोर्ट से इन्साफ ले लो। इसलिए उन लोगों ने भी जिनको यह पॉवर दिये गये हैं रेस्ट्रिक्शन रखा है। इसलिए इसके एव्यूज होने का सवाल

[श्री वेदपाल त्यागी]

पैदा नहीं होता है वरन् इसके रखने से चेक हो जाता है । अगर यह बात नहीं रखते हैं तो बे-लगाम के घोड़े होकर इधर उधर भागना शुरू कर दें । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसको आप डेमोक्रेटिक नहीं समझें । यह डेमोक्रेसी के उत्थान के लिए है । डेमोक्रेसी सही लाइन पर आगे बढ़े, सही तरीके से डेवलप हो तो यह जरूरी है कि उन लोगों पर चेक रखें । जिनको कि प्रजा चुन कर भेजती है उन्हें अनब्रिडल्ड होर्स न बनने दें ताकि जो शक्ति उनको दी गई, उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दें । मैं यह जानता हूँ और मेरे सामने इन्स्टान्सेज़ हैं कि कहां चेयरमेन और वाइस चेयरमेन ने अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया है । अगर आप यह चीज नहीं रखते हैं और गवर्नमेंट को आप शक्ति नहीं देना चाहते तो गवर्नमेंट के लिए यह सवाल पैदा नहीं होता है कि यह शक्ति गवर्नमेंट में निहित होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट पोलिटिकल कन्सिड्रेशन के आधार पर कर सकती है, लेकिन सिविल सर्विस पोलिटिकिल कांसिड्रेशन से दूर रहती है। उनको यह पॉवर दी हैं और इसलिए दी है ताकि एक चेक बना रहे और म्युनिसिपेलिटीज़ का फन्क्शन ठीक तौर से हो । यदि म्युनिसिपेलिटी ठीक तौर से काम करेगी तो हमारी डेमोक्रेसी पनपेगी, क्योंकि म्युनिसिपेलिटी और पंचायतें प्रजातन्त्र की नींव हैं और नींव ठीक तौर से मजबूत बना लेते हैं तो इमारत भी मजबूत बनायेगें । इसलिए यह जरूरी सोचा है कि इस प्रकार के पॉवर्स दिये जायं ।

एक एतराज यह भी किया जाता है कि मेहतर को आप एक महीने का नोटिस देकर हटा सकते हैं, लेकिन वह नहीं हटा सकते है । मैं यह निवेदन करूंगा कि हमने यह देखा है कि एसेन्शियल सर्विसेज़ एक्ट बनाया है जिसमें बहुत से लोगों को यह अधिकार हैं कि वह तो ज्वॉइन कर लें लेकिन ज्वॉइन करने के बाद अपनी इच्छानुसार नहीं छोड़ सकते हैं । एसेन्शियल सर्विसेज किस आधार पर बनाई जाती है उसी आधार पर वह है । आज यह खुली छूट दे देते हैं कि जिस प्रकार सिविल सरविस नहीं सर्व करना चाहे तो नोटिस देकर अलग हो सकता है, लेकिन आज मिलिट्री का आदमी छोड़ना चाहता है या पोस्ट ऑफिस का आदमी छोड़ना चाहता हैं या पुलिस का आदमी उस वक्त नोटिस दे दे जिस वक्त कि रॉयट्स हो रहे हैं कि वह सरविस नही करना चाहते हैं । आगे मैं यह कहूंगा कि स्टेट में लॉ एन्ड आर्डर को मेनटेन करना है, स्टेट की इन्टेग्रिटी को मेन्टेन करना है और यदि मिलिट्री नोटिस देवे जब कि अपने ऊपर दूसरी ताकत बहुत बड़ा हमला करने आ रही हो तब यह राइट होना चाहिए कि हरेक को काम करना जरूरी है, उन्हें एसेन्शियल सर्विसेज को मानना चाहिए । जहां पर कि तमाम शहर की गन्दगी की सफाई का उन लोगों पर भार हैं जो कि यह काम करते हैं उनको यह कह दिया जाय कि जिस वक्त चाहे छोड़कर चले जायं तो १५ आदमी म्युनिसिपेलिटी में हैं, उनमें से १० आदमी नोटिस देदें तो मैं निवेदन करूंगा कि या तो म्युनिसिपेलिटी का चेयरमेन खुद सफाई करे या इधर उधर ढूंढता फिरे कि कहीं से आदमी मिल जांय तो रिप्लेस कर दें । इस हालत को दृष्टिकोण में रखते हुए एक प्रेक्टिकल आउटलुक से बातें रखी गई हैं ताकि दिक्कतें जो पेश आती हैं, जनता को हमेशा पैदा होती हैं तो उनको हल करना है । इसलिए इन बातों

[श्री वेदपाल त्यागी]

को मद्देनज़र रखते हुए यह सब बातें इसमें इनकार्पोरेट की गई हैं। मैं यह माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह पढ़ें इस बिल को और सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को लेकिन अपने पढ़ने का और देखने का नुक्ते निगाह बदल दें।

यह कहा जाता है कि म्युनिसिपेलिटीज़ को भी जैसे कि हमने पंचायतों को जो एक स्वशासन का पॉवर दिया है फैसले करने का, मुकद्दमों के वही पॉवर म्युनिसिपेलिटिज़ को देना चाहिये। जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ऐसा सवाल नहीं रहता है जो कि गांव वालों का रहता है। यदि ५ रु० की किसी को नालिश करनी है तो गांव वाले पंचायत में करेंगे, ३२३ का मुकद्दमा किसी को करना है तो गांव वाले पंचायत में करेंगे, लेकिन म्युनिसिपल एरिया में रहनेवाले लोगों को मेजिस्ट्रेट के पास जाकर नालिश आदि करनी पड़ेगी। इस संबन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपल फंक्शन्स और पंचायत फंक्शन्स जुदा जुदा हैं। पंचायतों के ज्युडिशियल फंक्शन्स हो सकते हैं लेकिन म्युनिसिपेलिटीज़ के ज्युडिशियल फंकशन्स नहीं हो सकते। ज्युडिशियल काम के लिये म्युनिसिपल एरियाज़ में रहनेवाले लोगों को अलग जगह जाना होगा। जो म्युनिसिपेलिटीज़ चुनी जाती हैं उनको केवल म्युनिसिपल फंकशन ही दिये जाते हैं। इसके उपरांत किसी भी देश में उनको जुडिशियल फंकशन्स नहीं दिये जाते। म्युनिसिपेलिटीज़ वहां कायम की जाती हैं जहां पोपुलेशन ज्यादा हो। जिन कस्बों में म्युनिसिपेलिटीज कायम की जाती हैं वे कस्बे बहुत अहमियत रखते हैं और उनमें मेजिस्ट्रेट्स वगेरह होते है। वे ऐसी जगह होती हैं जहां के काम्युनिकेशन्स बहुत अच्छे होते हैं वहां इधर उधर आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी सूरत में गांव के रहने वालों से ज्यादा सहूलियतें म्युनिसिपल एरियाज़ में रहने वालों को होती हैं। इसलिये यह जो दलील दी जाती है कि म्युनिसिपेलिटीज़ को पंचायत के फंकशन्स देने चाहिये, मेजिस्ट्रेट के फंक्शन्स देने चाहिये, यह उचित नहीं है। पहले ऑनरेरी मेजिस्ट्रेट्स होते थे लेकिन अब उनका कोई प्रश्न नहीं हैं। आप ऐसा विधान बना दीजिये कि कुछ पढ़े लिखे लोगों को जुडिशियल फंक्शन्स दे दिये जांय लेकिन जहां म्युनिसिपेलिटीज़ बना रहे हैं वहां म्युनिसिपेलिटीज़ के दुनियां में जो फंकशन्स हैं और जो ढांचा है उसको आपको रखना पड़ेगा और उसी के अनुसार आपको एक्ट बनाना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि बहुत सोच समझ कर आपको चलना चाहिये। सिलेक्ट कमेटी ने जो सोच समझ कर रिपोर्ट दी है उसको हमें मंजूर करना चाहिये। मैं मान सकता हूं कि कुछ क्लॉजेज़ में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हमने वहां पर कुछ क्लॉजेज़ के बारे में जोर भी दिया था। हम यह चाहते थे कि कुछ टेक्सेज़ कम्पल्सरी कर दिये जांय ताकि लोगों को एजीटेशन करने का मौका ही न मिले और जो लोग म्युनिसिपेलिटीज़ में चुन कर आते हैं उनको यह ख्याल न हो कि इलेक्टोरेट को नाराज करने से अगले इलेक्शन में कठिनाई होगी और इसलिये उनको लोगों के सामने दबना नहीं पड़े इसलिये कुछ टेक्सेज़ कम्पल्सरी होने चाहिये और वे इस प्रकार के होने चाहिये कि गवर्नमेंट पर भी दबाव आवे तो उनको भी नहीं दबना पड़े। मिसाल के तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर में ओक्ट्रोय ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बारे में म्युनिसिपेलिटी के

[श्री वेदपाल त्यागी]

मेम्बर्स को दबना पड़ा तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और बाद में जब गवर्नमेंट पर दबाव पड़ा तो उनको भी दबना पड़ा। इसलिये यदि विधान सभा कोई कानून बनायेगी तो म्युनिसिपेलिटी पर और गवर्नमेंट पर कोई भार नहीं पड़ेगा, जो कुछ भार होगा वह विधान सभा पर होगा। म्युनिसिपेलिटीज़ का काम ठीक तरह से चलता रहे, इसके लिये कुछ टेक्सेज को कम्पलसरी कर देना चाहिये और कुछ को ऑप्शनल रखा जाय ताकि उनको म्युनिसिपेलिटीज़ चाहें तो लगा सकें।

जहां तक हो सका इस बात की कोशिश की गई है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार करते समय कि म्युनिसिपेलिटीज़ को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जांय। पहले म्युनिसिपेलिटीज़ अपना बजट बनाती थीं जिसको गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ता था और गवर्नमेंट की एप्रूवल लेनी जरूरी होती थी और एप्रूवल आने में महीनों लग जाते थे, बल्कि छः छः महीनों तक बजट पास नहीं होते थे। लेकिन अब यह प्रोविजन रख दिया गया है कि अमुक टाइम तक बजट बना कर गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ेगा और बजट भेजने के बाद एक महीने तक गवर्नमेंट अपनी एप्रूवल नहीं भेजेगी तो यह समझा जायगा कि गवर्नमेंट ने वह बजट मंजूर कर लिया है, इसलिये उसके अनुसार काम शुरू हो जायगा। म्युनिसिपेलिटीज़ पर किसी बात का लिमिटेशन नहीं रखा गया है। इस प्रकार से सब तरह के आवश्यक प्रोविजन्स इसमें मौजूद हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य गण इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें और वह दृष्टिकोण हो प्रेक्टिकल कि हम किस तरह से ठीक तरह से काम चला सकते हैं। जो सिलेक्ट कमेटी ने बिल रखा है वह ठीक है और जो एतराज किये गये हैं वे दार्शनिक हैं, आइडियोलोजिकल ऐतराज किये गये हैं और प्रेक्टिकल आउट लुक से नहीं देखा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जो क्रिटिसिज्म है वह उचित नहीं है।

श्री भैरूसिंह (वि० सं० १६)—माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल बिल को दुबारा उसी प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यदि इसी प्रस्ताव के बारे में पूर्णतया विवेकशील होकर सोचा जाय तो इसको स्वीकार करने में कोई विशेष आपत्ति हो सकती है, ऐसा मुझे नहीं लगता।

राजस्थान में स्वायत्त शासन सम्बन्धी जितनी भी इस प्रकार की संस्थाएं हैं उनका संचालन किस प्रकार से होगा, इसकी व्यवस्था इस कानून में की जा रही है। जब हम कोई भी कानून स्वायत्त शासन सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिये बनावें तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को आजादी से काम करने के लिये कितनी छूट दी जाय और कितना अंकुश रखा जाय कि समय समय पर काम करने के लिये उन्हें सचेत किया जा सके और दोनों दशाओं में हमें एक प्रकार की रूप रेखा तैयार करनी पड़ेगी जिसके मातहत हम वह सीमा निर्धारित कर सके जिस सीमा तक राजस्थान की स्वायत्त शासन संस्थाएं आजादी से काम कर सकें और उसके बाहर यदि कोई काम हो रहा हो तो उसके ऊपर सरकार की ओर से नियंत्रण रखना पड़ेगा। जब

[श्री भैरोंसिंह]

तक इस प्रकार का समावेश किसी व्यवस्था वाले कानून में नहीं है तो ऐसी सूरत में वह कानून परिपक्व कहा जा सके, ऐसी बात नहीं होगी। राजस्थान म्युनिसिपल बिल पर प्रवर समिति की जो रिपोर्ट इस सदन में आई है उसको देखने से निश्चितरूप से ऐसा लगता है कि ओरिजिनल बिल में मामूली हेर फेर करने के बाद, वास्तव में जिन चीजों की ओर ध्यान देना चाहिये था उनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और इसको कड़ा बना दिया गया जिसको कि आसान बनाना चाहिये था। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट जो अभी लागू है उसके साथ जो नयी व्यवस्था करने जा रहे हैं उसको देखें, पढ़ें और जिस तरह से आज तक अमल होता आया है उस ओर दृष्टिपात करें तो जो कानून वर्षों पूर्व हमने बनाया था, जिस समय की स्वायत्त शासन संस्थाओं का ढांचा आज की तरह जनतांत्रीय नहीं था, दूसरे ही तरह का था, और हम जो नया कानून बनाने जा रहे हैं इन दोनों को साथ साथ देखें तो उनमें कोई अंतर नहीं मालूम होगा बल्कि ऐसा मालूम होगा कि

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति पदासीन)

जो कुछ अधिकार पहले हमने जनता को दिये थे उनको हम इस कानून के द्वारा छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो नतीजा यह होता है कि उस कानून के मातहत एक्सपीरियेन्स हासिल किया कि जिसके कारण म्युनिसिपल सदस्यों को कोई अधिकार देना उचित नहीं समझते। यदि ऐसा नहीं है तो किसी दलील व भावना का समावेश नहीं है कि जिसके अनुसार यह कह सकें कि जो अधिकार पहले दिये थे उससे कम अब हमको देने चाहिये। चेयरमेन महोदय, यदि शुरू से अंत तक इसको देखा जाय तो पता चलेगा कि जहां म्युनिसिपल बोर्ड को अधिकार देने की बात सोची है वहां अधिकार जरूर दिया है लेकिन यह भी साथ साथ हाथ में रखा है कि जब चाहें तब उन अधिकारों पर कुठाराघात करके उनको समाप्त कर दिया जाय। म्युनिसिपल बोर्ड चाहे कोई भी काम करे, यदि उसमें किसी प्रकार राजनैतिक दल का अहित होता है तो उसके काम में रुकावट अवश्य डाली जायगी। आम तौर से यह सोचा जाता है कि इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो नतीजा यह होगा कि चाहे किसी भी प्रकार के नियम, उपनियम आदि म्युनिसिपल बोर्ड बनाता है उसको न तो सरकार स्वीकार करेगी और यदि करेगी तो राजनैतिक दृष्टिकोण से ठीक बैठने के बाद स्वीकार करेगी। हम इस सूरत में कहें कि हम जिन स्वायत संस्थाओं का उल्लेख करने जा रहे हैं...

श्री चांदमल मेहता—चेअरमेन महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सभापति (राज श्री हिम्मतसिंह अटरू)—There is no quorum

(गण पूरक घंटी के पश्चात पुनः)

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—(जारी) तो मैं निवेदन कर रहा था कि म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों को जिन्हें हमने म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य होने का गौरव प्रदान किया है,

Page No.68

[श्री भैरूंसिंह]

इसके साथ साथ हमने उनके द्वारा कोई भी स्वायत्त शासन का काम हो सके इसके सम्बन्ध में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप हो, यह करने की व्यवस्था इस कानून में की है।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

खेद के साथ कहा जाता है कि कोई यह कह सके कि कस्बों में और गांवों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा हुआ है तो यह उचित नहीं है और अगर हम यह मानकर चलते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है तो यह उचित नहीं है और अगर हम यह कहें कि नगर में रहने वाले लोगों की जिनमें कि अधिक संख्या में मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है तो यह भी उचित नहीं होगा। नगरों में रहने वाले किसी भी वर्ग की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है तो उन्हीं वर्गों की है जिनको कि समाज केपिटेलिस्ट्स, सामन्त शाही और राजाशाही के नाम से पुकारती है। तो ऐसी सूरत में हमें यह सोचना पड़ेगा कि नगरों में जहां हम म्युनिसिपैलिटीज की व्यवस्था करने जा रहे हैं वहां किस प्रकार के लोग आबाद हैं; वहां बसने वाले लोगों का सामाजिक स्तर, आर्थिक और नैतिक स्तर कैसा है, यह सोचने के बाद कोई नियम बना सकते हैं और उसमें टैक्स लगाने की बातें, उनका काम समुचित रूप से चले इसकी व्यवस्था करने के हेतु धन-संचय करने की बातें, लोगों को काम देने की बातें, और और दूसरी आवश्यक बातें तभी कर सकते हैं जब कि यह सब सोचें।

स्वायत्त शासन का मतलब यह है कि अपना काम चलाने के लिये, अपना काम करने के लिये वित्त का संचय उसी गांव से, कस्बे से और उसी नगर से करें और उस वित्त से काम करें। यह उचित है कि हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये। पर यह सुनने को मिलता है कि डेमोक्रेसी अभी शिशु अवस्था में है, कई कहते हैं कि लोगों का आर्थिक शोषण हुआ है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यह सब कुछ बार बार सुनने को मिलता है। ऐसी सूरत में स्वायत्त शासन के अधिकार देकर यह कहें कि अपने अपने क्षेत्र से धन इकट्ठा करके उससे अपने अपने सारे नगर, कस्बों और गांवों की व्यवस्था करें, यह उचित नहीं होगा। इसमें सरकार को सहायता देनी पड़ेगी। पर इस कानून में सरकारी सहायता का बिलकुल अभाव है।

जिस कानून में सरकारी सहायता का बिल्कुल अभाव हो, कौन कौन से म्युनिसिपल बोर्ड सरकार से सहायता मांग सकते हैं, क्या मांग सकते हैं, म्युनिसिपल बोर्ड को किस तरह के प्रस्ताव पास करने का अधिकार है, और उसको किस प्रकार के सुझाव पेश करने का अधिकार है और सरकार उन पर किस प्रकार से, किस ढंग से कार्यवाही करेगी, इन सब चीजों का जिस कानून में अभाव हो उस कानून से स्वायत्त शासन का मतलब हल होने वाला नहीं है। असंतुलित बजट के कारण ये स्वायत्त शासन संस्थाएं ठीक तरह से व्यवस्था कर सकें, ठीक तरह से चल सकें, ऐसा संभव नहीं है।

[श्री भैरूंसिंह]

जिस कानून में व्यवस्था की है टैक्स लगाने की, छुट्टी दी है गधे, ऊंट, घोड़े और मवेशी सब पर टैक्स लगा दिया जाय। अगर एन्टरटेनमेंट के लिए कोई मवेशी रखता है, किराये पर नहीं चलाता उसके लिये भी सरकार कहेगी कि इन पर भी टैक्स लगाओ, अमुक व्यक्ति के इतने जानवर हैं उन सब पर टैक्स लगाओ, इस प्रकार पैसा जुटा कर म्युनिसिपेलिटीज़ का शासन चलायें, यह उचित नहीं है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह टैक्स भी गरीबों पर लगाया गया है। गरीबों के धन से सारे गांवों, कस्बों और नगरों की व्यवस्था की जाय, उस व्यवस्था को हम कदापि एक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। बड़े बड़े पूंजीपतियों, राजा महाराजाओं को इन टैक्सेज़ से छूट दी गई है, उनको छूट दी है कि वे छोटे छोटे उद्योग-धंधे, फैक्ट्रीज़ चलायें, इन म्युनिसिपेलिटीज़ से सारा का सारा फायदा उठाकर वे लोग धन का एकत्रीकरण करें, इस बात की इसमें छूट दी गई है। केवल यह कह देना कि राजे महाराजाओं को छूट है, छोटे छोटे लोगों को उद्योग-धन्धों की सुविधाएं देने के लिए हम म्युनिसिपेलिटीज़ से उनको कन्सेशन नहीं दिलायें ? राजा महाराजाओं और पूंजिपतियों को फैक्टरीज़ चलाने के लिये किसी प्रकार का कन्सेशन देना चाहते हैं तो आप अपने खजानों में से दीजिये, म्युनिसिपैलिटीज़ की रेट्स में कन्सेशन करते हैं तो यह गरीबों के साथ अन्याय है। म्युनिसिपेलिटीज़ का कानून बने तो यह सोचना कि हम कोवेनेन्ट के खिलाफ नहीं जा सकते; कोवेनेन्ट के खिलाफ नहीं जाना है तो सरकार नहीं जाय, सरकार खुद उस रकम का भुगतान म्युनिसिपेलिटीज़ को करे कि इतना कन्सेशन उनको दिया जाता है वह रकम सरकार अपने खजाने से म्युनिसिपेलिटीज़ को दे। लेकिन यह न्याय संगत नहीं रहेगा कि गरीबों पर टैक्स लगा दें और अमीरों को उससे मुक्त कर दें। इसलिये यहां तक इस कानून में यह व्यवस्था है, वह गरीबों का शोषण करने वाला है और इसका ठीक नहीं करें तब तक इस कानून को विचारार्थ लिया जाना उचित नहीं होगा। यदि म्युनिसिपेलिटीज़ यह तय कर लें कि हम इनको कन्सेशन नही देंगे, इन राजा महाराजाओं को छूट नहीं देंगे तो सरकार ने अपने हाथों में अधिकार ले लिये हैं और उन अधिकारों के मातेहत सरकार म्युनिसिपेलिटीज़ को आज्ञा देगी कि तुम्हें इन लोगों को टैक्सेज़ से मुक्त करना होगा नहीं तो हम बोर्ड को सुपरसीड करते हैं, एग्जीक्युटिव ऑफिसर मुकर्रर करते हैं। तो अपने काम का म्युनिसिपेलिटीज़ के मेम्बर खुद प्रबन्ध करें, अपने पैसे से प्रबन्ध करें, किसी को छूट नहीं करें, पैसा मिलने के बारे में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना चाहें तो इसके लिये सरकार आज्ञा देगी और वह सारा का सारा बोर्ड सुपरसीड किया जायगा और इसलिए किया जायगा कि गरीबों से पैसा लें और अमीरों को छूट दें। ऐसी सूरत में यह कहें कि म्युनिसिपेलीटीज़ स्वायत्त शासन की संस्था है और म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों को डेमोक्रेटिक आधार पर छूट दे रखी है अपना इन्तजाम खुद करने की, तो यह उचित नहीं होगा।

यही सोच लें कि यह अधिकार केवल सरकार को ही दिये हैं, ऐसी बात नहीं है, हमने ये अधिकार कलेक्टर्स कमिश्नर्स को भी दिये हैं। एक तरफ जनता के चुने हुए आदमी आते हैं, जनता उनको अपना प्रतिनिधि मान कर भेजती हैं, वे यदि कलेक्टर कमिश्नर का हुक्म नहीं मानें तो जो

[श्री भैरूं सिंह]

कलेक्टर कमिश्नर सरकार के इशारों पर चलते हैं, और न्याय-अन्याय का ख्याल नहीं करते हैं उनको यह अधिकार दिया है कि वे उनको हटा दें, यह किसी प्रकार प्रजातान्त्रिक नहीं कहा जा सकता। इसकी जरूरत क्या है। एक तरफ हमने विधान सभा का निर्माण किया है। उसमें सभी जगहों के चुने हुए सदस्य आते हैं और कोई माननीय सदस्य बोलते हैं और कोई कुछ नहीं बोलते, लेकिन इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि उनको हटानें का अधिकार सरकार को है। कहने का मतलब कि उनको हटाने का अधिकार सरकार को नहीं है, चाहे वे बोलें या न बोलें। मगर आप पंचायत एक्ट को उठा कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस प्रकार का अधिकार आपने वहां पर रखा है।

श्री **चांदमल मेहता**—माननीय उपाध्यक्ष, कोरम नहीं है।

(पुनः गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री **भैरूं सिंह**— माननीय उपाध्यक्ष, सदन में दो दफा कोरम नहीं रहा है। इसलिये सदन को एडजोर्न कर दिया जाना चाहिये।

(विराम)

केवल हम यह सोच लें कि सरकार टैक्स लगाने में गरीब और अमीर में किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेगी तो वह बात मान ली जावे, मगर यह बात भी नजर नहीं आती। उनके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं उसके लिये भी हम देखते हैं कि उसमें भी गरीबों को निकाल दिया है। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि गरीब लोग सदस्य नहीं बन सकते। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमें बार बार सरकार की तरफ से यह सुनने को मिलता है कि सरकार हरिजनों को उद्धार करना चाहती है और म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा सुख और सुविधा पहुँचाना चाहती है, लेकिन सरकार उनको सुख और सुविधा पहुँचाने की कौनसी चीज अमल में लाई है, उनके हित में कौन से कानून बनाये जा रहे हैं यह हमारी समझ में नहीं आया है। कौनसा ऐसा कानून है जिससे हरिजनों पर कम नियंत्रण लागू किया गया हो। आप देखेंगे कि दूसरे अधिकारियों पर तो आपका कम नियंत्रण है लेकिन हरिजन पर बहुत ज्यादा नियंत्रण है। इस प्रकार की व्यवस्था आपने यहां पर की है। आपने कानून में म्युनिसिपल बोर्ड के चैअरमेन को हटाने के लिये यह व्यवस्था की है कि उसके खिलाफ नो कोन्फीडेन्स का का वोट लाना पड़ेगा और उसके लिये आपने एक तरीका निर्धारित किया है और उसके अनुसार उसके खिलाफ २।३ सदस्यों के वोट आने के बाद उसको हटा सकते हैं।

(घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष**—आप संक्षेप में ही कहें। आपको १५ मिनिट हो गये हैं।

श्री **भैरूं सिंह** (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, लोग बहुत समय तक बोले हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आधा घंटा तो कम से कम इनको देना ही चाहिये।

श्री भैरूसिंह—(जारी) एक तरफ तो सरकार ने चुने हुए चेअरमेन को हटाने की व्यवस्था की है और दूसरी तरफ यह व्यवस्था की है कि उसके स्थान पर सरकार किसी सेक्रेट्री या दूसरे व्यक्ति को एग्ज़िक्यूटिव ओफिसर मुकर्रर कर सकती है। मगर आपने उसमें भी यह रखा है कि अगर एग्ज़िक्युटिव ओफिसर के खिलाफ भी म्युनिसिपेलिटी में कोई नो कोन्फीडेन्स का मोशन आए तो उसके लिये भी वही २।३ मेजोरिटी के वोट आए तो उसको हटाया जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो कानून एक चुने हुए व्यक्ति के लिये हैं वही एक सरकारी कर्मचारी को हटाने के लिये किस प्रकार रखा जा रहा है। एक तरफ आप यह कहते हैं कि आप चुने हुए सदस्यों की कद्र करते हैं और दूसरी तरफ एग्जिक्युटिव ओफिसर या सेक्रेट्री जिसको गवर्नमेंट मुकर्रर करे इसको हटाने के लिये भी वही अधिकार देती है जो चेअरमेन को हटाने के हैं। तो फिर चुने हुए व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच में क्या अन्तर है ? इस संबन्ध में मैं झुंझुनू में जो हुआ है उसकी मिसाल और वहां के एग्ज़िक्यूटिव ओफिसर की मिसाल देकर बताऊंगा तो आपको सारी बातें साफ जाहिर होंगी यदि माननीय उपाध्यक्ष, इसके लिये आज्ञा देंगे।

श्री कंवरलाल जेलिया—सर्विसेज़ का संरक्षण किस तरह से हो सकता है ?

श्री भैरू सिंह—(जारी) मैं बताता हूँ। यह सब आगे आएगा। एक तरफ हमने कम वेतन पाने वाले म्युनिसिपेलिटी के कर्मचारियों के लिये बोर्ड को अधिकार दिया है कि वे एक महीने के नोटिस से हटा सकते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ जिनको एक महीने का नोटिस नहीं दिया जा सकता तो उनके खिलाफ नो कोन्फीडेन्स की जरूरत है। एक हरिजन को जो इतना कम वेतन पाता है, यानि २० रुपये माहवार तनख्वाह पाते हैं उनको एक महीने का नोटिस देकर या यों कहिये एक महीने की तनख्वाह देकर हटा सकते है। गरीब एक महीने की तनख्वाह लेकर चला जावेगा। गरीब को, जिसे वे चाहें छुट्टी इस तरह से दे सकते हैं और बड़े बड़े लोगों के लिये नो कोन्फी डेन्श का मोशन लाना होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहिता हैं कि आपको इस संबन्ध में साफ साफ नियम अपने सर्विस रूल्स में बनाने चाहिये। वर्ना क्या होगा कि जिसको म्युनिसिपल बोर्ड चाहेगा एपोइन्ट करेगा क्योंकि हर जगह लोग अपने पक्ष के व्यक्तियों को नौकर रखने की कोशिश करते हैं और यह बात हमेशा हमारे सामने आती है। इसलिये इस प्रकार की बातों को रोकने के लिये जो कोई भी कानून हो वह सब राजस्थान म्युनिसिपल बोर्ड में जितने भी कर्मचारी हैं उन सबों के लिये लागू हो और जो नियम बनाए जावें उन्हीं के अनुसार उनको हटाया जाए। मगर इस प्रकार का नियम न बना कर आप गरीबों और अमीरों में आपस में झगड़ा कराने की सूरत पैदा कर रहे हैं। इसलिये मैं यह कहूँगा कि आपको इस पर विचार करना चाहिये।

इसके अलावा, इतना ही नहीं, कौन कौन आदमी म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ सकते हैं उसके लिये भी आपने कानून में यह रखा है कि बरखास्त हुआ मेम्बर या निकाला हुआ

[श्री भैरूंसिंह]

मेम्बर चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति का कोई मास जरिया नहीं है या कोई सिफारिश नहीं है वह इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। यदि कोई नौकर आदमी के महोने का नोटिस देता है और आप उसके नोटिस को मंजूर नहीं करते और आप उसको डिसमिस कर देते हैं तो वह उस आदमी के डिसक्वालीफिकेशन में आ जाती है। इन सब बातों से गरीबों का शोषण और अमीरों का पोषण ही हो सकता है। इस तरह इलेक्शन लड़ने की छूट से लगाकर टैक्सेशन तक आपने अमीरो को छूट दे रखी है। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि इसको एक बार प्रवर समिति के पास दुबारा अवश्य भेज दिया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, बात यह है कि सरकार ने बोर्ड को सुपरसीड करने का अधिकार दिया है और इसके लिये कुछ कन्डीशन्स लगाई हैं। इसके लिये जो शब्द काम में लिये गये हैं उन्हें देखें तो आपको शब्द रचना से मालूम होगा कि अमुक अमुक काम न करने के कारण सरकार जिस वक्त चाहे उसको सुपरसीड या डिज़ोल्व कर सकती है। यह सरकार की मर्जी पर है, वह चाहे जिस प्रकार के आरोप लगा कर उसको भंग कर सकती है। इसलिए इस प्रकार का अधिकार सरकार को नहीं होना चाहिये। कई प्रांतों ने इस बात को मंजूर किया है कि इसके लिए एक ट्रिब्यूनल मुकर्रर की जाए जो म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायतें आदि जितनी भी स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं उनमें ठीक ढंग से काम हो रहा है या नहीं, उसको देखें और यह भी देखें कि काम ठीक ढंग से हो। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर इसे मुकर्रर किया है और अलग विभाग रखा है जिसमें एक जुडिशियल ओफिसर को लगाया है जो हाई कोर्ट के जज की हैसियत का व्यक्ति होता है और वह दो प्रकार के काम करता है; एक तो चुनाव कराता है और यह देखता है कि कम से कम सरकार का हस्तक्षेप हो। इसके अलावा वह भी देखता रहता है कि म्युनिसिपेलिटी ठीक तरह से काम कर रही हैं या नहीं। हमारे यहां हम मानते हैं कि आज जब कभी, जहां कहीं इलेक्शन होता है मिनिस्टर साहबान जाते हैं और वे लोगों को यह आश्वासन देते हैं कि आपके यहां पर सडकें बनाई जावेंगी, बिजली लगाई जावेगी और दूसरे भी कई आश्वासन देते हैं और जो लोग इस प्रकार के आश्वासन नहीं दे सकते वे लोग रह जाते हैं। मगर जब चुनाव हो जाते हैं और वहां देखते हैं तो मालूम होता है कि जिस प्रकार से आश्वासन दिये जाते हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। तो इन सारी चीजों की रोकथाम करने के लिए दूसरे प्रान्तों में इलेक्शन कमीशन नामकी संस्था होती है; उनके उपर इन बातों का जिम्मा होता है और उस संस्था का सभापति ज्युडिशियल ओफिसर होता है। वह इलेक्शन कन्डक्ट करता है। किस प्रकार इलेक्शन हो या किस आधार पर इलेक्शन वोइड किया जा सकता है वह सारी बातें इलेक्शन कमीशन निर्धारित करता है। मैं यह निवेदन करूंगा कि मिनिस्टरों के हाथ में इस प्रकार के छोटे छोटे मामले होने से या सरकार के इस प्रकार के अधिकारियों के हाथ में होने से इलेक्शन न्यायसंगत होगें, ठीक प्रकार से कन्डकट होंगे, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है। यदि किसी पोलिसी की बात करते हैं तो वह दूसरी बात है। लेकिन छोटे २ कामों के लिए आश्वासन देते हैं और अधिकार अपने पास रखते हैं तो उनके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि वाकई न्याय संगत होगा या नहीं?

[श्री भेरूंसिंह]

इलेक्शन जीतने के ऊपर जो पोलिसी बनी हुई है, एक आदमी जीतता है,जो सदस्य जीतकर आता है, जिस पार्टी से आता है, हो सकता है वह उस पार्टी से अलग हो जाता है, उसके खिलाफ विचारों में परिवर्तन आजाता है, हो सकता है कि वे इस विचारधारा के खिलाफ रहता है तो सरकार ने अधिकार ले लिया है कि अगर इस प्रकार हमारी मर्जी के खिलाफ सदस्य हो जांय तो वह म्युनिसिपेलिटी ही भंग कर दी जाय और भंग करते भी हैं। जयपुर म्युनिसिपल बोर्ड की मिसाल आपके सामने मोजूद है। उस म्युनिसिपल बोर्ड को भंग कर दिया और भंग ही नहीं कर दिया, उसका बार बार एक्सटेन्शन किया जा रहा है ताकि जल्दी इलेक्शन न हों। बिना कारण उसका एक्सटेन्शन करते जा रहे हैं यह देखकर कि जब जयपुर शहर का वातावरण हमारे अनुकूल हो जाय तो हम इलेक्शन करवायें। आज कोई कारण प्रतीत नहीं होता है, इसके सिवाय कि इसका एक्सटेन्शन करते जांय।

टैक्स लगाने की बात आती है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि टैक्स न लगाने के कारण भंग किया है अथवा उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो क्यों हो गई है ? आर्थिक संचय के नाम पर धन राशि ली है तो वह सरकार ने ली है या नहीं ? टैक्स के कारण सुपरसीड करने का कारण बताया गया है। मैं समझता हूँ कि वही कारण नहीं है कि केवल टैक्स नहीं लगा रही है इसलिए इसको सुपरसीड कर दिया जाय। सरकार ने अमुक आज्ञा दी कि अमुक सेक्रेटरी को म्युनिसिपल बोर्ड का सदस्य बनाना पड़ेगा। म्युनिसिपल बोर्ड चाहता है कि अमुक आदमी को सेक्रेटरी नहीं बनावें, अमुक को अफसर नहीं रखेंगे, अमुक काम शहरों में इस कारण से हो रहा है, वे उसको बरबाद कर देंगे, लेकिन सरकार का हस्तक्षेप होता है कि अमुक को अफसर या सेक्रेटरी नहीं बनाते हो तो हम सुपरसीड करेंगे, अवश्य सुपरसीड करेंगे। ऐसी सूरत में इस प्रकार के अधिकार लेकर उसको हम न्यायसंगत कहें समझदारी नहीं होगी। हम उसको न्याय संगत नही कहेंगे।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

बजट की चीज लीजिये, बजट के नाम पर हस्तक्षेप होता है। हस्तक्षेप होता है कि कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स लगा हुआ है और कितनी आमदनी हो सकती है। हरएक में हस्तक्षेप होता है। यह किस कारण से किया जाता है ? यह नहीं कि बजट नहीं बनाना चाहिये बल्कि यह है कि कोई भी म्युनिसिपेलिटी आमद वसूल कर रही है तो उसके आधार पर वह बजट बनावे, सरकार पैसा देने वाली नहीं है और जब सरकार पैसा नहीं देती है तो इस प्रकार बजट को मंजूर करने का सरकार को क्यों अधिकार होना चाहिए ? लेकिन होता यह है कि सरकार बजट मंजूर करती है। होना तो यह चाहिए कि जो जो म्युनिसिपेलिटीज़ की आमदनी है वह सरकार न ले, लेकिन सरकार लेती है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष जी......,

श्री उपाध्यक्ष—कंसीडरेशन की बात कहिये।

श्री भैरूं सिंह—कन्सीडरेशन की बात हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—काफी टाइम हो गया है। अब पांच मिनिट का टाइम और है।

श्री भैरूं सिंह—मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि बजट बनाने में जो सरकार का हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप ही नहीं बजट को खारिज कर सकती है, उसमें सरकार संशोधन कर सकती है और सरकार किसी मद को मंसूख कर सकती है, सरकार किसी खर्चे को मंसूख कर सकती है और इस कानून द्वारा जो अधिकार दिया गया है कि किसी काम को करने की खुली छूट है तो यह कहना गलत होगा। म्युनिसिपेलिटीज़ के बजट के ऊपर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये, केवल इसलिए नहीं कि बजट बनाया है वह गलत बनाया है, बजट के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं उनके आधार पर जितनी आमदनी होगी वह संतुलित रूप में आयेगी और बजट मंजूर कर देंगे और अगर सरकार द्वारा बजट के नाम पर सहायता दी जाती है, सहायता देना वैसे अच्छी बात है लेकिन हस्तक्षेप होता है अमुक कर्मचारी की नियुक्ति के बारे में, हस्तक्षेप होता है अमुक ऑफिसर, अमुक सेक्रेटरी की नियुक्ति के बारे में अथवा अमुक काम करने के बारे में, तो वैसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि हर मामले में जो सरकार को हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है वह ठीक नहीं है, उचित नहीं है स्वशासन को पनपाने के लिए, और इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

हमने बोर्ड के बारे में अपील करने के लिए प्रोविजन किया है इस बिल में और वह यह है कि अगर किसी कस्बे को अपील हो तो वह जायगी सरकार के पास और अगर किसी नगर की हो तो वह जायगी कमिश्नर के पास। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगा कि आज किसी शहर से म्युनिसिपेलिटी में चुनकर आये हुए चेयरमेन की जितनी जनता में इज्जत होती है उतनी सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की चाहे वह कमिश्नर हो, चाहे कलेक्टर हो उस चेयरमेन की इनके मुकाबले में ज्यादा इज्जत होती है, चाहे फिर वे कलेक्टर और कमिश्नर आई. ए. एस. हों या आर. ए. एस हों और चाहे किसी श्रेणी के हों। जनता के प्रतिनिधि की ज्यादा इज्जत होती है। इस बिल में जो इस प्रकार का म्युनिसिपेलिटीज़ के बजट सम्बन्धी हस्तक्षेप और कस्बे की अपील सरकार के पास होगी और शहर नगरपालिका से सम्बन्धी अपील कमिश्नर के पास होगी, चाहे किसी कारण से यह अधिकार लिये हों, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। एक व्यक्ति को म्युनिसिपेलिटीज़ कार्य का संचालन करने का अधिकार दिया गया है, वह लाखों व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है लाखों व्यक्ति यह सोचते हैं कि वह हमारा प्रतिनिधि है, उसने जो फैसला दिया है उसकी अपील होगी सरकार के अधिकारी के पास जो कि सरकारी पोलिसी को एग्ज़ीक्यूट करता है, और चूंकि वह सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी है तो सरकार की जिस प्रकार की पोलिसी होगी उसको एग्ज़ीक्यूट करने के लिए वह उसी पोलिसी के अनुसार उस फैसले में रद्दोबदल कर सकता है। अपील सुनने का अधिकार उन लोगों को देना चाहिये कि जिनका जुडिशियल माइन्ड हो, लेकिन उनको अपील सुनने का अधिकार नहीं देना चाहिये कि जिनका सरकार की पोलिसी को एग्ज़ीक्यूट करने का

[श्री उपाध्यक्ष]

माइन्ड हो। इस प्रकार के लोगों को अपील के अधिकार न देकर उन लोगों को अपील सुनने का अधिकार देना चाहिए जो वास्तव में जुडिशियल माइन्ड के हों और जो जुडिशियल होकर इस प्रकार के मामलों को देख सकते हैं।

मुझे ताज्जुब हुआ, मेरे से पूर्व वक्ता कोटा से आये माननीय सदस्य ने कहा कि जुडिशियल केसेज़ में अपील न सुनने का मौका देना चाहिए और न उन लोगों से उम्मीद करनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि आज जितनी अपील जुडिशियल ऑफिसर्स के पास होती हैं न्यायसंगत होती हैं। जिस प्रकार की परिस्थितियां होती हैं उनको वह मौके पर जाकर नहीं देखता है जब कि दूसरे एक्जीक्युटिव ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं वे सब मौके के ऊपर जाकर के भी फैसला देते हैं, लेकिन वे मौके पर जाकर फैसला नहीं देते। उनके पास तो जो फेक्ट्स होते हैं, कागजों में जो चीजें होती हैं उनको देखकर न्याय दृष्टि से फैसला देते हैं। चोरियां होती हैं, मर्डर होते हैं, उन सब मामलों में भी वे मौके पर जाकर फैसला नहीं करते हैं किन्तु उनसे सम्बन्धित जो फेक्ट्स होते हैं उनको देखकर कानून संगत जो न्याय मिलना चाहिये वही न्याय देते हैं। उस फैसले पर भरोसा होता है, विश्वास होता है। यदि किसी एक्जीक्युटिव ऑफिसर को कह दीजिये कि किसी ने ताला तोड़ा है, मोरी निकाली है, फैसला दो और फैसला देता है तो उस फैसले में दिक्कत आ सकती है। लेकिन जुडिशियल ऑफिसर के लिए यह दिक्कत नहीं होगी, वह जितने फेक्ट्स होंगे कि ताला तोड़ा है या नहीं, मोरी की आवश्यकता है या नहीं, उस सम्बन्ध में पहले जो चेयरमेन के पास, म्युनिसिपेलिटी के पास कार्यवाही हुई है, इन्क्वायरी हुई है वह सारी की सारी उसके पास पहुँच जावेगी और उनके होते हुए भी कोई गलती रहती है फैसले में, नियमों का कहीं उलंघन हुआ है या नियमों के प्रतिकूल कार्यवाही हुई है तो वह कलेक्टर के पास न जाकर सीधा जुडिशियल ऑफिसर के पास पहुँच जावेगी।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

तो इस बिल में इन चीजों का अभाव है और जिन चीजों का इस बिल में अभाव है उनको आप कानूनी रूप देने जा रहे हैं। इस बिल में कई अमेन्डमेंट्स लाने की जरूरत है। जैसी कि सरकार की प्रवृत्ति रही है कि ऑपोजिशन के अमेन्डमेन्ट्स को नहीं मानना, तो मैं निवेदन करूंगा कि यह अच्छी भावना का समावेश नहीं होगा। अतः मेरा अनुरोध है कि जोधपुर से आये माननीय सदस्य ने जो इसको वापिस प्रवर समिति के समक्ष रखने का प्रस्ताव किया है उसको स्वीकार करें।

श्री भान सिंह—Today is the second day of the discussion on the motion to re-refer this Bill to the Select Committee to make it more democratic. Those hon'ble members who spoke for the motion took strong objection to the powers—legislative, administrative and financial—which this Bill seeks to give to the State Government. They made a very strong case for Municipal Home Rule through complete de-centralization. I beg to differ from them; firstly

[श्री मानसिंह]

because in their approach to the problem they have completely lost sight of organic nature of relationship between the two institutions. The Municipal Boards and the State are not contrary to each other but both are working for the organized life of the community. Secondly, their ideas about de-centralization are suited to a by gone age. The development of science has not only destroyed space but has brought about a complete integration of economic, social and political institution, Thus all over the world there is a trend towards central control or centralization. Not only this, the growing emphasis on a social Welfare State through planned economy has destroyed the functional distinc. tion between the State and the Municipal Board. Today we cannot say precisely as to which function is of local interest and assign it to a Municipal Board. As for example in matters of health, education and roads which were formerly municipal functions, to-day in their efficient discharge, depend not only the wellbeing of the State but national development. Therefore, in such matters the State exercises a certain right of supervision and control but I can assure the Hon'ble Members that despite functional control this Bill will not take away municipal local initiative talent, knowledge or language. Let us see the extent and nature of control exercised by the State. It is of three types through three agencies--legislative, administrative and financial. I will place this control from these three angles before this House so that it may come to a correct decision whether this Bill prevents the municipal boards from acting as democratic school of politicls, life and character. I first take up the legislative control.

Those hon'ble members who spoke for the motion will permit me and share with me when I say that the right to municipal administration is not an inherent right, because it is always the result every-where and all countries of legislation. Their functions, powers and duties are a result of legislative or parliamentary enactments. The Municipal Boards have to work wi hin the limits prescribed by the Act. If they exceed their powers the law of ultra vires will prevent them and if they claim this as inherent right they will not be the Municipal Boards but Sovereign states. Therefore, we cannot leave them without our control. But since a comp'ete control by the legislature would prove cumbersome, expensive and dilabory even in matters of insignificance nature, another type of control which is flexible, cheap, quick and convenient that is administrative control was devised. This control besides securing to the municipal boards the advantages just I have enumerated, gives to them expert supervision in technical matters. Not only this it is also favourable for a consistent development of administrative policy which is so conducive to the

[श्री मानसिंह]

efficient and stable working of the municipal board. These powers such as recalling in a court of enquiry, of inspections and of laying down certain standard minimum of services are not undemocratic, are not centralization but they are very efficient. They prevent the municipal-home-rule from degenerating into anarchy. But here there are some exceptions as the powers of supersession and dissolution of the municipal board, the removal of the elected chairman, the cancellation, modification of a resolution or the imposition of taxes and fees and certain powers of the Collector. Here, Mr. Deputy Speaker Sir, I cannot recommend the case of the Bill. These powers are vague and very wide. No country poss-esses such powers except these that fear local representative and we need not have any ground to fear them. Here these powers are specially entrusted to the officer. This power of official censor will hang over the local representative like theDemoclean sword and will paralyse the functioning of the municipal boards. These powers will sabotage the very purpose for which we are establishing the local institutions. Thus I would here recommend to the House and to the Hon'ble Minister that there should be a proper integration of the State authority with local authority.

This brings us to the third control exercised by the State in the field of finance. This financial control is the result of the pressure of economic forces and the growing complexities of modern life. To-day we cannot precisely say as to what sort of ones income is from a local source and assign it to the municipal board. Not only this the division of fiscal resources into the Union List and the State List has left the States with very few productive resources. This division has had its repercussions on the assignment of resources to the municipal board. Their resources are very limited and unproductive. Thus while theire income is limited and the growing demands of a social welfare State with its ideals of a socialistic society, their functions multiplied and liabilities increased. Thus to cope with these increasing liabilities the Municipalities have increasingly relied on the State Aid. And this State aid is given in all countries either in the form of grants—in—aid or like a share in the revenues in U. S. A. or deductions in U. S. S. R. from the central revenues for local purposes and thus when the State invests or gives this aid to the local bodies, does this House think that the Government should not exercise certain power in order to safeguard its investment ? Therefore, such financial powers as supervision and control or auditing their accounts are essential to check the extravagance of the municipal boards. Not only this, since the liabilities of the municipalities are the responsibility of the State, the latter hnmbly reserves to itself the power to control their Borrowing power. Thus no member here would say that these powers should be relaxed. This advice would be more undemocratic than the powers themselves.

[श्री श्रीमानसिंह]

Thus by placing the control over the local bodies from various angles I make it clear to this House that today there is a growing trend towards decentralization and we cannot leg behind with our sentiments for the municipal home rule. Democracy to be successful must not be served by outworn and out moded local bodies. I have also made it clear to this House that we have to establish the municipal boards on a sound, stable and efficient footing so that municipal talent, knowledge, enterprise and initiative may have full scope and full play. We have to check against excessive officialization but in order to prevent the municipal homerule from degenerating into anarchy we have to keep certain powers to ourselves

Mr. Deputy Speaker, Sir, these two contradictory things are very difficult to be harmonized—centralisation on the one hand and decentralization on the other, but we can find a workable solution of these two if we make workable maxim of centralized control and decentralized activity and this we can do by suitably amending the Bill and not by adopting this dilatory and expensive motion to re-refer this Bill to the Select Cemmittee.

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस बिल के बारे में सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भेजने के लिए प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस म्युनिसिपेलिटीज़ एक्ट को जब जिन सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरों ने बनाया उस वक्त उन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि हिन्दुस्तान के विधान का क्या प्रयोजन है और सिलेक्ट कमेटी के अन्दर जो एक्ट बन रहा है उस एक्ट के अन्दर कोई १० साल पहले का, १५ साल पहले का, कोई ५ साल पहले का कानून लाकर उन्होंने रख दिया और उन एक्टों को देखकर यह एक्ट बना दिया । (हियर, हियर)

श्री गोपीलाल यादव—No.

श्री मुक्तिलाल मोदी—ऐसा है, बिल्कुल करेक्ट बात है ।

तो, माननीय उपाध्यक्षजी, उस विधान के अन्दर जिस तरह का विधान बना है हिन्दुस्तान का उस विधान को देखकर उसके बाद यह एक्ट बनाते हैं । जो आज एक कलेक्टर को अधिकार दे दिया है मेम्बर को हटाने का तो एम० एल० ए० को हटाने का किसको अधिकार है ? (हंसी) वह भी अधिकार होना चाहिए । उस मेम्बर को आपने जो हटाने का कलेक्टर को अधिकार दे दिया है तो यह अधिकार बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि वह एक मेम्बर चुना हुआ है और यहां ही नहीं आप दूसरे देशों में देखें तो जब तक इसके अन्दर थोड़ी—घणी चीज नहीं लागू हो हिन्दुस्तान के अन्दर तो हिन्दुस्तान अपने उच्च स्तर पर कैसे पहूँचेगा और उसके अन्दर यह करना चाहिए था

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

कि ज्यादे से ज्यादा यह करना चाहिए था उस मेम्बर को हटाने के लिए इस एक्ट के अन्दर कि इन्क्वायरी कमेटी बैठाकर उस मेम्बर को हटा देना चाहिए, न कि कलेक्टर और कमिश्नर को अधिकार दिये जांय कि कोई मेम्बर गलती करे तो कमिश्नर और कलेक्टर को अधिकार है कि उसको हटा दे।

एक माननीय सदस्य—पढ़िये जरा, कहां दे दिये ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—दूसरा यह है कि जब कि राजा खत्म हो गये हैं और राजप्रमुख और जागीरदार खत्म हो रहे हैं, एक्ट बन रहा है, विधान के अन्दर यह प्रोवीजन आने वाला है कि राजप्रमुख खत्म किये जायं तो यह म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अन्दर जो धारा रखी है कि राजाओं की जो प्रोपर्टी होगी उनको बिजली और पानी के जो रुपये खर्च होंगे वह माफ कर दिये जायेंगे। तो ऐसी हालत में यह जो मिनिस्टर बने हैं, और एम० एल० एज० बने हैं उनका खर्चा भी माफ कर दिया जाता तो ज्यादा बेटर होता। क्योंकि आजकल के राजा तो हम लोग हैं। आज हम गांवों में जाते हैं तो यही कहा जाता है कि पाप पुन्य करने वाले तो आप लोग हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—यह कौनसी क्लॉज है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप क्लाज़ देख लें। यह एक्ट अंग्रेजी में बना हुआ है, नहीं तो बता देता आपको।

परन्तु राजाओं का जो इस तरह का इस एक्ट के अन्दर प्रोवीजन आया है, एक तरफ तो यह बात करते है आप लोग कि राजप्रमुख का पद समाप्त होना चाहिए, राजाओं और जागीरदारों को अधिकार नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ उन्हें अधिकार देने की बातचीत कर हैं और उसको इस एक्ट में ला रहे हैं। यह कहां का तरीका है ? यह दो विपरीत तरीके साथ साथ दुनिया में भी नहीं चल सकते हैं और अगर आप लोग चलाते है तो इस तरह की सरकार आपकी नहीं चलेगी ज्यादा दिन क्योंकि आज प्रजातन्त्र के जमाने में और प्रजा के जमाने में इस तरह के जो एक्ट नये नये बना रहे हैं तो आप मेरे को यह बता दीजिये कि विधान बनाने के बाद कौन से प्रान्त में ऐसा एक्ट बना है कि उस प्रान्त के एक्ट को लेकर इस ऐक्ट के अन्दर वह अधिकार पास किये गये हों। एक आदमी भी सिलेक्ट कमेटी का मुझे बता दे।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो मेरे कोटा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि बनिस्बत उसके कलेक्टर के बजाय जुडीशियल ऑफीसर को पॉवर्स देने चाहिए, क्योंकि कलेक्टर के पास तो आज इतना काम पड़ा हुआ है कि १२-१२ महीनों और ६-६ महीनों तक फाइलों और मुकद्मों की सुनवाई नहीं हो सकती है और यह एक बेगार और दे दी।

श्री कंवरलाल जेलिया—एडीश्नल कलेक्टर मौजूद हैं।

श्री गोपीलाल यादव—वह काम भी हटा दिया है। (घंटी)

श्री मुक्तिलाल मोदी—तो, माननीय उपाध्यक्षजी, तीसरी बात यह है कि जो सबसे ज्यादा महत्व की है वह है कि मेहतर जो काम करेगा उसकी सजा का जो प्रोवीजन रखा है तो चेयरमेन को सजा देने का भी प्रोवीजन ६ महीने का इस एक्ट के अन्दर होना चाहिए, तो मेम्बरों के लिए भी सजा रखनी चाहिए, और जो एम० एल० एज हैं उनके लिए भी सजा का प्रोवीजन विधान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वह मेहतर ही क्या गलती करता है ? तनख्वाह तो आप भी लेते हैं २०० रु० और चेयरमेन भी लेगा और सब लोग भी लेगें। तो मेहतर की तनख्वाह का एक प्रोवीजन रखा है। एक तरफ तो उनके अधिकारों को, छुआछूत के अधिकारों को बढ़ा रहे है और दूसरी तरफ उसके ऊपर पाबन्दी लगा रहे हैं कि उसको एक महीने की सजा दी जायगी, मगर मंत्रीजी को हटाया जायगा ऐसा कानून पब्लिक के ध्यान के अन्दर नहीं है आज तक । उसको एक महीने की सजा होगी। यदि उसको हटाने का अधिकार नहीं है तो यह क्यों रखते हैं ? ऐसा कानून दुनियां में भी कहीं नहीं है तो फिर राजस्थान में क्यों लागू कर रहे हैं ऐसा कानून। राजस्थान विधान सभा में आप लोग उधर के बैठने वाले पास कर देंगे तो अच्छा नहीं होगा। क्यों कि अब अपोजिशन में मामूली आदमी रह गये हैं इसलिये आप पास कर दोगे, नहीं तो मालूम हो जाता कि कैसे पास करते हो ऐसा कानून। आज इस तरह का कानून लागू करने से झगड़े की भावना ज्यादा पैदा होगी। लोग कहेंगे कि आज के प्रजातंत्र के जमाने में और प्रजातंत्र के शासन में इस प्रकार का कानून बनाकर हमारे पर लाद रहे हैं। आप देख लेना, अभी तो इस पर बहस ही हो रही है। हो सकता है कि कल मिनिस्टर महोदय और पार्टी के जंच जाय तो ये क्लॉजेज़ निकाल भी दें वरना आप देख लेना असेम्बली के दरवाजे पर लोग क्या करते हैं।....

श्री लालबहादुर—कल क्या हो जायगा, यह भी बता दो ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—(जारी) तो ऐसी हालत में इस क्लॉज़ को नहीं रखना चाहिये और कोई अमेंडमेंट ला सकते हैं लेकिन इस धारा को हटा देना चाहिये और इस तरह का प्रोविजन नहीं रखना चाहिये।

चौथी बात यह है कि राजस्थान सरकार अपने आप टेक्स लगा सकती है। कोई टेक्स यदि सरकार लगा देती है तो उस टेक्स को म्युनिसिपेलिटी के चुने हुए सदस्यों को मानना होगा। तो ऐसी हालत में जब सरकार टेक्स लगा सकती है तो क्या जरूरत है म्युनिसिपल बोर्ड की, क्या जरूरत है म्युनिसिपल एक्ट की ? चुनाव करने की भी जरूरत नहीं है, बोर्ड की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार अपने हाथ में सारी चीजें रखना चाहती है और वही टेक्स लगावे। जिस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम होता है उसी तरह म्युनिसिपेलिटीज़ का भी डिपार्टमेंट बना लें और फिर चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि चुनाव की आवश्यकता समझती है सरकार, तो जो बोर्ड बना है उस पर सारे टेक्स लगाने न लगाने के अधिकार छोड़ने चाहिये। तो जो बोर्ड तय करे वे ही टेक्स लगावें। सरकार के हाथ में नहीं रहे।

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जितने भी अधिकारी हैं उनको चेयरमेन या कोई अफसर चाहे जैसे उन सर्विस करने वालों को हटा सकते हैं। इस संबन्ध में कोई रूल्स नहीं बनाये। इसके लिये पी. एस. सी. या उसके जैसी कोई बोडी होनी चाहिये। उसके सदस्यों का चुनाव होना चाहिये। लोकल बोर्ड्स, पंचायत, म्युनिसिपेलिटीज़ के लिये इस तरह का प्रोविजन नहीं है, जो रखना चाहिये। इन कर्मचारियों के लिये प्रोविडेन्ट फंड, इन्श्योरेन्स आदि का प्रोविजन भी नहीं है वह सब रखना चाहिये। राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के जो प्रोविजन्स हैं वे ही सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों के लिये भी होने चाहिये। तो जो यह प्रस्ताव रखा है जोधपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कि इसको दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिये, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री सोहनलाल भटनागर—उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ...

एक माननीय सदस्य—घोर विरोध नहीं ?

श्री सोहनलाल भटनागर—(जारी) घोर नहीं। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि इस कानून को वापिस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। कोई कानून संपूर्ण नहीं हो सकता। लेकिन इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने से पहले हमें देखना है कि आया जो कमियें हटानी हैं वे सिलेक्ट कमेटी के द्वारा ही हटाई जा सकती हैं या जो मामूली सुधार इसमें होने चाहियें वे सदन में ही हो सकते हैं। मैं कुछ विचारधाराएं रखूंगा, जिनसे विदित होगा कि ऐसी कोई धाराएं नहीं हैं जिनके कारण इसे वापिस सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

हम हिन्दुस्तान को समाजवादी ढंग का निर्माण करने जा रहे हैं। समाजवादी ढंग को लाने के लिये समाज में विकेन्द्रीकरण को कुछ धाराएं होनी चाहिये, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन जब ऐसी परिस्थिती या ऐसे नियम हमारे कानून में रखे जाते हैं तब कहा जाता है कि आज ऐसा हो गया, फलां अफसर को अधिक पॉवर्स दे दिये जो कि सरकार में निहित पॉवर थे उनका विकेन्द्रीकरण करते हैं और जिला अधिकारियों को अधिकार देते हैं तो उसके खिलाफ बोलते हैं। पहले इनको कम अधिकार थे और गवर्नमेंट के हाथ में अधिकार थे और इस बिल में सरकार की बनिस्पत जिलाअधिकारी को अधिक पॉवर दिये गये हैं। जिला अधिकारी एग्जीक्यूटिव अधिकारी है उनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जुडिशियल अधिकार भी है लेकिन म्युनिसिपेलिटीज़ का एग्जीक्युटिव फंक्शन है, उस फंक्शन के लिये अपील का अधिकार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स जज को देना शायद ठीक नहीं होगा। ग्राम पंचायत कानून में अपील या रिविजन का जो अधिकार दिया गया है वह दूसरी तरह का फंक्शन है, वह जुडिशियल फंक्शन है इसलिये रिविजन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज के पास है और एग्जीक्युटिव मामलों में अधिकार कलेक्टर के पास है। लेकिन इस म्युनिसिपल बिल मातहत कोई जुडिशियल फंक्शन म्युनिसि-

[श्री सोहनलाल भटनागर]

पेलिटीज़ के नहीं होंगे । ऐसी सूरत में मैं यह उचित नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपील सुनने का अधिकार दिया जाय । जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यह पसन्द नहीं करेंगे कि उनकी अपील आई. ए. एस. या दूसरे अधिकारियों के पास जाय और उनकी सारी कार्यवाही उन लोगों के सामने जाय, इसलिये जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उनकी अपील सुनने के लिये एक ट्रिब्युनल हरेक जिले के लिये या सारे राजस्थान के लिये नियुक्त किया जाय ।

बड़ी सादड़ी के सदस्य जो सिलेक्ट कमेटी के सदस्य भी थे उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा और बताया कि उदयपुर में जो सिटी कोर्पोरेशन चल रहा है उसको बिल्कुल भंग किया जाय । यहां तक कि सिटी म्युनिसिपेलिटी बिल्कुल नहीं रखी जाय । इसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । विरोधी दल के नेता ने कहा था कि हिन्दुस्तान में सिर्फ तीन ही कोर्पोरेशन्स हैं और कहीं नहीं हैं । मैं निवेदन करूंगा कि उन तीन कोर्पोरेशन्स के अलावा जबलपुर और बेंगलोर में भी सिटी कोर्पोरेशन्स हैं । इसके अलावा यू. पी. के बारे में अखबारों में निकला है कि ५ बड़े शहरों में म्युनिसिपेलिटी के बजाय कोर्पोरेशन्स कायम किये जा रहे हैं, तो राजस्थान में भी जो स्थान कमिश्नर के हेड क्वार्टर्स हैं वहां पर कोर्पोरेशन की व्यवस्था करते तो अच्छा होता । कोरपोरेशन के लिये टेक्सेशन हायर होंगे और वह पूर्ण स्वतंत्र होगा, उसके लिये हम तैयार हैं या नहीं । कुछ वर्षों पूर्व राजाशाही के जमाने में मेवाड़ में उदयपुर कोर्पोरेशन कायम किया गया था और सारे राजस्थान में म्युनिसिपेलिटीज़ का जो वर्क है वह कितनी सुन्दरता से कोर्पोरेशन चला रहा था यह गौर करने की चीज है । दूसरी दलील यह थी कि क्या टेक्सेशन के लिये हम इतने तैयार हैं कि वह स्वावलम्बी हो सके । टेरिफ कमीशन की रिपोर्ट है कि म्युनिसिपेलिटीज़ अपना भार खुद वहन करें और स्वावलम्बी हों, सरकार की ओर नहीं देखें । आज गांवों से जो नुमायन्दे आते हैं वे कहते हैं कि हमारे यहां टेक्सेशन से जो धन लिया जाता है वह शहरों में सड़कों, नल, बिजली आदि के लिये खर्च किया जाता है और गांवों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है । इस बारे में निवेदन करूंगा कि म्युनिसिपेलिटीज़ को अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिये और सरकार से ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिये ।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूंगा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि एक सिंगल कान्स्टीट्युएन्सी की इसमें व्यवस्था है, पर मैंने इस सारे बिल को देखा इसमें सिंगल कान्स्टट्युएन्सी की व्यवस्था नहीं है । सरकार ने अपने अधिकार में रखा है कि सिंगल कान्स्टीट्युएन्सी रखें या वार्ड में विभाजित करें । मैं अर्ज करना चाहूंगा कि सिंगल कान्स्टीट्युएन्सी बहुत आपत्तिजनक होती हैं, आठ, दस मेम्बरों को एक साथ वोट देना होता है और बड़ी गड़बड़ी हो जाती है और बे पढ़े लिखे आदमी गड़बड़ी में पड़ जाते हैं, इसलिये सरकार ने सिंगल कॉन्स्टीट्युएन्सी वर्ड में परिवर्तन कर दिया है । ऐसी सूरत में जनरल पावर दे दी हैं कि कहीं जरूरत पड़े तो सिंगल कॉन्स्टीट्युएन्सी रखे । किशनगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने और सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात रखी कि पंचायतों और म्युनिसिपेलिटियों के अधिकारों में बहुत फरक है । मैं अर्ज करूं कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पहले ग्राम पंचायतें थीं, पर वहां पर ५,००० की आबादी हो जाने के

[श्री सोहनलाल भटनागर]

बाद म्युनिसिपैलिटीज बना दी गई, उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये ५०-५० मील दूर जाना पड़ता है। सलूम्बर में ग्राम पंचायत थी पर एक वर्ष के भीतर वहां म्युनिसिपेलिटी कायम हो जाने से पंचायत कोर्ट के दावे समाप्त हो गये और अब वहां की जनता को छोटे छोटे दावों के लिये उदयपुर जाना पड़ता है। यही हालत बेगूं की है। इसी तरह अलग अलग सदस्यों ने अपने अपने यहां की बातें रखीं। म्युनिसिपल बोर्ड वाले स्थान हैं वहां की जनता ग्राम पंचायत वाले स्थानों की जनता से ज्यादा पढ़ी लिखी है, उनको ज्यादा अधिकार देंगे तो कोई बुरी बात नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज़ को पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये, उन पर एग्जीक्युटिव ऑफीसर वगैरह का नियन्त्रण नहीं रहना चाहिये। पर आज राजस्थान में म्युनिसिपैलिटीज़ में एग्जीक्युटिव ऑफीसर्स हैं, म्युनिसिपैलिटीज किस प्रकार पार्टी बन्दी की शिकार होती हैं और अपने आदमी को वहां लाने की कोशिश करते हैं इसलिये इस बारे में भी नियन्त्रण रहना आवश्यक है। मैं कहता हूं कि एग्जीक्युटिव ऑफीसर म्युनिसिपैलिटीज के कार्य को ठीक तरह करें, पर यह नहीं कि उसका डे टू डे वर्क है उसमें हस्तक्षेप करें और उन मेम्बरान की राय को नहीं मानें तो उसको हटा दिया जाय। तो इस बारे में संरक्षण का प्रोविजन म्युनिसिपैलिटी एक्ट में होना अत्यन्त आवश्यक है।

एक बात सुपरसेशन के बारे में कही गई। इसके लिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहले के कानून में सुपरसेशन की सीमा नहीं थी, फिर यह सिलेक्ट कमेटी में गया और सिलेक्ट कमेटी ने नई धारा रखी कि एक साल से अधिक सुपरसेशन नहीं रह सकेगा।

तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम यहीं सदन में सुधार सकते हैं। ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं कि इनके लिये इस बिल को फिर से सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय।

श्री मानसिंह महार—माननीय उपाध्यक्ष, सदन के समक्ष जो जोधपुर से आये हुये माननीय साम्यवादी मित्र ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। मेरी राय में इसके बारे में मैं विरोध क्यों करना चाहता हूँ यह बात बता दूं तो ठीक रहेगा। वे यदि यह बात रखते कि दूसरी सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय तो मैं उचित समझता पर उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि इस बिल को उसी सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय।

तो मैं यह कहूँगा कि ओरिजिनल बिल से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी ने और दकियानूसी बनाया है और फिर इसको उसी सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया तो वह सिलेक्ट कमेटी इस बिल को और भी इससे ज्यादा दकियानूसी बनायेगी। इसमें यह है कि इस सिलेक्ट कमेटी में २५ सदस्यों के नाम हैं उनमें से ६ तो ऐसे हैं जो मिनिस्टर हैं या रियासतों के जमाने में मिनिस्टर रह चुके हैं या राजस्थान के ही एक्स मिनिस्टर हैं। एक दफा जो आदमी कुर्सी पर पहुँच जाता है तो वह

[श्री मोहनलाल भटनागर]

जनता की सेवाओं की ओर ध्यान नहीं देता। चौधरीजी कह रहे हैं कि उनका दिमाग फेल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इसे उसी सिलेक्ट कमेटी में रेफर करने का है उसका मैं विरोध करता हूँ।

मेरे छबड़ा से आये हुए माननीय मित्र ने इसका समर्थन किया है, पर छबड़ा वाले मित्र का जो समर्थन है वह तो छबड़े में टांगने लायक है, उन्होंने जो कुछ कहा है निराधार कहा है। मैं नहीं समझता था कि ऐसी कोई बात हो सकती है कि कोई सदस्य सिलेक्ट कमेटी का सदस्य हो तो इस तरह से अन्धाधुन्ध तरीके से अपनी गलतियों का समर्थन करने के लिए खड़ा हो सकता है।

मुझे सबसे बड़ा आरोप सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों पर लगाना है, वह यह है कि उन्होंने राजस्थान की म्युनिसिपेलिटीज़ के राइट्स को ग्राम पंचायतों से, जो छोटे छोटे गांवों में ग्राम पंचायतें बन रही हैं उनसे भी पीछे रखने की कोशिश की है। इसका मुख्य कारण मैं मान सकता हूँ कि यही हो सकता है कि इस बिल का ज्यादा भाग जिस सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द रहा था उसके ग्रामीण मिनिस्टर इन्चार्ज थे। इसलिये उन्होंने सोचा है कि गांव वालों को ऊंचा उठाना अच्छा होगा। परन्तु माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कोई उचित बात नहीं है। शहरों में वर्षों से इस प्रकार के लोकल इन्स्टीट्यूशन्स चले आ रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने तो नोट ऑफ डिसेन्ट भी दिया है। जयपुर में तो यह एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पुराना है, हिन्दुस्तान के सबसे पुराने एडमिनिस्ट्रेशन में से है। ऐसा होते हुए हम राजस्थान की म्युनिसिपेलिटीज़ को ग्राम पंचायतों से कम अधिकार देते हैं तो यह सरासर अन्याय है।

छबड़ा से आये हुए माननीय मित्र ने कहा कि सिविल केसेज़ के राइट्स म्युनिसिपेलिटीज़ को रहेंगे तो यह उचित नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि शहरों की सिटी म्युनिसिपेलिटीज़ या म्युनिसिपल कार्पोरेशन होती हैं उनको भी ये राइट्स नहीं देंगे तो उचित होगा, पर छोटे टाउन्स हैं जहां कि कोर्ट नहीं हैं उनको यह अधिकार नहीं देंगे तो सलूम्बर जैसी मिसाल सामने आयेगी और जनता के साथ यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस प्रकार के राइट्स नहीं देंगे तो जिस प्रकार सलूम्बर की नजीर हमारे सामने आई उस प्रकार से और भी आवेंगी और वहां जनता के साथ बड़ा बुरा अन्याय हुआ। इस प्रकार की जो ग्लेरिंग मिस्टेक्स एन्ड ओमिशन्स रह गये उनको सुधारना बहुत आवश्यक है। एक बात मैं बड़े जोरदार शब्दों में सदन में रखना चाहता हूं और वह यह है कि जो चुनावों की प्रणाली हमारे सामने रखी गई है वह कुछ जंचती हुई प्रणाली नहीं है। हमें चुनावों की प्रणाली के बारे में सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से किया जावे। यह बात मानी कि प्रत्येक कस्बे को वार्डों में बांटने की व्यवस्था की गई है। मैं यह कहूंगा कि एक वार्ड से दो-तीन सदस्यों का चुना जाना कतई वाजिब नहीं समझता। प्रत्येक म्युनिसिपेलिटी में एक वार्ड से एक ही सदस्य को चुन कर आना चाहिए। अगर इस प्रकार रख दिया जावेगा तो हम सरकार को ऐसे पॉवर्स देते हैं जिससे सरकार कुछ वक्तन ब वक्तन अपने तरीकों से लाभ उठा लें और लोगों को कहने और सुनने की गुंजायश रह जावे। मैं जो बात यहां पर कर रहा हूं वह इसलिये कहता हूं कि लोगों को इस प्रकार कहने की कोई गुंजायश

[श्री मोहनलाल भटनागर]

ही क्यों रहे। जयपुर शहर है। जयपुर शहर को इस प्रकार बांटना चाहिये कि एक वार्ड से एक आदमी चुना जावे। लेकिन हुआ यह कि किसी से दो और किसी से एक और किसी से चार आदमी आये, इससे पब्लिक में भ्रम की बातें पैदा हुई और लोगों ने टोकाए कीं। मैं इन बातों को उचित नहीं समझता हूं। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि लोगों को किसी प्रकार से भी कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाना चाहिये। इसलिए हम कस्बे को इस प्रकार से बांटेंगे कि एक वार्ड से एक ही व्यक्ति चुना जावे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं एक वार्ड से एक और कहीं दो और कहीं एक वार्ड से दो-तीन।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जिस प्रकार रिज़र्व सीटें रखी गई हैं उसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी रखनी अति आवश्यक हैं। राजस्थान सरकार ने जब इसी क्वालीफिकेशन के आधार पर उप-मंत्राणी को लिया तो म्युनिसिपेलिटी में इस प्रकार की बातों को रखना तो बहुत जरूरी हो जाता है।

श्री गोपीलाल यादव—उप मंत्राणी नहीं, उप मंत्री कहो।

श्री मानसिंह महार—उप मंत्री को लिया जाता है तो मैं यह समझता हूं कि म्युनिसिपेलिटी में हमारी बहिनों के लिए इस प्रकार का स्थान अगर रखा जावेगा तो उचित होगा और अगर सरकार रखना नहीं चाहती तो फिर शिड्यूल्ड कास्ट के लिए भी रखना उचित नहीं, यह मैं मान कर चलता हूँ।

इसके बाद कुछ खास खास खामियें हैं, उनकी तरफ अगर माननीय उपाध्यक्ष जी, आप फरमावें तो दो मिनिट में खुलासा कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ जब इसे लिया जावे तो बता देना।

श्री मानसिंह महार—क्लेअरिंग है साहब।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा बता दो।

श्री मानसिंह महार—इसमें सबसे खतरनाक चीज है वह क्लॉज़ ४५ है। यह क्लॉज़ तो सरकार ने ऐसी रख दी है जिसके लिये मैं यह कह सकता हूं कि इस क्लॉज़ में जो बातें रखी हैं उनको रख कर हमारी सरकार ने प्रजातन्त्र की हत्या ही कर दी है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं इस बात को मान कर चलता हूं कि सरकार इस प्रकार के अधिकार कलेक्टर और कमिश्नरों को देती है कि वह किसी चुने हुए सदस्य को हटा सकते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। और खास कर इस सरकार को जब पब्लिक के चुने हुए सदन के सदस्यों को हटाने का हक नहीं तो जब चुनाव द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड बनता है तो मैं यह दावे से कहता हूं कि उनको इस प्रकार से हटाने

[श्री मानसिंह महार]

को कमिश्नर और कलेक्टर को अधिकार देती है अगर सरकार तो यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। इसके लिये यह कहना कि अंकुश रखना कुछ समय के लिए बहुत जरूरी है और यह अंकुश कुछ समय के बाद हटा दिया जावेगा, इस बात को भी मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। ऐसी कोई इनइक्वेलिटी आपके सामने नहीं है। आवेगी तो आप देखेंगे कि ऐसी बात होती तो हम यह भी बढ़ाने की कोशिश करते तो ठीक होता। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह क्लॉज़ जिस किसी मकसद से यहां पर रखा गया है वह बहुत गलत मकसद है। दूसरी बात मैं इस क्लॉज़ के मुतल्लिक जिसके अन्दर नौकर को हटाने का नोटिस देने के बारे में उल्लेख है कहूंगा। कोई आदमी अपने आप हट जावे उसको भी एक महीने की जेल तक की सजा देने का सरकार को अधिकार है! इसका मतलब लड़ाई के जमाने में ठीक हो सकता था लेकिन हम इसे इस जगह रखने जा रहे हैं। अगर लड़ाई छिड़ जावेगी और इस प्रकार के डेवलपमेंट होंगे तो आप इस प्रकार की बात को रख सकते हैं। लेकिन आज आप इस प्रकार की बात कहते हैं तो उचित नहीं है। अगर आप अपने सर्विस रेगुलेशन में यह रखते कि कलेक्टर और कमिश्नर जिनको सरकार हटाना नहीं चाहती है वे हट कर चले जावें नौकरी छोड़ कर तो हम उन्हें सजा देंगे। अगर आप इस प्रकार की चीज़ रखते तो यहां पर भी हम इसको मान लेते। मगर आपने यह बात अपने सर्विस रेगुलेशन में नहीं रखी। यह बात आप भंगी के साथ रखना चाहते हैं जिसको आप भर पेट तनख्वाह देने तक को तैयार नहीं हैं। राजस्थान की म्युनिसिपेलिटीज में भंगियों को बहुत कम तनख्वाह दी जाती है और उनसे काम चौगुना लिया जाता है। अगर वे हड़ताल कर देंगे तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इसलिये अगर वे नौकर छोड़ देंगे तो दिक्कत आपको नहीं उठाने के लिये इस प्रकार की बात लाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह उनके साथ सरासर अन्याय होगा।

तीसरी बात है सदस्य के बारे में। आपने यह एक जगह रखा है कि अगर कोई सदस्य मिसकन्डक्ट करे तो उसे हटाया जा सकता है। मिसकन्डक्ट के लिए सलूम्बर से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि हाई कोर्ट मौजूद है। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि धारा बहुत खतरनाक है। सस्पेन्शन की बात जो कही गई है वह भी खतरनाक है। किसी भी व्यक्ति को जिसको आप यह देखें कि यह गड़बड़ी करता है उसको हटाना है तो आप उस पर किसी तरह से चार्ज लगा कर उसको सस्पेन्ड कर देते हैं और जब तक वह सस्पेन्ड होगा आप अपना मतलब हल कर लेंगे। वह हाई कोर्ट में भी जावेगा और बात गलत निकलेगी तब तक काफी समय लगेगा। हमारे यहां लाल फीते शाही में बहुत गड़बड़ियें होंगी (घन्टी) अब खतम ही करना चाहता हूं। मुझे तो अभी तक १५ मिनिट ही हुए हैं। लोगों ने तो आध आध घन्टा लिया है। सस्पेन्शन के बारे में मुझे निवेदन करना है कि इस असनाय में म्युनिसिपल बोर्ड का आधा समय तो निकल जावेगा। पंचायतों में जो बातें हुई हैं और जिसके कारण चुनाव सस्पेन्ड कर दिये गये हैं, कहीं पर यह कह कर कि जागीरदारों ने आतंक फैलाया, तो कहीं पर यह कहा गया कि काश्तकारों ने आतंक फैलाया और इस तरह से अपने चुनावों को सस्पेन्ड कर लिये। इस तरह से मिसकन्डक्ट के नाम पर लोगों को सस्पेन्ड कर दिया गया तो यह म्युनिसिपेलिटिज़ के साथ घोर अन्याय होगा।

[श्री मानसिंह महार]

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने के बाद मैं दो शब्द और भी निवेदन करूंगा और वे दो शब्द ये हैं कि ये सारी बातें हमको देखने को आती हैं और इस सदन में उस समय जब कि जयपुर म्युनिसिपैलिटी बोर्ड के दो दो अध्यक्ष इस सिलेक्ट कमेटी में मौजूद थे , इन अध्यक्षों की मौजूदगी में इस प्रकार की धारायें उन्होंने किस प्रकार जड़वायीं। हो सकता है कि दो अध्यक्षों के होते हुए भी या तो यह हो सकता है कि वे उस दिन आये न हों और मैं नहीं मान सकता कि जयपुर नगरपालिका के माननीय अध्यक्ष भी इस प्रकार की धाराओं से सहमत हो सकते हैं और हो सकता है कि ओवर साइट से रिपोर्ट पर दस्तखत हो गये हों। जयपुर नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय बड़े योग्य आदमी होते हैं और उनके होते हुए भी इस प्रकार यह हो जाय, कोई भी नागरिक नहीं मान सकता है। फिर भी मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इन चीजों को जो ओवर साइट से हुई हैं उनको ठीक करना होगा। मेरे मित्र ने सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का जो प्रस्ताव किया है तो सरासर यह इस बिल के साथ तीसरा अन्याय होगा। क्योंकि इसको सिलेक्ट कमेटी को फिर से पेश करें तो इसको बद से बदतर हालत करेंगे। तो दूसरी सिलेक्ट कमेटी वह हो सकती है। ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूँ कि इस सदन में इसको बहुत ही थोरोली किया जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्षजी, आपको निवेदन करूंगा और सदन के नेता को और माननीय मन्त्रीजी को निवेदन करूंगा कि इस बिल को बहुत ही थोरोली लिया जाय, जल्दबाजी न की जाय। यदि आप काम के घण्टों से दबे रहते हैं, इस कारण मस्तिष्क खराब हो जाता है और बोलना चाहते हैं, तंतू टूट जाते हैं आइन्दा बोलने के लिए तो मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, अन्य मित्रों के अमेन्डमेन्ट है और निवेदन करूंगा कि यह बिल अगर एक महिने भी चले तो कोई हर्ज नहीं है। शहर की जनता है, न्याय मिलना चाहिए और तब ही न्याय मिलेगा जब कि इस बिल को थोरोली लिया जायगा और अगर जल्दबाजी में इसको पास कर दिया गया तो बहुत बड़ा अन्याय होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरी सिलेक्ट कमेटी का संशोधन प्रस्तुत हुआ, वह मुझे स्वीकृत है।

श्री ईश्वरी सिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, बोलने के लिए तो बड़े बड़े मोर हैं, मैं तो पपीहा की तरह हूँ। उसी तरह बोल रहा हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—म्युनिसिपैलिटी बिल में कुछ कहना है ?

श्री ईश्वरीसिंह—मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूं कि न तो विरोध करना है और न कुछ। लोग कह रहे हैं कि कानून ठीक नहीं बनाया। मान लो कि ठीक नहीं बनाया। कानून समझ लो पहले। मैं आपको एक कहावत कहता हूं। बूढ़े के पास एक नौकर आया, कहने लगा कि नौकर रखलो। उसने कहा कि नौकर रख लेंगे, खाना कपड़ा देंगे। म्हारी नौकरी दे। तो गवर्नमेंट

[श्री ईश्वर सिंह]

कर रही है, बहुत कर रही है। पंचायतां बनाई, साधन तो दिया नहीं। पंचायतां चल सकी। म्युनिसिपैलिटियां बनाई, साधन तो गवर्नमेंट ने दिया नहीं। म्युनिसिपैलिटी चल किस तरह सके। घोड़ा वाला के हाथ लगे घोड़ी वह आप ही थाप लेसी, अगर तो फिर गवर्नमेंट के पास आवा की जरूरत नहीं पड़े। सीकर तहसील में २४ पंचायतां बनी। दूसरी जगह नहीं बनी। ६ पंचायतों वालों के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि चंदा आयगा तो चलेंगी, सरपंच सौ सौ रुपया दें।

श्री उपाध्यक्ष—म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में ही बात होनी चाहिये।

श्री ईश्वरीसिंह—मैं उस पर भी आऊंगा।

दो पंचायत वालां ने कह दिया कि यह तो सच्चा ही जुर्माना शुरू कर दिया, पचासों जुर्माना किया और एक जुर्माना ऐसा किया कि आप जांच करालो। बीड है लकड़ी काट ले दूसरा।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले बोल चुके हैं। दुबारा नहीं बोलें।

श्री ईश्वरीसिंह—बोला कहां हूँ, सुनें तो सही। बोल चुका तो गाल तो काढ़ू कोनी।

(हंसी एवं घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—आप पहले इस पर बोल चुके हैं।

श्री ईश्वरीसिंह—किस पर बोल चुका हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—सात नम्बर पर आप बोल चुके हैं।

(विराम)

१३ तारीख को बोल चुके हैं। फहरिस्त में नाम दर्ज है।

("इस पर नहीं बोले" इस प्रकार की आवाज)

श्री ईश्वरीसिंह—पहले बोला था। मैं बोलना चाहूँगा।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—तरीका नहीं है। दुबारा आपको इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्रीमती यशोदादेवी—उपाध्यक्ष महोदय, यह सिलेक्ट कमेटी से जो म्युनिसिपैलिटी बिल आया है उसके ऊपर सिर्फ दो शब्द सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं।

[श्रमती यशोदादेवी]

माननीय उपाध्यक्ष, जिस वक्त हमारी सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने इसको पास किया तो उस वक्त वे गांधी के शब्दों को भूल गये। गांधी के शब्द उस वक्त याद आते हैं जिस समय म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हों, वोट लेने हों, उस वक्त गांधी के शब्दों को दोहराकर गांवों के लोगों के सामने पहुंचते हैं।

(हंसी)

लेकिन उसको पास करते वक्त गांधी के शब्दों को भूल गये हैं। माननीय उपाध्यक्ष, गांधी का सबसे पहला एक शब्द था समाजवादी शासन कायम होगा, उस वक्त कलेक्टरशाही का पहले खात्मा हो जायगा।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि एव हंसी)

आज भी समाजवादी शासन का नारा लगाने वाली यह हमारी सरकार, समझ में नहीं आता है, जनता को अधिकार सोंपना चाहती है एक तरफ और दूसरी तरफ छोटे २ जो अधिकार हैं उनको कलेक्टरों के सिर पर थोपा जाता है। क्या कारण है कि चुने हुए सदस्यों को कलेक्टर हटाये। उस जनता के अधिकार, चुने हुए सदस्य म्युनिसिपैलिटियों को चलावें, अगर वे अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं तो उनको जनता ही हटा सकती है।

तो माननीय उपाध्यक्ष, एक तरह सरकार कानून बनाती है और दूसरी तरफ विकेन्द्रीकरण का नारा लगाती है और कानून बनाते वक्त हर एक अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है, अपने हाथ में शासन की डोर मजबूत रखना चाहती है, कानून बनाते वक्त भूल जाती है कि जनता के हकूकों को हम छीन रहे हैं।

तो उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने पंचायत एक्ट बनाया, फिर उसमें संशोधन पेश हुआ, स्वेच्छा से म्युनिसिपेलिटी कानून बनाया और मेरे योग्य माननीय सदस्य बार बार कह रहे हैं कि इसको पूरा विचार में लिया जाय और फिर इसको पास किया जाय। यह हो तो ठीक है, नहीं तो सरकार अपने संगठन के बलबूते पर कर लेगी। आप बतायें उपाध्याक्ष महोदय, जहां म्युनिसिपेलिटी ने चुनाव किया, किसी तरह बना दी। चुनाव होता है वहां तो वोटर्स को डराया जाता है या लालच दिया जाता है। लालच इस सरकार के हाथ में मजबूत चीज़ समजी जाती है। आप दूर कहीं नहीं जाइये, गांवों में नहीं जाइये, शहर मे ही देखिये, इस जयपुर शहर में ही देखिये। यहां भंगी बस्ती में जाकर देखिये, मुसलमान बस्ती में जाकर देखिये कि क्या हालत है वहां सडकों की, क्या हालत हैं गटर्स की। आपने मिर्जा इस्माइल रोड को पक्का बना दिया या जौहरी बाजार की सड़क को पक्का बना दिया और कह दिया कि सडकें बन गईं। उससे जनता का उद्धार नहीं होने वाला है। यह सभी जनता के चुने हुए सदस्य हैं और जनता के प्रतिनिधि हैं, किसी लोभ और लालच में न आवें, बार बार बासमाजवाद का नारा लगावें,

हृदय परिवर्तन करना है, तो मैं निवेदन करूंगी कि हृदय को परिवर्तित करके, हृदय को समाजवादी करके इस प्रकार का कानून पास करना होगा ।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि)

इस पर गौर से विचार किया जाय । बस मैं इतना ही कहती हूं ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—माननीय उपाध्यक्ष, प्रस्तुत विधेयक जनतंत्र के एक विशेष अंग के लिये कानून बनाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक द्वारा समान रूप से राजस्थान भर की म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये कुछ धाराओं को छोड़कर सारी धारायें सम्मिलित की गई हैं । राजस्थान की म्युनिसिपैलिटीज़ का अगर चित्र देखा जाय तो यह पता चलेगा कि जहां पांच हजार की आबादी का शहर है या कस्बा है वहां भी म्युनिसिपैलिटी होगी और जयपुर जैसा बड़ा शहर भी इन्हीं म्युनिसिपैलिटीज़ में सम्मिलित है ।

जयपुर शहर के लिये म्युनिसिपैलिटी की एक विशेषता यह भी है कि यह भारत भर के पुराने से पुरानी म्युनिसिपैलिटियों में एक है । जिस जमाने में भारतवर्ष में म्युनिसिपैलिटी के लिये, नागरिकता के विकास के लिये कहीं एक रेखा मात्र नहीं थी उस जमाने में जयपुर शहर के लिये म्युनिसिपैलिटी का स्थापित किया जाना और इतने लम्बे अर्से तक चालू रखना एक विशेष महत्व रखता है ।

मैं ऐसी विचार-धारा रखता हूं कि ऐसी म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये कानून में कुछ विशेषता दी जानी चाहिये न कि जो स्थिति आज तक रही उसी स्थिति से उसको नीचे गिरा दिया जाय । इस सदन के सम्मुख इतना सा एक संस्मरण की तौर पर एक बात उपस्थित करना चाहता हूं । जयपुर स्टेट के राजस्थान में सम्मिलित होने से पहले यहां पर दो तरह के म्युनीसिपल कानून थे । एक जयपुर टाउन म्युनिसिपैलिटी एक्ट और दूसरा सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल एक्ट । जयपुर टाउन म्युनिसिपल एक्ट की पुनरावृत्ति करके ही हमने राजस्थान टाउन म्युनिसिपल एक्ट बनाया । यह कहा जा सकता है कि एक तरह से राजस्थान टाउन म्युनिसिपल एक्ट इस प्रकार से अनावश्यक था । आज जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस विधेयक के विशेष अंग जयपुर टाउन म्युनिसिपल एक्ट और सिटी ऑफ जयपुर म्युनिसिपल एक्ट दोनों का समावेश इसमें किया गया है । इस संस्मरण से मैं यह भी कह सकता हूं कि इसमें न तो उसका ठीक तरह से समावेश ही किया गया है और न वह ठीक तरह से उपस्थित ही हो सकता है । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलीटिज़ और छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ सब को एक रूप में और एक कानून के अन्तर्गत इस तरह नहीं रखना चाहिये । भारत भर के राज्यों में से अधिकांश राज्य ऐसे हैं, एक ही नहीं दो ही नहीं बल्कि तीन तीन कानून म्युनिसिपैलिटीज़ के लिये एक एक राज्य में मौजूद हैं । जैसे टाउन म्युनिसिपैलिटी, सिटी म्युनिसिपैलिटी और कॉर्पोरेशन्स कहते हैं इनके लिये तीन तीन क्लासेज़ के लिये अलहदा अलहदा कानून मौजूद हैं । यहां भी पहले दो तरह के कानून मौजूद थे, अब इस कानून के

[श्रीमती यशोदादेवी]

अन्तर्गत हम सब को एक कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उदाहरण की तौर पर गधे और घोड़े को एक ही चाबुक से हांका जा रहा है। इसमें बहुत से अधिकार ऐसे हैं जो सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ को नहीं दिये जाने चाहिये थे, उनको इस प्रकार के सम्मिश्रण से वे अधिकार मिल गये हैं। बहुत से ऐसे अधिकार जो शहर की बड़ी म्युनिसिपैलिटीज़ को दिये जाने चाहिये उनमें से अधिकांश रह गये, केवल पांच सात क्लॉज़ों से या उनसे कुछ ज्यादा १०-१२ क्लॉज़ों का कुछ फर्क रखा गया है और कुछ अधिकार रुपयों के संबन्ध में जहां सिटी म्युनिसिपैलिटीज़ को कुछ ज्यादा रकम के लिये अधिकार है वहां टाउन म्युनिसिपैलिटीज को कुछ कम रकम के लिये अधिकार दिये गये हैं। इनको छोडकर वही एक्जीक्यूटिव ऑफीसर छोटे से टाउन के लिये और वही एक्जीक्यूटिव ऑफीसर बड़े शहर के लिये और दोनों को समान अधिकार इस बिल के द्वारा दिये गये हैं।

श्री हंसराज आर्य—जयपुर की म्युनिसिपैलिटी टेक्स वसूल करके भी तो नहीं देती।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—किसको नहीं देती। म्युनिसिपैलिटी तो टेक्स वसूल करती है। म्युनिसिपैलिटी के अधिकारी टेक्स वसूल करते हैं, सरकार को टेक्स नहीं देते हैं।

श्री हंसराज आर्य—टेक्स वसूल भी तो नहीं हो रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लाखों रुपया टेक्स में वसूल होता है, आपको जानकारी नह है। पहले आप जानकारी करके आइये।

श्री गुलाब चन्द कासलीवाल— (जारी रखते हुए) जहां तक टेक्सों का सवाल है जयपुर म्युनिसिपैलिटी के पास इसके साधन किसी हद तक कम हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है, जो अधिकार म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत जयपुर म्युनिसिपैलिटी को होने चाहिए वे अधिकार गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रख लिए हैं। जब तक वे अधिकार इसको नहीं दिये जाते जयपुर शहर की म्युनिसिपैलिटी की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं हो सकती। इसलिए कुछ और अधिकार देने की आवश्यकता है, धन-राशि देने की आवश्यकता है; न कि सरकार उससे यानि म्युनिसिपैलिटी से रुपया वसूल करे। सरकार को देने का प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रस्तुत बिल के लिए गधे और घोड़े को एक चाबुक से हांकने जैसी मिसाल हो रही है। मैं यह आशा करता था और जयपुर के नागरिक यह आशा करते थे कि सन् १९४७ के अन्दर यहां के राजा ने सिलवरजुबिली के वक्त यह आशा दिलाई थी कि जयपुर सिटी म्युनिसिपैलिटी को एक कॉर्पोरेशन का स्थान दिया जायगा। यह उन्होंने स्वयं ने दरबार में अनाउन्स किया था। जो दरबार में कहा जाता है वही पबलिकली भी कहा गया। यहां की म्युनिसिपैलिटी जिसका नाम कौन्सिल था, जिसका उच्चतम अधिकारी प्रेसीडेन्ट के नाम से कहलाता था, जिसका एक एक्जीक्युटिव आफिसर नहीं बल्कि म्युनिसिपल कमि-

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

श्नर कहलाता है, जिसकी हैसियत एक कमिश्नर की थी, आज उसे इस बिल द्वारा नीचे गिरा देनी की स्थिति हुई है। वही प्रेसीडेन्ट अब चेयरमैन कहलायगा। म्युनिसिपल कमिश्नर अब एक्जीक्यूटिव ऑफिसर कहलायगा, म्युनिसिपैलिटी के सदस्य कौन्सिल के बजाय म्युनिसिपल बोर्ड मे मेम्बर कहलायेगें और म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल बोर्ड कहलायेगा। जयपुर म्यूनिसिपैलिटी के साथ इस तरह जो बात हो रही है वह हम नागरिकों के लिये शर्म की बात है। इससे हमारा सिर नीचा होजाता है। यह किसी ने भी सोचा नहीं था कि राजस्थान की राजधानी बनने के बाद इस जयपुर शहर के नागरिकों को और अधिकार मिलेंगे लेकिन हो क्या रहा है इस जनतंत्र में जो स्थान उसे पहले प्राप्त था उससे भी नीचा गिरना पड़ रहा है। यह एक प्रकार से दुविधा उत्पन्न हो गई है।

राजस्थान में कुछ ही नगर ऐसे हैं जिनकी आबादी एक लाख से ऊपर है। भारत भर की तमाम म्युनिसिपैलिटीज़ के कानून अगर उठाकर देखे जांय तो उनमें से तीन या चार में विशेषता मालूम होती है। एक लाख से नीचे के जितने भी कस्बे हैं या टाउन्स हैं वहां टाउन म्युनिसिपैलिटी और बोरज एक्ट हैं; जो एक लाख से ऊपर के शहर कहे जाते हैं वहां एक विशेष कानून होता है, विशेष अधिकार दिये जाते हैं और जहां पांच लाख से ऊपर की आबादी है उनके लिये कार्पोरेशन हैं। जहां कार्पोरेशन अब तक नहीं बने हैं वहां कार्पोरेशन बनने की व्यवस्था या विचार चल रहा है। जयपुर शहर की आबादी इस समय ५ लाख तो नहीं है, लेकिन यह भी में नहीं मान सकता हूं कि कुछ ही समय में ५ लाख के करीब वह नहीं होजायगी। वह निश्चत रूप से हो जायगी। आज ही साढ़े तीन, चार लाख के आसपास तो उसकी आबादी है। तो इस बड़े राज्य की, जिसको हम बहुत अच्छा अपना राजस्थान राज्य कह सकते हैं, केपीटल, राजधानी, का नगर भी एक टाउन म्युनिसिपैलिटी के तौर पर कहलाया जाय तो मैं समझता हूं कि यह तो अपने राजस्थान के सम्मान जैसी चीज को ठेस पहुंचाने वाली बात है।

दूसरे इस बिल में एक अत्यन्त आपत्तिजनक बात है। इस जयपुर शहर की मिसाल लेते हुए कहता हूं कि ३, ४ लाख की आबादी जिस म्युनिसिपैलिटी का चुनाव करे और उसके चुने हुए सदस्य एक प्रेसीडेन्ट का चुनाव करें और उस प्रसीडेन्ट या चेयरमेन की अपील एक गवर्नमेंट के निर्धारित अफसर के सामने उपस्थित हो, यह बहुत ही, अटपटा लगता है। चुने हुए व्यक्तियों की अपील उसके सामने हो ऐसा आज के जमाने में तो विचार ही नहीं कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे अनडेमोक्रेटिक प्रोवीजन्स, जो कि इस बिल में आ गये हैं उन सारे प्रोवीजन्स को हटा दिया जाय और टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ के लिए भी ऐसे ही प्रोवीजन किये जांय कि उनके लिए भी कोई अपील का प्रश्न उपस्थित नहीं हो। यदि अपील की कहीं आवश्यकता प्रतीत होती हो तो उसके लिए सीधा सा ऐसा प्रोवीजन किया जा सकता है कि सेफ गार्ड के समान उस प्रश्न को उपस्थित किया जा सके, न कि उस अपील के रूप में वह किसी अफसर के सामने वह प्रश्न लिया जाय।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

जयपुर शहर और दूसरे राजस्थान के बड़े नगर हैं उनके लिए अलग कानून बनाया जाय न कि एक कानून के अन्दर ही यह सम्मिश्रण किया जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो वाद-विवाद, प्रवर समिति की रिपोर्ट आई, उसके ऊपर हो रहा है, उस सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ।

मैं सरकार की नीति को समझ नहीं पाया कि आखिर वह कोई डिपार्टमेंट भी रखेगी कि जिसके मार्फत जो सुपर्विज़न इस बिल की अनेक धाराओं में रखा है वह कोई सरकारी डिपार्टमेंट होगा उसको सुपरवाइज़ करने वाला या नहीं। उसका मुझे कहीं बिल में पता नहीं लगा। यह बात जरूर दो-चार जगह आई है कि कोई अफसर जिसे सरकार मुकर्रर करेगी वह जरूर देखभाल करेगा। यह जरूर नजर आया...

एक माननीय सदस्य—मिनिस्टर हैं।

श्री जवानसिंह—मैं नहीं मानता हूँ कि मिनिस्टर महोदय तमाम म्युनिसिपेलिटीज़ का दौरा करेंगे और उनके एकाउन्ट्स को चेक करेंगे। लेकिन इस बात को अवश्य देखना चाहिये और इस सदन का हर माननीय सदस्य इस बात को चाहेगा कि कोई डिपार्टमेंट रहने वाला है या नहीं इन म्युनिसिपेलिटीज़ के ऊपर...

श्री उपाध्यक्ष—आप सिलेक्ट कमेटी में थे?

श्री जवानसिंह—जी हां, मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। मेरे नोट ऑफ डिसेन्ट का पेज २१ व २२ है। श्री तनसिंहजी के साथ में मेरे भी दस्तखत हैं और मेरा खयाल है कि दो पेज हैं; इसलिये कम से कम मैं आधे घन्टे तक तो बोलूंगा ही।

कई माननीय सदस्य—कल पर रखा जाय, टाइम हो गया है।

श्री जवानसिंह—कल पर ही रखा जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप थोड़े से में बोल लीजिये। आपका नोट ऑफ डिसेन्ट तो मौजूद है।

श्री जवानसिंह—नोट ऑफ डिसेन्ट है, इसलिए मुझे ज्यादा अख्त्यार होना चाहिये बोलने का।

कई माननीय सदस्य—टाइम कम है साहब, कल ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—हां, आप बोल लीजिये संक्षेप में।

श्री जवानसिंह—तो मुझे यह मालूम हो जाय कि आज ही खत्म करना है या कल।

श्री उपाध्यक्ष—आज कर लीजिये तो कल केवल रह जाय मिनिस्टर साहब का जवाब।

श्री जवानसिंह—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह डिपार्टमेंट, डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ का जो पद आज है उस पद को रखा गया है, उस डिपार्टमेंट को रखा गया है, वह आखिर रहेगा या नहीं। वैसे तो अजीब से प्रश्न राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ग्राम पंचायतों का ताल्लुक डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ से कतई नहीं है। वह तो एक आजाद पर है। वैसे नाम उसका डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ है, लेकिन लोकल बोडीज़ में पंचायतें शामिल नहीं हैं। यह एक बात राजस्थान के बाहर आदमी को कही जाय तो वह जरूर हंसेगा। हमारे हंसने का कारण नहीं है, क्योंकि हम इस बात को देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत एक्ट में हर जगह एक निश्चित आफिसर का नाम आया है कि यह काम उसके मार्फत किया जायगा चाहे वह चीफ पंचायत ऑफिसर हो या दूसरा आफिसर। लेकिन जहां तक म्युनिसिपेलिटीज़ का सवाल है कोई ऐसा ऑफिसर नहीं मिलता है कि जिससे हम अन्दाज लगा पाते कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ रहेगा या नहीं या सरकार उसको बिल्कुल हटा देगी। सरकार कम से कम अपने ध्यान में इस बात को तय कर ले कि आखिर उसको इस बिल में रखेंगे या नहीं? अगर नहीं रखते हैं तो यह आफिसर शब्द जहां जहां आया है वह बिल्कुल बेकार है; यह हमेशा नहीं हो सकता है कि आज एक आदमी को रख लें और कल किसी दूसरे आदमी को रखें...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—डिपार्टमेंट है और रहेगा।

श्री जवान सिंह—लेकिन इसमें शंका पैदा हो जाती है, नाम कहीं नहीं आया है। बिल में शुरू से आखिर तक अगर कहीं भी आया हो तो I stand corrected लेकिन नहीं आने की वजह से शंका हुई और बहुतसों को शंका हो रही है। आपने फरमाया है तो मैं मान लेता हूं, लेकिन कानून इस बात को नहीं मानेगा। अगर एक बात यह साफ हो जाती कि डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज़ रहेगा तो इसका कुछ यह अन्दाजा हो जाता कि उसके मारफत तमाम का तमाम काम होगा।

दूसरी चीज जो अभी सदन में आई और जिसके ऊपर काफी संघर्ष सा हो रहा, वह थी कि आखिर म्युनिसिपेलिटीज़ को किस हद तक स्वतन्त्रता दी जाय और स्वतंत्रत पूरी दी जाय या सरकार उसके ऊपर हर प्रकार से देखरेख रखती रहे। इसकी धाराओं को जब हम देखते हैं तो संघर्ष के निबटारे की शक्ल नहीं पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें थीं जहां कि स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिए थी वहां दे दी गई और ऐसी भी कई धाराएं हैं कि जिनमें स्वतन्त्रता देनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी गई। जैसे कि हमने कुछ ऐसे कदम भी लिये हैं जिसको बिल्कुल देखने से पता लगता है कि जहां तक नौकरों की बातें हैं जो कि म्युनिसपेलिटीज़ में काम करते है, शायद इस बिल के कानून बन जाने के बाद में यह म्युनिसिपेलिटीज़ के खुद अख्त्यार में की बात रहेगी कि वही रखेगी और वही निकाल सकेगी। दूसरी तरफ हम ऐसी बातें भी देखते हैं कि सरकार ने इसके ऊपर सुपरविजन रखा है और एक क्लॉज़ में मेम्बर को भी हटाने की बात रखी है तथा

[श्री जवानसिंह]

और भी इस तरह की बातें हम देखते है। जहां सरकार ने अपना अधिकार रखा है जिससे कि म्युनिसिपेलिटीज़ को अगर वह चाहे तो ठीक काम नहीं करने दे और यदि वह चाहे तो जो म्युनिसिपेलिटीज़ ठीक काम नहीं कर रही हैं उनको भी चलदे। तो इस प्रकार के जो संघर्ष हैं तो कम से कम इस कानून को पढ़ें और उसके बाद निश्चित आधार मानकर चलें कि सरकार का रुख म्युनिसिपेलिटीज़ को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र बना देना है या सरकार का यह रूख है कि म्युनिसिपेलिटीज़ इस काबिल नहीं है कि पूर्ण स्वतन्त्रता दें, बल्कि सरकार उनके ऊपर देख-रेख हर सूरत में रखेगी। अभी एक-दो राय ऐसी आई जब कि इस बात के लिये जोर दिया गया कि म्युनिसिपेलिटीज़ को स्वतंत्रता इतनी नहीं देनी चाहिये लेकिन मुझको यह समझ में नहीं आया कि यह संघर्ष है कहां ? आखिर म्युनिसिपेलिटीज़ सरकार से अलग हैं तो सरकार इस बात को पसन्द नहीं करेगी कि वह म्युनिसिपेलिटीज़ के अलग काम करे। यदि म्युनिसिपेटिटीज़ को स्वतंत्र बनाते है तो सरकार का हक छीनकर अलग नहीं होतीं बल्कि वह तो उसी का काम करती है। यदि अपने हाथ को कहदें कि पानी का गिलास उठाकर दूर रख दे तो हाथ हम से अलग तो कहीं हो जाते बल्कि हाथ हमारा ही एक काम करेंगे। इसी तरह से यदि म्युनिसिपैलिटीज़ को कोई अख्त्यार देते हैं और उसको यदि स्वतंत्र बनाते है और कहते हैं कि आप अपना बजट बना दीजिये और काम कीजिये तो इसमें सरकार के देखने की बात नहीं है कि तुम कितना पैसा किस कदर खर्च क्यों करते हो ?

कुछ माननीय सदस्य—आपका समय पूरा हो गया।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आज तो समय हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—कितना समय और चाहिये आपको।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आज नहीं हो सके तो कल पर रख दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—समय कम देने का प्रयोजन यह है कि प्रायः ज्यादा जिनको बोलना था वे तो पहले ही बोल दिये है। कंसीडेशन के बाद ज्यादा वक्त देने की बात आयगी। सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द होनेवाली बात नहीं होने वाली है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ऐसा तो मेरा प्रस्ताव है, उसका निर्णय तो सदन करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—सेक्शन होगा, उस समय विस्तृत बहस हो जायगी, इस दृष्टिकोण से समय कम रखने का विचार है। बोलनेवालों के २१ नंबर तो हो गये हैं।

कु० श्री जसवन्तसिंह—It shows that we are taking interest in the work.

श्री उपाध्यक्ष—अभी ज्यादा समय चाहते हैं क्या ?

श्री जवानसिंह—समय तो चाहियेगा ही।

श्री हरिकृष्ण व्यास—में अदब से अर्ज करूंगा कि मेरा प्रस्ताव है सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने के लिये। इस पर निर्णय होने से पहले कैसे माना जा सकता है कि मंजूर नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—यह जाहिर दीखता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसको सदन पास करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—आज समय हो गया, इसलिये सदन की बैठक कल दिनांक २१ दिसम्बर, १९५५ को प्रात: ८. ४५ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही १२ बज कर ४७ मिनट मध्यान्ह में दिनांक २१ दिसम्बर, १९५५ के प्रात: ८. ४५ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२० दिसम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित करने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

262 (189/C. M.) Shri Tan Singh, M. L. A., (Division No. 148): Will the Education Minister be pleased to state;—

(a) Has the Government started Science Classes in Girls' Colleges in Rajasthan ? If so, in what subjects ?

(b) Is it a fact that there is a shortage of lady teachers to teach Science and Mathematics in Intermediate and degree Classes in girls' Colleges ?

(c) How does the Government contemplate to meet this demand !

उत्तर

(क) महारानी कॉलेज, जयपुर में इन्टर तक साइन्स पढ़ाई जाती है। फिज़िक्स, कैमिस्ट्री, बाइलोजी और गणित चारों विषय पढ़ाये जाते हैं। बाकी कॉलेजों में जनरल साइन्स ही पढ़ाई जाती है।

(ख) जी हां !

(ग) सरकार पी. अस. सी. द्वारा राजस्थान के बाहर से भी प्रार्थना—पत्र आमन्त्रित करती है।

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २३३ का उत्तर देखिये)

राजस्थान के निर्माण के बाद बची हुई सड़कों की सूची जिनपर १९५५ की वर्षा से क्षति पहुँची है

सड़कों के नाम सिटी डिविजन P.W.D

१. गंगापुर नादोती गुढाचन्द्रजी की सड़क जिला सवाई माधोपुर करीब २०० फीट लम्बी।
२. टोंक लखेरी सड़क जिला टोंक कॉज़वे व पटरियां।
३. टोंक मालपुरा सड़क पक्की सड़क का हिस्सा करीब १ फर्लांग।

डिस्ट्रीक्ट्स डिवीजन P.W.D

१. किशनगढ अराईं सड़क में पटरियां बहुत जगह कट गईं ।
२. महलान जोबनेर सड़क में पटरियां और कहीं कहीं गोले को भी क्षति पहुँची।
३. चौमू-रींगस सड़क पर भी पटरियों में काफी क्षति पहुँची ।

अलवर P.W.D. डिविजन में निम्नलिखित सड़कों की पटरियों पर

१. अलवर किशनगढ़ रोड
२. खैरथल बानसुर रोड
३. तिजारा भिवाडी रोड
४. बहरोड कुंड रोड
५. हरसोली मुंडावर रोड
६. मांजरी कला नीमराणा रोड
७. नीगावां मुबारकपुर रोड
८. तिजारा फीरोजपुर रोड
९. बानसुर कोटपुतली रोड
१०. आलमपुर हरसोरी रोड
११. गोविन्दगढ़ जालकी रोड
१२. अलवर भरतपुर रोड टू बडोदा
१३. फटी घाटी रामगढ़ रोड
१४. अलवर राजगढ़ रोड
१५. मालाखेडा लक्ष्मण गढ़ रोड
१६. कममर लक्ष्मण गढ़ रोड
१७. खेडली कठूमर नगर रोड खण्ड अ
१८. खेडली कठुमर नगर रोड
१९. थानागाजी प्रतापगढ़ रोड
२०. खुशालगढ नारायणपुर रोड
२१. अलवर जयपुर रोड से द्वारापुर ग्राम तक
२२. गांधी विद्यालय से हरसोली अप्रोच रोड़ तक
२३. राजगढ़ मंडावर रोड
२४. टेहला अप्रोचरोड
२५. जालुकी लक्ष्मण गढ़ रोड
२६. झुंझुनू चिड़ावा रोड

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २३९ का उत्तर देखिये)

25. M/s Abdul Hamid S/o Gendaji Copper Semit Industry, Dholi Bavri, Udaipur. 2,000/-
26. M/s Surendra Kumar S/o Ganga Lal Bagda Standards Perfumary Works, Jaipur. Bagdia Bhawan Chaura Rasta, Jaipur. 2,500/-
27. Shri Chunnumal S/o Nawamal Sindhi Shahapura Ginning and Pressing Factory. ... 5,000/-
28. M/s Emery Stones Mfg- Co. Kuchaman Road. ... 2,500/-
29. M/s Indian Woollen Carpet Factory, Jaipur. ... 10,000/-
30. M/s Flour Mills, Jhalrapatan. ... 4,000/-
31. Shri Girwar Narain, Behror. ... 5,000/-

32. M/s Rajasthan Fancy Kangan Stores, Jaipur	...	2,000/-
33. M/s Shiv Oil & Flour Mills Gothada (Nagaur)	...	5,000/-
34. Pt. Bhonri Lal, Alwar.		5,000/-
35. M/s Crafts Mans Engineering Works, Udaipur.	...	5,000/-
36 Shri Aladin, Chaksu.	...	3000/-
37. Shrimati Kalawati Devi, Alwar.	...	3,000/-
38. Vaidya Kunj Behari Lal, Singana.		3,000/-
39. Shri Balaprasad Seni, Alwar.		5,000/-
40. Shri Bhadwasia Bahudhandhi Sah. Samit Ltd. Badwasia.		5,000/-
41. M/s Modern Automobiles & Mech. Engineers, Udaipur.		5,000/-
42. Shri Sukh Sampat Raj Bhansali, Merta City.	...	3,000/-
43. Shri Ramji Lal, Sanganer.	...	3,000/-
44. M/s Kailash Handloom Factory, Madanganj Kishangarh.		2,500/-
45. M/s Chabra Handloom Factory. do	...	2,000/-
46. Shri Banshidar Gupta, Jaipur.	...	3,000/-
47. Shri Mohd. Safi, Kishangarh.	...	1,000/-
48. Shri Chotu & Chinppa, Kishangarh.	...	1,000/-
49. Shri Roop Chand Patni, Madanganj, Kishangarh.		3,000/-
	Total:-	2,03,100/-

परिशिष्ट ४

कृपया प्रश्न संख्या २६३ का उत्तर देखिये

सूची (क)

जिले का नाम	सदस्य संख्या
१. जयपुर	४०
२. अलवर	३५
३. बाडमेर	२५
४. बांसवाड़ा	२०

१		२
५.	भरतपुर	३३
६.	भीलवाड़ा	३०
७.	बीकानेर	२०
८.	बूंदी	२०
९.	चित्तौडगढ़	२५
१०	चूरु	२०
११.	डूंगरपुर	२०
१२.	गंगानगर	२५
१३.	जैसलमेर	२०
१४.	जालोर	२५
१५.	झालावाड़	२०
१६.	झुंझुनूं	२५
१७.	जोधपुर	२५
१८.	कोटा	३०
१९.	नागोर	३०
२०.	पाली	३०
२१.	सवाई माधोपुर	२५
२२.	सीकर	२५
२३.	सिरोही	२०
२४.	टोंक	२०
२५.	उदयपुर	४०

सूची ख के अनुसार

जिले का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	स्थानों की संख्या
१. अलवर	१. अलवर	५
	२. बांनूसर	३
	३. बेहरोड	५
	४. लक्ष्मण गढ	६
	५. राजगढ़	४
	६. थानागाजी	३
	७. किशनगढ़	२
	८. मंडावर	३
	९. तिजारा	३
२. भरतपुर	१. भरतपुर	४
	२. नदबई	२
	३. बयाना	३
	४. रूपवास	३
	५. वैर	३
	६. डीग	२
	७. कामा	३
	८. नगर	२
	९. बारी	४
	१०. बसेरी	२
	११. गिर्द (धौलपुर)	३
	१२. राजाखेडा	२
३. झुंझुनूं	१. झुंझुनूं	५
	२. चिडावा	५
	३. खेतडी	६

१	२	३
	४. उदयपर	७
४. सीकर	१. सीकर	४
	२. दांतारामगढ़	४
	३. फतेहपर	७
	४. नीम का थाना	३
	५. रामगढ़	१
	६. श्री माधोपुर	७
५. टोंक	१. टोंक	५
	२. निवाई	४
	३. दूणी	४
	४. उणियारा	१
	५. मालपुरा	३
	६. टोडाराय सिंह	३
६. सवाई माधोपुर	१. सवाई माधोपुर	४
	२. बोंली मलारना चोर	३
	३. खण्डार	१
	४. गंगापुर	२
	५. बामनवास	२
	६. नांदोती	२
	७. हिन्डौन	३
	८. टोडाभीम	३
	९. महुवा	३
	१०. करोली	४
	११. सपरोता	३
७. जोधपुर	१. जोधपुर	५
	२. बिलाडा	६

१	२	३
	३. शेरगढ़	५
	४. ओसियां	६
	५. फलौदी	३
८. पाली	१. पाली	४
	२. सोजत	४
	३. जेतारण	३
	४. रायपुर	३
	५. बाली	७
	६. देसूरी	५
	७. खारची	४
९. नागौर	१. नागौर	४
	२. जायल	४
	३. मेड़ता	४
	४. डीडवाना	३
	५. डेगाना	४
	६. लाडनू	३
	७. परवतसर	५
	८. नांवा	३
१० जालोर	१. जालोर	६
	२. आहोर	४
	३. जसवंतपुरा, भीनमाल	९
	४. सांचोर	६
११. बाड़मेर	१. बाड़मेर	१२
	२. चोहटन	४
	३. शिव	३
	४. पंचभद्रा	२
	५. सिवाना	४

१	२	३
१२. सिरोही	१. सिरोही	५
	२. शिवगंज	५
	३. पिंडवाडा	५
	४. रिश्रोदार	५
१३. जैसलमेर	१. जैसलमेर	५
	२. रामगढ़	२
	३. [illegible]तेहगढ़	३
	४. सम्खेर	२
	५. पोकरण	५
	६. निचाना	३
१४. बीकानेर	१. बीकानेर	६
	२. लूनकरणसर	४
	३. नोखा	८
	४. मगरा	२
१५. चूरू	१. चूरू	२
	२. राजगढ़	४
	३. तारानगर	२
	४. रतनगढ़	३
	५. सरदार शहर	३
	६. सुजानगढ़	४
	७. डूंगरगढ़	२
१६. गंगानगर	१. गंगानगर	४
	२. करनपुर	३
	३. पदमपुर	३
	४. रायसिंह नगर	२
	५. अनूपगढ़	१
	६. हनुमान गढ़	४
	७. सूरतगढ़	२
	८. भादरा	३
	९. नोहर	३

१	२	३	
१७. बूंदी		१. बूंदी	३
		२. तालेरा	३
		३. केशोराय पाटन	६
		४. नैनगा	४
		५. हिन्डोती	४
१८. झालावाड़		१. झालारा पाटन	२
		२. पंचपदारा	२
		३. गंगधार	२
		४. डांग	२
		५. भिडाया	२
		६. मनोहर थाना	३
		७. थालेरा	२
		८. बगनी	२
		९. तानपुर	३
१९. बांसवाड़ा		१. बांसवाड़ा	४
		२. गढ़ी	४
		३. घाटोल	४
		४. बागीडोरा	४
		५. कुशलगढ़	४
२०. डूंगरपुर		१. आसपुर	४
		२. डूंगरपुर	६
		३. सागवाड़ा	७
२१. भीलवाड़ा		१. बनेड़ा	२
		२. भीलवड़ा	३
		३. पाटन	३

१	२	३
	४. रायपुर	२
	५. मसाड	२
	६. आसीन्ध	३
	७. हुरडा	२
	८. कोटरी	३
	९. मांडलगढ़	४
	१०. जहाजपुर	३
	११. शाहपुरा	३
२२. चितौड़गढ़	१. बैगू	२
	२. भैसरोडगढ़	१
	३. चित्तौडगढ़	२
	४. गंगाधर	२
	५. कपासन	२
	६. राशमी	२
	७. बड़ी सादड़ी	२
	८. मदैसर	२
	९. छोटी सादडी	२
	१०. डूंगला	२
	११. कनेरा	२
	१२. अछनेरा	१
	१३. परताबगढ़	३
२३. उदयपुर	१. भीम	२
	२. देवगढ़	१
	३. फलासिया	
	४. सायरा	२
	५. आमेट	१
	६. कुशालगढ़	२
	७. राजसमन्द	२
	८. रामेलगढ़	२
	९. खेरवाडा	२
	१०. सलूम्बर	३

Page No.107

१	२	३
	११. सैरडा	३
	१२. गिरवा (उदयपुर)	४
	१३. भोपाल सागर	१
	१४. लसाड़िया	२
	१५. मावली	३
	१६. बल्लभ नगर	३
	१७. स्वामनेर	३
	१८. कोटरा	२
२४. कोटा	१. लाडपुर	३
	२. डिगोड	१
	३. बरोड	१
	४. पिपलदा	२
	५. इटावा	१
	६. चेचक	१
	७. रामगंज मन्डी	१
	८. कानवास	१
	९. सांमोद	२
	१०. बरा	२
	११. अनता	१
	१२. मंगरोल	१
	१३. किशनगंज	१
	१४. शिदबाद	२
	१५. छाबडा	२
	१६. अटरू	२
	१७. छीपाबरोद	२
	१८. सिरोंज	३
	१९. लटेरी	१

१	२	३
२५. जयपुर	१. जयपुर	२
	२. चाकसू	२
	३. सांगानेर	२
	४. बस्सी	२
	५. चोमू	३
	६. जमवा रामगढ़	३
	७. दौसा	३
	८. बसवा बांदीकुई	३
	९. लालसोट	२
	१०. सिकराय	२
	११. किशनगढ़	१
	१२. रूपनगर	१
	१३. अराई	१
	१४. सरवाड़	१
	१५. फुलैरा	४
	१६. फागी	२
	१७. दूदू	२
	१८. बैराठ	२
	१९. कोटपुतली	२

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं०	लाईन सं०	अशुद्ध	शुद्ध
१३८०	२१	व्वास	व्यास
१४०२	२५	व्याश	व्यास
१४०८	५	इम्प्रूव मेन्ट	इम्प्रूवमेन्ट
१४०६	शीर्षक	तारांकिज	तारांकित
१४१२	२४	र यपुर	रायपुर
१४१२	२४	एलोपोथिक	एलोपैथिक
१४१४	६	अनुयस्थित	अनुपस्थित
१४१५	शीर्षक	प्रम्नोतर	प्रश्नोत्तर
१४१५	१८	गु ता	गुप्ता
१४१६	शीर्षक	तरांनित	तारांकित
१४२१	१	वैद्य	वैद
१४२८	३३.	These	Those
१४२८	३३	desjrous	desirous
१४४१	१	श्री मेरूं रूसिंह	श्री भैंरूसिंह
१४४३	१	श्री उपाध्यक्ष	श्री भैरोंसिंह
१४४४	१	श्री मानसिंह	श्री श्रीमानसिंह
१४४५	१	श्री मानसिंह	श्री श्रीमानसिंह
१४५६	१	श्री इश्वरसिंह	श्री ईश्वरीसिंह
१४५७	१	श्रमती यशोदादेवी	श्रीमती यशोदादेवी
१४५८	१	—	[श्रीमती यशोदादेवी]
१४५६	१	श्रीमती यशोदादेवी	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
१४६०	१	श्री हरिकृष्ण व्यास	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
१४६१	१	श्री हरिकृष्ण व्यास	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल